भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारिबैं/बैंविवि/2015-16/18
डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16

25 फरवरी 2016
(14 अगस्त 2025 तक संशोधित)
(12 जून 2025 तक संशोधित)
(06 नवंबर 2024 तक संशोधित)
(04 जनवरी 2024 तक संशोधित)
(17 अक्तूबर 2023 तक संशोधित)
(04 मई 2023 को संशोधित)
(28 अप्रैल 2023 को संशोधित)
(10 मई 2021 तक संशोधित)
(01 अप्रैल 2021 तक संशोधित)
(23 मार्च 2021 तक संशोधित)
(18 दिसंबर 2020 तक संशोधित)
(20 अप्रैल 2020 तक संशोधित)
(01 अप्रैल 2020 तक संशोधित)
(09 जनवरी 2020 तक संशोधित)
(09 अगस्त 2019 तक संशोधित)
(29 मई 2019 तक संशोधित)

मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना 2
अध्याय-II 16
सामान्य 16
अध्याय-III 20
ग्राहक स्वीकरण नीति 20
अध्याय-IV 22
जोखिम प्रबंधन 22
अध्याय-V 23
ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी) 23
अध्याय-VI 25
ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी प्रक्रिया (सीडीडी) 25
भाग I – व्यक्तियों के मामले में सीडीडी प्रक्रिया 25
भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिएसीडीडी उपाय 36
भाग III - विधिक संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय 37
भाग IV - हिताधिकारी स्वामी की पहचान 40

भाग V - धारणीय समुचित सावधानी....40
भाग VI - संवर्धित और सरलीकृत समुचित सावधानी प्रक्रिया....47
अध्याय-VII....52
अभिलेख प्रबंधन....52
अध्याय-VIII....54
वित्तीय आसूचना एकक – भारत को रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ....54
अध्याय-IX....56
अंतरराष्ट्रीय करारों के अंतर्गत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ –....56
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संचार....56
अध्याय-X....60
अन्य अनुदेश....60
अध्याय-XI....74
निरसन प्रावधान....74
अनुलग्नक I....75
अनुलग्नक II....78
अनुलग्नक III....86
अनुलग्नक IV....94
Appendix....97
List of Circulars or part thereof repealed with the issuance of Master Direction....97

[1]प्रस्तावना

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल))/आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) के लिए एक चैनल के रूप में प्रयोग किए जाने से रोकने के लिए और वित्तीय प्रणाली की अखंडता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए**,** विभिन्न नियमों तथा विनियमों को निर्धारित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), जो 1989 में अपने सदस्य अधिकार क्षेत्र के मंत्रियों द्वारा स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है, इस निकाय द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित किए जाते हैं और कानूनी, विनियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाता है। भारत, एफ़एटीएफ़

[1] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित.

का सदस्य होने के नाते, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के उपायों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत में, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005, के माध्यम से धन-शोधन-रोधी (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) पर कानूनी ढांचा तैयार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित पीएमएल अधिनियम, 2002 और पीएमएल नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, विनियमित संस्थाओं (आरई) को खाता-आधारित संबंध स्थापित करके या अन्यथा लेनदेन करते समय कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का पालन करने और उनके लेनदेन की निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

2. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की पैराग्राफ 35ए, बैंककारी विनियमन अधिनियम (एएसीएस), 1949, पूर्वोक्त अधिनियम की पैराग्राफ 56, के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की पैराग्राफ 45जेए, 45के और 45एल, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की पैराग्राफ 18 के साथ पठित पैराग्राफ 10 (2), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की पैराग्राफ 11(1), धन शोधन निवारण (अभिलेख रखरखाव) नियम, 2005 का नियम 9(14) और इस संबंध में रिज़र्व बैंक को अधिकार प्रदान करने वाले अन्य सभी कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतदद्वारा इसके बाद निर्दिष्ट निदेश जारी किए जाते हैं।

अध्याय-I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

ए. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) निदेश, 2016 कहा जाएगा।

बी. ये निदेश उसी दिन से लागू होंगे, जिस दिन इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

सी. [2]केवाईसी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं- भारतीय रिजर्व बैंक - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (**rbi.org.in)**.

[2] 14 अगस्त, 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी. 46/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित

2. प्रयोज्यता

(ए) [3]इन निदेशों के प्रावधान, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं, खास तौर से नीचे मद सं. 3(ख)(xiii) में पारिभाषित संस्थाओं पर लागू होंगे।

(बी) ये निदेश विनियमित संस्थाओं (आरई) की सभी विदेश स्थित शाखाओं और बहुलांश धारित अनुषंगियों पर भी उस सीमा तक लागू होंगे, जहां तक वे मेजबान देश के स्थानीय क़ानूनों से विसंगत न हों, बशर्ते कि:

i. [4]जहां लागू कानून और विनियम इन निदेशों के कार्यान्वयन का निषेध करते हों, वहाँ इसकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाए। आरबीआई एमएल/टीएफ जोखिमों के प्रबंधन के लिए आरई द्वारा उठाए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के आवेदन सहित आरई द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सलाह दे सकता है।

ii. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक और मेजबान देश के विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट केवाईसी/ एएमएल मानकों में कोई अंतर हो तो विनियमित संस्थाओं की शाखाओं/विदेशी अनुषंगियों को दोनों में से ज्यादा सख्त विनियम अपनाने होंगे।

iii. विदेश में निगमित बैंकों की शाखाओं/ अनुषंगियों को दोनों, यानि कि, भारतीय रिज़र्व बैंक और उनके गृह देश के विनियामकों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों में से ज्यादा सख्त विनियम अपनाने होंगे।

बशर्ते कि यह नियम अध्याय VI की पैराग्राफ 23 में बताए गए 'छोटे खातों' पर लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन निदेशों में दिए गए शब्दों के अर्थ वही होंगे, जो नीचे दिए गए हैं:

(ए) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में सम्मिलित शब्दों के दिए गए अर्थ:

i. [5]"आधार संख्या", का आशय है आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की पैराग्राफ (2) के खंड (ए) में दिया गया अर्थ।

---

[3] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

[4] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

[5] दिनांक 09 जनवरी 2020 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित

ii. क्रमशः "अधिनियम" और "नियम" का आशय है धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 और उनमें किए गए संशोधन।

iii. [6]"अधिप्रमाणन", आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में, आधार की पैराग्राफ 2 की उपपैराग्राफ (सी) के अंतर्गत परिभाषित प्रक्रिया का अर्थ है आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016

iv. हिताधिकारी स्वामी (बीओ)

ए. जहां **ग्राहक कोई कंपनी है**, वहां हिताधिकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ मिलकर, या एक अथवा एकाधिक विधिक संस्था के जरिए कार्य करता है एवं जिसके पास नियंत्रक स्वामित्व हैं या जो किसी और माध्यम से नियंत्रण रखता है।

स्पष्टीकरण - इस उपखंड के प्रयोजन के लिए -

1. [7]नियंत्रणकारी स्वामित्व हित'' का अर्थ है कंपनी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ का स्वामित्व या हकदारी।
2. "नियंत्रण'' शब्द में शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरहोल्डर समझौते या वोटिंग समझौते के कारण प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति या प्रबंधन का नियंत्रण या नीति निर्णय लेना सम्मिलित है।

बी. [8]जहां **ग्राहक कोई भागीदारी फ़र्म है**, वहां हिताधिकारी स्वामी वह/वे नैसर्गिक व्यक्ति है/हैं, जो अकेले या किसी के साथ मिलकर, या एक अथवा एकाधिक विधिक संस्था के जरिए, भागीदारी फार्म की पूंजी या लाभ में से 10 प्रतिशत से ज्यादा का स्वामित्व या हकदारी रखते हों अथवा जो अन्य तरीकों से नियंत्रण रखते हों।

स्पष्टीकरण - इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" में प्रबंधन अथवा नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

सी. जहां **ग्राहक कोई अनिगमित संस्था या व्यक्तियों का निकाय है**, वहां हिताधिकारी स्वामी वह/वे नैसर्गिक व्यक्ति है/हैं, जो अकेले या किसी के साथ मिलकर, या एक अथवा एकाधिक विधिक संस्था के जरिए, पूंजी या लाभ में से 15 प्रतिशत से ज्यादा का स्वामित्व या हकदारी रखते हों।

---

[6] दिनांक 29 मई 20219 के परिपत्र संख्या डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित

[7] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

[8] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों के निकाय' में सोसाइटी शामिल हैं। जब उपर्युक्त मद (क), (ख) या (ग) के अंतर्गत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान न की जा सकती हो, तब हिताधिकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति होगा जो वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के पद को धारण किए हो।

डी. [9]जहां ग्राहक कोई **न्यास** है, वहां हिताधिकारी स्वामी/स्वामियों की पहचान में ट्रस्ट निर्माता, ट्रस्टी, न्यास में 10% या उससे अधिक के लाभार्थी और कोई अन्य नैसर्गिक व्यक्ति जो किसी नियंत्रण शृंखला या स्वामित्व द्वारा न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, की पहचान को शामिल किया जाएगा।

v. [10]"प्रमाणित प्रति" - विनियमित इकाई द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ होगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार नंबर होने का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रतिलिपि की तुलना मूल के साथ की गई हो और इसे प्रतिलिपि पर विनियमित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दर्ज किया गया हो।

बशर्ते कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 {फेमा5 (आर)} में गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले में, वैकल्पिक रूप से, मूल सत्यापित प्रति, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित किया गया हो, प्राप्त किया जा सकता है:

- भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
- विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ भारतीय बैंक संबंध रखते हैं,
- विदेश में नोटरी पब्लिक,
- कोर्ट मजिस्ट्रेट,
- न्यायाधीश,
- जिस देश में गैर-निवासी ग्राहक रहता है, वहां भारतीय दूतावास/ कांसुलेट जनरल

vi. "सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) का आशय उक्त नियम के नियम 2(1) के अंतर्गत यथा पारिभाषित संस्था से है, जो किसी ग्राहक से केवाईसी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में प्राप्त, भंडारित तथा सुरक्षित रखती है और उपलब्ध कराती है।

---

[9] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित।
[10] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित।

vii. “पदनामित निदेशक’’ का आशय विनियमित संस्था द्वारा पीएमएल अधिनियम के अध्याय IV और नियम के अधीन अपेक्षित समस्त प्रतिबद्धताओं का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामित व्यक्ति से है और इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

   a. यदि विनियमित संस्था कोई कंपनी है तो प्रबंध निदेशक या निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत पूर्णकालिक निदेशक;
   b. प्रबंध भागीदार यदि रिपोर्ट करने वाली विनियमित संस्था भागीदारी फर्म है;
   c. यदि रिपोर्ट करने वाली विनियमित संस्था कोई स्वत्वधारित प्रतिष्ठान है तो स्वत्वधारी;
   d. यदि रिपोर्ट करने वाली विनियमित संस्था कोई न्यास है तो प्रबंधन्यासी;
   e. यदि विनियमित संस्था अनिगमित संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय हो तो यथास्थिति कोई व्यक्ति या व्यष्टि (Individual) जो विनियमित संस्था का नियंत्रण और कार्यों का प्रबंधन करता हो, और
   f. सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में ऐसा व्यक्ति जो वरिष्ठ प्रबंधन या समतुल्य रूप में ‘पदनामित निदेशक’ के रूप में पदनामित हों।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए 'प्रबंध निदेशक' और 'पूर्णकालिक निदेशक' शब्दों के वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 में दिया गया है।

viii. [11]“डिजिटल केवाईसी" का अभिप्राय है ग्राहक की लाइव फोटो कैप्चर करना और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार संख्या होने का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, साथ ही उस स्थान का अक्षांश और देशांतर भी होना चाहिए जहां उक्त लाइव फोटो अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग संस्था (आरई) के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ली जा रही हो।

ix. [12]“डिजिटल हस्ताक्षर" का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की पैराग्राफ (2) की उपपैराग्राफ (1) के खंड (पी) में इसे दिया गया है।

x. [13]“समतुल्य ई-अभिलेख"का अभिप्राय है किसी अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य, जिसे ऐसे अभिलेख जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा वैध डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी किया गया हो और जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटललॉकर सुविधाएं देने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते में जारी अभिलेख शामिल हैं।

[11] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।
[12] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।
[13] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।

xi. [14]"समूह" – शब्द "समूह" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की पैराग्राफ 286 की उप-पैराग्राफ (9) के खंड (ई) में दिया गया है।

xii. [15]"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आइडेंटिफायर" का अभिप्राय है किसी ग्राहक को केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री द्वारा दी गई अद्वितीय संख्या या कोड।

xiii. [16]"गैर लाभ अर्जक संगठन' (एनपीओ)" का अर्थ है कोई इकाई या संगठन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की पैराग्राफ 2 के खंड (15) में निर्दिष्ट धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए गठित, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी समान राज्य के अंतर्गत ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है कानून या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की पैराग्राफ 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी।

xiv. 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़' (ओवीडी) का अभिप्राय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,[17] आधार संख्या होने का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा के अंतर्गत जारी जॉब कार्ड और एनपीआर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता दिया गया हो।

बशर्ते कि,

ए. जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या होने का अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है।

बी. [18]जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, निम्नलिखित दस्तावेज या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माना जाएगा:-

i. किसी भी सेवा प्रदाता का यूटिलिटी बिल (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल) जो दो महीने से अधिक पुराना नहीं है;

ii. संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;

iii. पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं, यदि उसमें पता दिया गया है;

---

[14] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[15] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।
[16] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[17] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 के माध्यम से जोड़ा गया।
[18] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित।

iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचितवाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और ऐसे नियोक्ताओं को आधिकारिक आवास आवंटित करने के साथ अनुमति और अनुज्ञप्ति समझौते;

सी. ग्राहक ऊपर 'b" मे दिए गए दस्तावेजों को जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी प्रस्तुत करेगा

डी. जहां विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं होता है, ऐसे मामले में विदेशी न्याय क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज जारी होने केबाद नाम में कोई बदलाव होने पर भी उसे ओवीडी माना जाएगा, बशर्ते इसे राज्य सरकारद्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित किया गया हो और उसमें नाम में परिवर्तन इंगित हो।

xv. [19]"ऑफलाइन सत्यापन", का अभिप्राय वही होगा जो इसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की पैराग्राफ (2) के खंड (पीए) में दिया गया है।

xvi. "व्यक्ति" का आशय वही है जो अधिनियम में अभिहित है और इनमें निम्नलिखित शामिल हैं::

ए. कोई व्यक्ति,

बी. अविभक्त हिन्दू परिवार,

सी. कोई कंपनी,

डी. फ़र्म,

ई. व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नही,,

एफ. प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त (ए से ई) व्यक्तियों में से कोई नहीं है, और

जी. कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा जो उपर्युक्त (ए से एफ) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण में है।

xvii. [20]हटाया गया।

[19] दिनांक 29 मई, 2019 के डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित।

[20] दिनांक 04 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.66/14.01.001/2023-24 द्वारा हटाया गया।

xviii. [21]"प्रधान अधिकारी से आशय है विनियमित संस्था द्वारा नामित प्रबंधन स्तर का वह अधिकारी जो उक्त नियमो के नियम 8 के अंतर्गत सूचना देने के लिए जिम्मेदार है।

xix. "संदिग्ध लेनदेन" का आशय उस लेनदेन से है जिसे नीचे पारिभाषित किया गया है जिसमें ''लेनदेन (संव्यवहार) का प्रयास भी शामिल हैं, भले ही वह किसी सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे व्यक्ति के साथ नकद किया गया हो अथवा नहीं:

ए. यदि संदेह के लिए पर्याप्त कारण हो कि उसमें ऐसी आगम राशि शामिल है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों से अर्जित हुई हो, चाहे उसका मूल्य (राशि) कुछ भी क्यों न हो; अथवा

ब. असामान्य या अनुचित रूप से जटिल परिस्थितियों में किए गए प्रतीत होते हों; अथवा

सी. जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक प्रयोजन या वास्तविक कारण न प्रतीत होता हो

डी. जहां यह संदेह करने का कारण हो कि इसमें आतंकवाद का वित्तपोषणकरने वाले क्रियाकलाप शामिल हैं।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेनदेन जिनमें वे लेनदेन शामिल हैं जिनकी निधियों का संबंध आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों से होने का संदेह हो या किसी आतंकी अथवा आतंकी संगठन या आतंकवाद को वित्तपोषित करने या वित्तपोषण का प्रयास कर रहे व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त होने का संदेह हो।

xx. [22]"लघु खाते" का मतलब एक ऐसा बचत खाता जो पीएमएल नियम, 2005 के उप-नियम (5) के नियम 9 के अनुसार खोला गया है। एक लघु खाते के संचालन का विवरण और ऐसे खाते के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण के बारे में पैराग्राफ 23 में विनिर्दिष्ट हैं।

xxi. "लेनदेन" का आशय है कोई खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी रखना, उपहार देना, अंतरण करना या सुपुर्दगी करना अथवा इससे संबन्धित व्यवस्थाएँ करना और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ए. खाता खोलना;

बी. किसी भी मुद्रा में नकद या चेक द्वारा, पेमेंट ऑर्डर या किसी अन्य लिखत द्वारा या इलेक्ट्रोनिक या अन्य अमूर्त साधन द्वारा निधियों को जमा करना, आहरण, विनिमय या अंतरित करना;

सी. सुरक्षित जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी भी रूप का प्रयोग करना;

डी. कोई भी प्रत्ययी संबंध आरंभ करना;

---

[21] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

[22] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित

ई. किसी संविधानात्मक या वैधानिक (विधिक) दायित्व के लिए आंशिक या पूर्ण रूप में कोई भुगतान करना या भुगतान प्राप्त करना; अथवा

फ. कोई विधिक व्यक्ति (संस्था) बनाना या विधिक व्यवस्था स्थापित करना।

(बी) इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्दों का अर्थ वही होगा, जो नीचे दिया गया है:

i. "सामान्य रिपोर्टिंग मानक'' (सीआरएस) से तात्पर्य है कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहयोग कन्वेंशन में हस्ताक्षरित बहुपक्षीय करार के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वतः सूचना के विनिमय के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग मानक।

ii. [23]संपर्की बैंकिंग: संपर्की बैंकिंग एक बैंक ("संपर्की बैंक") द्वारा दूसरे बैंक ("प्रतिवादी बैंक") को बैंकिंग सेवाओं का प्रावधान है। प्रतिवादी बैंकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जा सकती है, जिसमें नकदी प्रबंधन (उदाहरण के लिए, विभिन्न मुद्राओं में ब्याज वाले खाते), अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर, चेक समाशोधन, खातों के माध्यम से देय और विदेशी मुद्रा सेवाएं शामिल हैं।

iii. "ग्राहक'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विनियमित संस्था के साथ किसी वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में शामिल है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से ऐसे लेनदेन अथवा गतिविधि में कोई व्यक्ति भाग ले रहा है।

iv. "वॉक इन ग्राहक" अर्थात नवागंतुक ग्राहक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका विनियमित संस्था से खाता आधारित संबंध नहीं है लेकिन वह विनियमित संस्था से लेनदेन करता है।

v. [24]"ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' (सीडीडी) का अभिप्राय पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके ग्राहक और हिताधिकारी स्वामी की पहचान और पुष्टि करने से है।

स्पष्टीकरण - सीडीडी, खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक की राशि का कभी-कभार लेनदेन करते समय, चाहे यह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हों, या किसी अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण संचालन के रूप में किया गया हो, इसमें शामिल होंगे:

ए. ग्राहक की पहचान, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जहां लागू हो

[23] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[24] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

बी. ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

सी. यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक किसी लाभकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, और लाभकारी स्वामी की पहचान करना और पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके लाभकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी कदम उठाना।

vi. “ग्राहक पहचान" का अभिप्राय 'ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' (सीडीडी) प्रक्रिया को पूरा करना।

vii. “एफ़एटीसीए” का अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम से है जो अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षा करता है कि विदेशी वित्तीय संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों अथवा ऐसी विदेशी संस्थाओं जिनमें अमेरिकी करदाताओं के भारी स्वामित्व हित हों, को रिपोर्ट करें।

viii. “आईजीए” का अभिप्राय भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के अंतर सरकारी करार से है जो अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन और अमेरिका के 'एफ़एटीसीए' 'को लागू करने में सुधार लाने से है।

ix. “केवाईसी टेंपलेट्स” का अभिप्राय उन टेंपलेट्स से है जो व्यक्तियों और विधिक संस्थाओं के लिए सीकेवाईसीआर को केवाईसी डेटा समेकन और प्रस्तुतीकरण से संबंधित हैं।

x. “अप्रत्यक्ष (गैर फ़ेस-टू face) ग्राहक" का अभिप्राय ऐसे ग्राहक से है जो विनियमित संस्था की शाखा/कार्यालयों पर आए बिना और विनियमित संस्थाओं केअधिकारियों से मिले बिना खाते खोलता है।

xi. [25]“सतत समुचित सावधानी" का अभिप्राय ग्राहक के खातों में होने वाले लेनदेनों की नियमित निगरानी करने से है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की वे ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल, निधि/धन के स्रोत के बारे में आरई के ज्ञान के अनुरूप हैं।

xii. [26]खातों के माध्यम से देय: खातों के माध्यम से देय शब्द उन संपर्की खातों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग सीधे तृतीय पक्षों द्वारा उनकी ओर से व्यापार करने के लिए किया जाता है।

[25] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[26] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

xiii. "आवधिक अद्यतनीकरण" का अभिप्राय ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया के अंतर्गत जुटाए गए दस्तावेज़, आंकड़े अथवा सूचना को अद्यतन रखने और रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि अंतरालों पर मौजूदा अभिलेखो की समीक्षा करने से है।

xiv. [27]"विनियमित संस्था" (आरई) का अभिप्राय

ए. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ लोकल एरिया बैंक/ सभी प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक/ राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा कोई अन्य संस्था जिसने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की पैराग्राफ 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किया हो, जिन्हें एक ग्रुप के रूप में बैंक कहा गया है

बी. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

सी. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

डी. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी)

ई. सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/सिस्टम सहभागी और प्री-पेड भुगतान लिखत जारी कर्ता

एफ. विनियामक द्वारा विनियमित सभी प्राधिकृत व्यक्ति जिनमें धनअंतरण सेवा योजना के एजेंट शामिल हैं।

xv. [28]शेल बैंक" का अर्थ एक ऐसे बैंक से है जिसकी उस देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है जिसमें इसे स्थापित किया गया है और लाइसेंस दिया गया है, और जो एक विनियमित वित्तीय समूह से असंबद्ध है जो प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के अधीन है। भौतिक उपस्थिति का अर्थ है एक देश के भीतर स्थित सार्थक मन और प्रबंधन। केवल एक स्थानीय एजेंट या निम्न स्तर के कर्मचारी का अस्तित्व भौतिक उपस्थिति का गठन नहीं करता है।

xvi. [29]"वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)": सीडीडी उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान की जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के साथ सहज, सुरक्षित, लाइव, सूचित-सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल बातचीत करके आरई के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा चेहरे की पहचान और ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी, और स्वतंत्र सत्यापन और प्रक्रिया के ऑडिट ट्रेल को बनाए रखने के माध्यम से ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का पता लगाने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है। निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को इस मास्टर निदेश के प्रयोजन के लिए आमने-सामने सीआईपी के समान माना जाएगा।

---

[27] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[28] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[29] दिनांक 10 मई, 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.सं.15/14.01.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

xvii. [30]"वायर ट्रांसफर" से संबंधित परिभाषाएँ:

ए. बैच ट्रांसफर : बैच ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें कई व्यक्तिगत वायर ट्रांसफर शामिल हैं जो एक ही वित्तीय संस्थाओं को भेजे जा रहे हैं लेकिन अंततः अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं।

बी. लाभार्थी: लाभार्थी किसी स्वाभाविक या कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसे / जिसकी पहचान प्रवर्तक द्वारा अनुरोधित वायर ट्रांसफर के प्राप्तकर्ता के रूप में की जाती है।

सी. लाभार्थी आरई: यह किसी ऐसी वित्तीय संस्था को संदर्भित करता है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जो आदेश देने वाली (ऑर्डरिंग) वित्तीय संस्था से सीधे अथवा किसी मध्यस्थ आरई के माध्यम से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है और लाभार्थी को धन उपलब्ध कराता है।

डी. कवर पेमेंट: कवर पेमेंट किसी ऐसे वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जो आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा सीधे लाभार्थी वित्तीय संस्थान को भेजे गए भुगतान संदेश को एक अथवा अधिक मध्यवर्ती वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान तक फंडिंग निर्देश (कवर) के रूटिंग के साथ जोड़ता है।

ई. सीमापार वायर ट्रांसफर: सीमापार वायर ट्रांसफर किसी ऐसे वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जहां ऑर्डर देने वाली वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान विभिन्न देशों में स्थित हैं। यह शब्द वायर ट्रांसफर की किसी भी श्रृंखला को भी संदर्भित करता है जिसमें शामिल वित्तीय संस्थानों में से कम से कम एक अन्य देश में स्थित है।

एफ. घरेलू वायर ट्रांसफर: घरेलू वायर ट्रांसफर किसी ऐसे वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जहां ऑर्डर देने वाली वित्तीय संस्थान और लाभार्थी वित्तीय संस्थान भारत में स्थित हैं। इसलिए, यह शब्द वायर ट्रांसफर की किसी भी श्रृंखला को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर होता है, भले ही भुगतान संदेश को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली किसी अन्य देश में स्थित हो।

जी. वित्तीय संस्था: वायर-ट्रांसफर निर्देशों के संदर्भ में, शब्द 'वित्तीय संस्था' का वही अर्थ होगा जो एफएटीएफ सिफारिशों में दिया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

---

[30] दिनांक 4 मई, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

एच. मध्यस्थ आरई: मध्यस्थ आरई यह शब्द किसी ऐसी वित्तीय संस्थान या किसी अन्य संस्थान को संदर्भित करता है, जिसे आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, जो एक सीरियल या कवर पेमेंट श्रृंखला में वायर ट्रांसफर के एक मध्यस्थ तत्व को संभालता है और जो आदेश देने वाली वित्तीय संस्था और लाभार्थी वित्तीय संस्था, या अन्य मध्यस्थ वित्तीय संस्था की ओर से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है और प्रसारित करता है।

ई. ऑर्डरिंग आरई: ऑर्डरिंग आरई शब्द ऐसी वित्तीय संस्था को संदर्भित करता है, जो आरबीआई द्वारा विनियमित होता है, जो वायर ट्रांसफर प्रारम्भ करता है और प्रवर्तक की ओर से वायर ट्रांसफर के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर धन हस्तांतरित करता है।

जे. प्रवर्तक (ओरिजिनेटर): प्रवर्तक उस खाता धारक को संदर्भित करता है जो उस खाते से वायर ट्रांसफर की अनुमति देता है, अथवा जहां कोई खाता नहीं है, स्वाभाविक या कानूनी व्यक्ति जो आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान को वायर ट्रांसफर करने के लिए आदेश देता है।

के. सीरियल पेमेंट: सीरियल पेमेंट भुगतान की एक सीधी अनुक्रमिक श्रृंखला को संदर्भित करता है जहां आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से सीधे लाभार्थी वित्तीय संस्थान या एक या एक से अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों (जैसे, संवाददाता बैंक) के माध्यम से वायर ट्रांसफर और साथ में भुगतान-संदेश एक साथ यात्रा करते है।एल. स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग (सीधे प्रक्रमण के माध्यम से): स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग से तात्पर्य ऐसे भुगतान लेनदेन से है जो मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित किए जाते हैं।

एम. विशिष्ट लेन-देन संदर्भ संख्या (यूनिक ट्रैंज़ैक्शन रेफरेंस नंबर): विशिष्ट लेन-देन संदर्भ संख्या, भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित भुगतान और निपटान प्रणाली या वायर ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाने वाली संदेश प्रणाली के प्रोटोकॉल के अनुसार अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों के संयोजन को संदर्भित करती है।

एन. वायर ट्रांसफर: वायर ट्रांसफर किसी प्रवर्तक की ओर से किसी वित्तीय संस्था के माध्यम से लाभार्थी वित्तीय संस्था में लाभार्थी को धन की राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से किए गए किसी भी लेनदेन को संदर्भित करता है, भले ही प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति हों।

(सी) सभी अन्य अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, धनशोधन निवारण अधिनियम

2002 और धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम 2005,[31] आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम, कोई सांविधिक संशोधन अथवा इनके पुनः अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक शब्दों में, जैसा भी मामला हों, में दिए गए हैं।

अध्याय-II

सामान्य

4. (ए) विनियमित संस्था की अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी एक नीति होगी जो विनियमित संस्था के निदेशक बोर्ड या बोर्ड की कोई और समिति, जिसे एतदर्थ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।

[32](बी) पीएमएल नियमों के अनुसार, पीएमएल अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अध्याय IV के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से समूहों को समूह-व्यापी नीतियों को लागू करना आवश्यक है। तदनुसार, प्रत्येक आरई द्वारा, जो एक समूह का हिस्सा है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण के विरुद्ध समूह-व्यापी कार्यक्रम सहित, ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी और मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी वित्त जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए समूह-व्यापी नितिया लागू की जाएगी तथा ऐसे कार्यक्रमों में गोपनीयता और आदान-प्रदान की गई जानकारी के उपयोग पर पर्याप्त सुरक्षा उपायो सहित टिप-ऑफ को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी शामिल होंगे।

[33](सी) आरईएस द्वारा नीतिगत ढांचे को पीएमएल अधिनियम/नियमों के सहित इस संबंध में विनियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करनाचाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग**,** आतंकवादी वित्तपोषण**,** प्रसार वित्तपोषण और अन्य संबंधित जोखिमों से उत्पन्न होने वाले खतरों के विरुद्ध एक बचाव प्रदान किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कानूनी/नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते समय**,** आरई को जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एफएटीएफ मानकों और एफएटीएफ मार्गदर्शन नोटों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

5. केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार मुख्य तत्व शामिल होंगे:

ए. ग्राहक स्वीकरण नीति;

---

[31] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 के माध्यम से जोड़ा गया।

[32] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[33] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

बी. जोखिम प्रबंधन;

सी. ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी) और

डी. लेनदेनों की देखरेख (मॉनीटरिंग)

[34]5ए. विनियमित संस्थाओं द्वारा धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम आकलन:

(ए) विनियमित संस्थाओं द्वारा समय-समय पर 'धनशोधन (एमएल) और आतंकवाद को वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम आकलन के अभ्यास किए जाएगें, ताकि वे ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनलों आदि में इसके धन शोधन और आतंकवाद को वित्तपोषण जोखिम की पहचान, आकलन और इसे कम करने के लिए प्रभावी उपाय कर सकें।

मूल्यांकन प्रक्रिया को समग्र जोखिम के स्तर और कमी के लिए लागू किए जाने वाले उचित स्तर और उपाय के प्रकार का निर्धारण करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करना चाहिए। एमएल/टीएफ जोखिम का आकलन करते समय, विनियमित संस्थाओं को समग्र क्षेत्र-विशेष की असुरक्षाओं, यदि कोई हो,का संज्ञान लेना आवश्यक है जिसे विनियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर विनियमित संस्था के साथ साझा कर सकते है।

(बी) विनियमित संस्थाओं द्वारा जोखिम आकलन को समुचित रूप से प्रलेखित किए जाएंगे और विनियमित संस्था की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों/संरचना की जटिलता आदि के अनुरूप होगा। इसके अतिरिक्त, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की अवधि का निर्धारण विनियमित संस्था के बोर्ड अथवा आरई के बोर्ड की कोई समिति जिसे इस संबंध में शक्ति सौंपी गई है द्वारा जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के साथ संरेखन में की जाएगी। हालांकि इसकी कम से कम वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(सी) इस अभ्यास का परिणाम बोर्ड या बोर्ड की किसी समितिके समक्ष प्रस्तुत जाएगा जिसे इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और सक्षम प्राधिकारियों और स्व-विनियमन निकायों को उपलब्ध किया जाना चाहिए।

[35]5बी. जोखिमों (स्वयं या राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से पहचान किए गए) के शमन और प्रबंधन के लिए आरई द्वारा जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू किया जाएगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आरईएस पहचाने गए एमएल/टीएफ जोखिमों और व्यवसाय के आकार को ध्यान में रखते हुए एक सीडीडी कार्यक्रम लागू करेगा। इसके अलावा, आरईएस नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगा।

---

[34] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[35] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 के महद्यम से जोड़ा गया।

6. पदनामित निदेशक:

(ए) 'पदनामित निदेशक' से तात्पर्य आरई द्वारा पदनामित व्यक्ति से है जो पीएमएल अधिनियम के अध्याय IV तथा नियम के अधीन दायित्वों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है और जिन्हें बोर्ड द्वारा 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित किया जाता है।

(बी) 'पदनामित निदेशक' का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

(सी) [36]इसके अलावा, पदनामित निदेशक का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा।

(डी) किसी भी स्थिति में प्रधान अधिकारी को 'पदनामित निदेश' के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

7. प्रधान अधिकारी:

(ए) प्रधान अधिकारी कानून/ विनियमों की अपेक्षानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने, लेनदेन की निगरानी और सूचना साझा तथा उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(बी) 'प्रधान अधिकारी' का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

(सी) [37]इसके अलावा, नामित प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम, पता और संपर्क विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक को भी सूचित किया जाएगा।

8. केवाईसी नीति का अनुपालन

(ए) विनियमित संस्थाएं निम्नलिखित के द्वारा केवाईसी के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगी:

(i) केवाईसी के अनुपालन के लिए 'वरिष्ठ प्रबंध तंत्र' में कौन शामिल हैं, इसका विनिर्देशन करना।

(ii) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यांवयन के लिए जिम्मेदारी आबंटित/तय करना।

(iii) अनुपालन कार्य में विनियमित संस्था की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन करना।

(iv) समवर्ती/आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली द्वारा केवाईसी/एएमएल नीतियों और क्रियाविधियों के अनुपालन की जांच करना/सत्यापन करना।

---

[36] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[37] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

(v) लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही लेखापरीक्षा नोट और अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना।

(बी) आरई यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी मानदंडों के अनुपालन को निर्धारित करने के निर्णय लेने के कार्य आउटसोर्स नहीं किए जाएंगे।

अध्याय-III

ग्राहक स्वीकरण नीति

9. विनियमित संस्थाएं ग्राहक स्वीकरण नीति बनाएँ।

10. ग्राहक स्वीकरण नीति में समाविष्ट सामान्य आयामों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि:

ए. छद्मनाम से या फर्जी/ बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाए।

बी. [38]जिन मामलों में विनियमित संस्था ग्राहकों के संबंध में समुचित सावधानी संबंधी उपाय या तो ग्राहक के असहयोग या ग्राहक द्वारा उपलब्ध करायेगए दस्तावेजों/ सूचना की अविश्वसनीयता के कारण लागू न कर पाए, उन मामलों में खाता न खोला जाए। यदि आवश्यक हो तो आरई एसटीआर दाखिल करने पर विचार करेगा, जब वह ग्राहक के संबंध में प्रासंगिक सीडीडी उपायों का अनुपालन करने में असमर्थ हो।

सी. समुचित सावधानी उपायों का पालन किए बिना कोई लेनदेन या खाताआधारित संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा।

डी. खाता खोलने और आवधिकअद्यतनीकरण के दौरान केवाईसी के लिए मांगी गई अनिवार्य सूचना विनिर्दिष्ट की जाएगी।

ई. [39]अतिरिक्त जानकारी, जहां आरई की आंतरिक केवाईसी नीति में ऐसी सूचना आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं की गई है, ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।

एफ. [40]विनियमित संस्थाओं द्वारा यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया लागू की जाएंगी। इसलिए, आरई का वर्तमानत: केवाईसी अनुपालित एक ग्राहक यदि उसी आरई के अधीन कोई अन्य खाता खोलना चाहता हैं या उसी आरई से कोई अन्य उत्पाद या सेवा प्राप्त करना चाहता है तो जहां तक ग्राहक की पहचान का सवाल है, नए सीडीडी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी।

जी. संयुक्त खाता खोलते समय सभी खाता धारियों के लिए सीडीडी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

एच. जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

---

[38] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[39] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

[40] दिनांक 6 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी. 49/14.01.001/2024-25 द्वारा संशोधित किया गया।

आई. [41]ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल नहीं खाती है, जिसका नाम इस एमडी के अध्याय IX में इंगित प्रतिबंध सूची में शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाए।

जे. [42]जहां स्थायी खाता संख्या (पैन) लिया जाता है, वहाँ उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन प्रणाली से सत्यापित किया जाएगा।

के। [43]जहां ग्राहक से समतुल्य ई-दस्तावेज़ लिया जाता है, आरई डिजिटल हस्ताक्षर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के (2000 का 21) के अनुसार सत्यापित करेंगे।

एल. [44]जहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरण उपलब्ध हैं, वहां जीएसटी संख्या जारी करने वाले प्राधिकरण की खोज/सत्यापन सुविधा से सत्यापित की जाएगी।

11. ग्राहक स्वीकरण नीति के परिणाम स्वरूप सामान्य जनता, खास तौर से, सामाजिक और वित्तीय रूप से वंचित व्यक्तियों, [45]जिनमें दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) भी शामिल हैं, को बैंकिंग/ वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध/ प्राप्त होने में अडचन न आएं। ऑनबोर्डिंग अथवा केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए कोई भी आवेदन बिना सोचे-समझे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृति का/के कारण संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत दर्ज किया जाएगा।

[46]**11ए.** जहां आरई को मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण का संदेह उत्पन्न होता है, और यह यथोचित रूप से माना जाता है कि सीडीडी प्रक्रिया करने से ग्राहक को सूचना मिलेगी, और वह सीडीडी प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा, और इसके बजाय एफआईयू-आईएनडी के साथ एक एसटीआर फाइल करेगा।

---

[41] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।
[42] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।
[43] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया।
[44] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[45] दिनांक 14 अगस्त, 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी. 46/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।
[46] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

अध्याय-IV

जोखिम प्रबंधन

12. जोखिम प्रबंधन के लिए विनियमित संस्थाएं जोखिम आधारित रुख अपनाएंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

ए. ग्राहकों को विनियमित संस्थाओं के आकलन और जोखिम अनुमान केआधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

बी. [47]ग्राहकों के जोखिम-वर्गीकरण के लिए आरई द्वारा व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए जा सकते हैं।

सी. [48]जोखिम वर्गीकरण मापदंडों जैसे ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, और ग्राहक के व्यवसाय और उनके स्थान के बारे में जानकारी, ग्राहकों के साथ-साथ लेनदेन को कवर करने वाला भौगोलिक जोखिम, प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं की डिलीवरी के लिए उपयोग किया जाने वाला डिलीवरी चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार - नकद, चेक/मौद्रिक लिखत, वायर ट्रांसफर विदेशी मुद्रा लेनदेन, आदि के आधार पर किया जाएगा। ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, ऑनलाइन या जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के माध्यम से पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

डी. [49]ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण और ऐसे वर्गीकरण के विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा और ग्राहक को सूचना देने से बचने के लिए ग्राहक को प्रकट नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि कथित जोखिम से संबंधित ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से एकत्र की गई विभिन्न अन्य जानकारी गैर-दखल देने वाली हो और इसे केवाईसी नीति में निर्दिष्ट किया गया हो।

[50]स्पष्टीकरण: एफएटीएफ सार्वजनिक वक्तव्य, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अन्य एजेंसियों, आदि द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोट्स का भी जोखिम मूल्यांकन में उपयोग किया जा सकता है।

---

[47] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[48] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।
[49] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।
[50] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

अध्याय-V

ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी)

13. विनियमित संस्थाओं को निम्नलिखित स्थितियों में ग्राहकों की पहचान करनी होगी:

ए. ग्राहक के साथ कोई खाता आधारित संबंध शुरू करते समय।

बी. [51]किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अंतरण करते समय, जो बैंक का खाताधारक न हो।

सी. जब बैंक को स्वयं द्वारा प्राप्त किए गए ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता को लेकर कोई संदेह हो।

डी. किसी तृतीय पार्टी के उत्पाद एजेंट के रूप में बेचते समय, स्वयं अपने उत्पाद बेचते समय, क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान करते समय और प्रीपेड/यात्रा कार्ड का विक्रय और रीलोडिंग तथा 50,000/- रूपए से अधिक का कोई भी अन्य उत्पाद बेचते समय।

ई. किसी गैर-खाता-आधारित ग्राहक के लिए लेन-देन करना, जो कि एक वॉक-इन ग्राहक है, जिसमें शामिल राशि पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक है, चाहे एकल लेनदेन के रूप में या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।

एफ. जब किसी विनियमित संस्था के पास यह विश्वास करने का कारण मौजूद हो कि कोई ग्राहक (खाताधारी या नवागंतुक) किसी लेनदेन को इरादतन 50,000/- रूपए से कम के लेनदेनों को शृंखला में बदल रहा है।

जी. आरई यह सुनिश्चित करेगा कि खाता खोलते समय परिचय नहीं मांगा जाए।

14. खाता-आधारित संबंध प्रारंभ करते समय [52]या पचास हजार रुपये के बराबर अथवा उससे अधिक राशि का यदा-कदा लेन-देन करते समय, चाहे वह एकल लेन-देन हो अथवा कई लेन-देन जो आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हों, अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण परिचालन हो, ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए विनियमित संस्थाएं तृतीय पक्ष द्वारा ग्राहकों के संबंध में किए गए समुचित सावधानी उपायों का सहारा लेने का विकल्प निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपना सकती हैं:

---

[51] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

[52] दिनांक 14 अगस्त 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.46/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।

ए. [53]तृतीय पक्ष द्वारा ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी के अंतर्गत संकलित आवश्यक जानकारी या रेकॉर्ड तृतीय पक्ष से या केंद्रीय केवाईसी रेकॉर्ड रजिस्ट्री से तुरंतप्राप्त की जाए;
बी. विनियमित संस्था स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक उपाय करे कि ग्राहक संबंधी पहचान डेटा और समुचित सावधानी से संबंधित/ सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां तृतीय पक्ष से अनुरोध करने पर अविलंब प्राप्त हो जाएंगी।

सी. तृतीय पक्ष विनियमित, पर्यवेक्षित हो और उसे मानीटर किया जाता है और धनशोधन निवारण अधिनियम की अपेक्षाओं और दायित्वों को पूरा करने के अधीनग्राहक संबंधी समुचित सावधानी और रिकार्ड-कीपिंग अपेक्षाओं के लिए उसने समुचित उपाए किए हैं।

डी. तृतीय पक्ष उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं है।

ई. अंततः विनियमित संस्था ग्राहक से संबंधित समुचित सावधानी के लिए और यथाप्रयोज्य उच्चतर समुचित सावधानी उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

[53] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

अध्याय-VI

ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी प्रक्रिया (सीडीडी)

भाग I – व्यक्तियों के मामले में सीडीडी प्रक्रिया

15. [54]हटाया गया

16. [55]सीडीडी के लिए, आरई एक व्यक्ति से खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संव्यवहार करते हुए जो एक लाभार्थी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता या किसी कानूनी इकाई से संबंधित पॉवर अटॉर्नी धारक है, से निम्नलिखित दस्तावेज़ प्राप्त करेगा:

(ए) आधार संख्या, जहां,

i वह आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की पैराग्राफ 7 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक है; अथवा

ii वह अपना आधार संख्या स्वेच्छा से किसी बैंकिंग कंपनी या पीएमएल अधिनियम की पैराग्राफ 11 ए की उप-पैराग्राफ (1) के पहले परंतुक के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी रिपोर्टिंग इकाई को प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है; अथवा

(एए) आधार संख्या होने का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है; अथवा

(एबी) आधार संख्या होने का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है; या कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) या उसकी पहचान और पते के विवरण वाला समतुल्य ई-अभिलेख; तथा

[56](एसी) सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; और

(बी) स्थायी खाता संख्या या उसके समतुल्य ई-अभिलेख या फॉर्म संख्या 60 जैसा कि आयकर नियम, 1962 में परिभाषित है; तथा

(सी) आरई द्वारा अपेक्षित अन्य अभिलेख जिसमें ग्राहक के व्यवसाय या वित्तीय स्थिति की प्रकृति से संबंधित अभिलेख शामिल हैं या उनके समतुल्य ई-अभिलेख।

बशर्ते कि,जहां ग्राहक ने निम्नलिखित जमा किया है,

---

[54] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा हटाया गया।

[55] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[56] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

i) उपर्युक्त खंड (k) के अंतर्गत किसी बैंकिंग कंपनी या पीएमएल अधिनियम की पैराग्राफ 11 ए की उप-पैराग्राफ (1) के पहले परंतुक के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी रिपोर्टिंग इकाई अंतर्गत आधार संख्या जमा किया है, वहां ऐसे बैंक या आरई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दी गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग कर ग्राहक की आधार संख्या का प्रमाणीकरण करेंगे। जहां ग्राहक ने पहचान के लिए उपर्युक्त पैरा (सी.I.i) के अंतर्गत अपना आधार नंबर दिया है और वह केंद्रीय पहचान डेटारिपॉजिटरी में उपलब्ध पहचान सूचना में दिए गए पते से अलग वर्तमान पता देना चाहता है, तो विनियमित संस्था को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।

ii) उपर्युक्त खंड (कक) के अंतर्गत आधार होने का प्रमाण जमा किया है और जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है, आरई ऑफ़लाइन सत्यापन करेंगे।

iii) किसी भी ओवीडी का समतुल्य ई-अभिलेख जमा किया है, आरई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत जारी किसी नियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेंगे और **अनुलग्नक I** में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाइव फोटो लेंगे।

iv) कोई ओवीडी अथवा उपर्युक्त खंड (कख) के अंतर्गत आधार संख्या होने का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, आरई मास्टर निदेश के **अनुलग्नक I** के अनुसार विनिर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी द्वारा सत्यापन करेंगे।

[57]v) उपर्युक्त खंड (एसी) के अंतर्गत केवाईसी पहचानकर्ता**,** आरई पैराग्राफ 56 के अनुसार सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि**,** सरकार द्वारा आरई के किसी वर्ग के लिए अधिसूचित तिथि से भीतर की अवधि के लिए**,** ऐसे वर्ग में शामिल आरई, डिजिटल केवाईसी करने की बजाय आधार संख्या होने के प्रमाण की सत्यापित प्रति लें या ओवीडी और एक हाल का फोटोग्राफ लें, जहां समतुल्य ई-अभिलेख जमा नहीं किया गया है।

बशर्ते यह भी कि यदि ई-केवाईसी का प्रमाणीकरण, किसी व्यक्ति को जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की पैराग्राफ 7 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी योजना के अंतर्गत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक है और चोट, बीमारी या

[57] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

वृद्धावस्था या अन्य इसी तरह के कारण से अशक्त है,नहीं किया जा सकता वहां, आरई आधार नंबर प्राप्त करने के अलावा, अधिमानतः ग्राहक से किसी अन्य ओवीडी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करके ऑफ़लाइन या वैकल्पिक सत्यापन करेंगे। इस तरह से किए गए सीडीडी को हमेशा आरई के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के अपवाद कार्य भी समवर्ती लेखा परीक्षा का एक हिस्सा होगा जैसा कि पैराग्राफ 8 में अधिदेशित है। आरई केंद्रीकृत अपवाद डाटाबेस में अपवाद कार्य के मामलों को विधिवत दर्ज करना सुनिश्चित करेगा। डेटाबेस में अपवाद, ग्राहक विवरण, नामित अधिकारी के नाम के अपवाद और अतिरिक्त विवरण, यदि कोई अधिकृत करने के आधार के विवरण होंगे।डेटाबेस आरई द्वारा आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण के अधीन होगा और पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा।

स्पष्टीकरण 1: जहां ग्राहक अपना आधार नंबर होने का प्रमाण आधार नंबर के साथ जमा करता है, वहाँ आरई यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ग्राहक उचित माध्यम से अपने आधार नंबर को रेडक्ट करें या ब्लैक आउट करें जहां उपर्युक्त परंतुक 1 के अंतर्गत आधार संख्या के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण [58]आधार चेहरा प्रमाणीकरण सहित, बैंक अधिकारी/ व्यवसाय प्रतिनिधि/ व्यवसाय सुविधा प्रदाता द्वारा किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण 3: आधार का उपयोग, आधार होने का प्रमाणन आदि, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार होगा।

17. आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्ष मोड में खोले गए खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

i. ओटीपी के माध्यम से अधिप्रमाणन करने के लिए ग्राहक से विनिर्दिष्ट सहमति ली जानी चाहिए।
ii. [59]ऐसे खातों के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि लेन-देन अलर्ट, ओटीपी आदि केवल ग्राहक के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएं। आरई के पास ऐसे खातों में मोबाइल नंबर बदलने के अनुरोधों से निपटने के लिए समुचित सावधानी की एक मजबूत प्रक्रिया को चित्रित करने वाली एक बोर्ड अनुमोदित नीति होगी।

[58] दिनांक 14 अगस्त 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.46/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।

[59] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

iii. ग्राहक के सभी जमा खातों की कुल शेष राशि एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। यदि शेष राशि सीमा से अधिक हो जाती है, तो खाते का संचालन तब तक बंद रहेगा, जब तक नीचे (vi) में उल्लिखित सीडीडी पूरा नहीं हो जाता।

iv. किसी वित्त वर्ष में सभी जमाओं की समग्र राशि, सभी जमा खातों को मिलाकर, दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

v. उधार खातों के संबंध में, केवल सावधि ऋणों की मंजूरी दी जाएगी। मंजूर की गई सावधि ऋणों की समग्र राशि एक वर्ष में साठ हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

vi. [60]ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए जमा और उधार दोनों खातों को एक वर्ष से अधिक समय तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि पैराग्राफ 16 के अनुसार या पैराग्राफ 18 (वी-सीआईपी) के अनुसार पहचान नहीं की जाती है। यदि पैराग्राफ 18 के अंतर्गत आधार विवरण का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया का नए आधार ओटीपी प्रमाणीकरण सहित पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

vii. यदि उक्त बताए अनुसार सीडीडी प्रक्रिया जमा खातों के संबंध में एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो उसे तुरंत बंद किया जाएगा। उधार खातों के संबंध में, और अधिक नामे की अनुमति नहीं दी जाएगी।

viii. [61]ग्राहक से इस आशय की एक घोषणा प्राप्त की जाएगी कि किसी अन्य आरई के साथ नॉन-फेस-टू-फेस मोड में ओटीपी आधारित केवाईसी का उपयोग करके कोई अन्य खाता नहीं खोला गया है और न ही खोला जाएगा। इसके अलावा, सीकेवाईसीआर को केवाईसी जानकारी अपलोड करते समय, आरई स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि ऐसे खाते ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए हैं और अन्य आरई ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के साथ खोले गए खातों की केवाईसी जानकारी के आधार पर गैर-फेस-टू-फेस मोड में खाते नहीं खोलेंगे।

ix. विनियमित संस्थाएं उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में चेतावनी (अलर्ट) उत्पन्न करने की प्रणाली सहित सख्त निगरानी क्रियाविधि बनाएंगी।

18. [62]आरई निम्न के लिए वी-सीआईपी कर सकते हैं:

---

[60] दिनांक 10 मई, 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.सं.15/14.01.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

[61] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित किया गया।

[62] दिनांक 10 मई, 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.सं.15/14.01.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

i) व्यक्तिगत ग्राहकों के मामले में नए ग्राहक, स्वामित्व फर्म के मामले में स्वामी, विधिक इकाई (एलई) ग्राहकों के मामले में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और हिताधिकारी स्वामी (बीओ) के ऑन-बोर्डिंग के लिए सीडीडी।

[63]बशर्ते कि, स्वामित्व फर्म की सीडीडी के मामले में, स्वामी के संदर्भ में सीडीडी करने के अलावा, पैराग्राफ 28 और पैराग्राफ 29 में उल्लिखित स्वामित्व फर्म के संबंध में गतिविधि प्रमाणों के समकक्ष ई-दस्तावेज भी आरई प्राप्त करेगा।

ii) पैराग्राफ 17 के अनुसार आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करके नॉन-फेस टू फेस मोड में खोले गए मौजूदा खातों का रूपांतरण।

iii) पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का अद्यतनीकरण/ आवधिक अद्यतनीकरण।

वी-सीआईपी शुरू करने का विकल्प चुनने वाले आरई निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन करेंगे:

(ए) वी-सीआईपी बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर)

i) बैंकों के लिए न्यूनतम मूलभूत साइबर सुरक्षा तथा रेसिलियन्स फ्रेमवर्क पर आरबीआई द्वारा जारी तथा समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों और साथ ही आईटी जोखिमों पर अन्य सामान्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन आरई को सुनिश्चित करना है। आरई प्रौद्योगिकी संबंधित तकनीकी ढांचा अपने ही परिसर में रखे और वी-सीआईपी कनेक्शन और बातचीत अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के सुरक्षित नेटवर्क डोमेन से उत्पन्न हो। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रौद्योगिकी से संबंधित आउटसोर्सिंग आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। [64] जहाँ क्लाउड परिनियोजन मॉडल का उपयोग किया जाता है, वहाँ यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मॉडल में डेटा का स्वामित्व केवल आरई के पास हो और वी-सीआईपी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद वीडियो रिकॉर्डिंग सहित सभी डेटा क्लाउड सर्वर, यदि कोई, सहित आरई के विशेष रूप से स्वामित्व / लीज पर लिए गए सर्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए और आरई के वी-सीआईपी की सहायता करने वाले क्लाउड सेवा प्रदाता या तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकी प्रदाता द्वारा कोई डेटा नहीं रखा जाए।

ii) आरई, उपयुक्त एन्क्रिप्शन मानकों के अनुसार, ग्राहक डिवाइस और वी-सीआईपी अनुप्रयोग के होस्टिंग बिंदु के बीच डेटा का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगा। ग्राहक की सहमति को ऑडिटेबल और अपरिवर्तनीय तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।

---

63 दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

64 दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

iii) वी-सीआईपी ढांचा/ अनुप्रयोग भारत के बाहर के आईपी पतों या स्पूफ्ड आईपी पतों से कनेक्शन को रोकने में सक्षम होना चाहिए।

iv) वीडियो रिकॉर्डिंग में वी-सीआईपी लेने वाले ग्राहक का लाइव जीपीएस को-ऑर्डिनेट्स (जियो-टैगिंग) और दिनांक-समय मोहर होनी चाहिए। वी-सीआईपी में लाइव वीडियो की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए जिससे ग्राहक की पहचान में कोई संदेह नहीं रहे।

v) एप्लीकेशन में फेस लाइवनेस/ स्पूफ डिटेकशन के साथ-साथ सटीकता के उच्च स्तर सहित फेस मेचिंग तकनीक के घटक होंगे, यद्यपि किसी भी ग्राहक पहचान की अंतिम जिम्मेदारी आरई पर है। उपयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि वी-सीआईपी सुदृढ है।

vi) जाली पहचान के पता लगाए/ किए गए प्रयास / 'लगभग चूक' के मामलों के अनुभव के आधार पर, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ काम के प्रवाह सहित प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को नियमित रूप से अपग्रेड किया जाएगा। वी-सीआईपी के माध्यम से जाली पहचान का कोई भी मामला मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा घटना के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

vii) [65]वी-सीआईपी बुनियादी ढांचे को अपनी सुदृढता और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परीक्षण जैसे संवेदंशीलता मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षण और एक सुरक्षा ऑडिट से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए किसी भी महत्वपूर्ण गैप को इसके कार्यान्वयन से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह के परीक्षण भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) के सूचीबद्ध लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने चाहिए। ऐसे परीक्षण आंतरिक/नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आवधिक रूप से भी किए जाने चाहिए।

viii) वी-सीआईपी एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर और प्रासंगिक एपीआईएस / वेबसर्विसेस लाइव वातावरण में उपयोग किए जाने से पहले कार्यात्मक, प्रदर्शन (निष्पादन), रखरखाव शक्ति के उपयुक्त परीक्षण से गुजरेंगे। इस तरह के परीक्षणों के दौरान पाए जाने वाले किसी भी महत्वपूर्ण गैप को भरने के बाद ही एप्लिकेशन को रोल आउट किया जाना चाहिए। इस तरह के परीक्षण आंतरिक/ विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए जाएंगे।

[65] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

(बी) वी-सीआईपी प्रक्रिया

i) प्रत्येक आरई वी-सीआईपी के लिए एक स्पष्ट कार्य प्रवाह और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा और इसका पालन सुनिश्चित करेगा। वी-सीआईपी प्रक्रिया केवल आरई के अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अधिकारी लाइवलिनेस की जांच करने में सक्षम होना चाहिए और ग्राहक के किसी अन्य धोखाधड़ी, जालसाजी या संदिग्ध आचरण का पता लगाना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। [66]जीवंतता जांच (लाइवलिनेस) के परिणामस्वरूप विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को अपवर्जित नहीं रखा जाएगा।

ii) [67]वीडियो का रुकना, कॉल फिर से कनेक्ट होना आदि सहित किसी भी प्रकार के व्यवधान के परिणामस्वरूप कई वीडियो फ़ाइलें नहीं बननी चाहिए। यदि विराम या व्यवधान के कारण कई फाइलें नहीं बन रही हैं, तो आरई द्वारा नया सत्र शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कॉल ड्रॉप/डिस्कनेक्शन के मामले में, नए सत्र की शुरुआत की जाएगी।

iii) वीडियो इंटरैक्शन के दौरान अनुक्रम और/ या प्रश्नों के प्रकार जिसमें इंटरैक्शन का लाइव होना दर्शाता है, विविध होंगे जिससे कि यह स्थापित हो कि इंटरैक्शन वास्तविक-समय हैं और पूर्व-रिकॉर्ड नहीं हैं।

iv) यदि ग्राहक की ओर से कोई भी प्रबोधन (प्राम्टिंग) देखा गया तो, खाता खोलने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा।

v) वी-सीआईपी ग्राहक के एक मौजूदा अथवा नए ग्राहक होने का तथ्य, या यदि यह पहले से रद्द किए गए किसी मामले से संबंधित है अथवा किसी नकारात्मक सूची में नाम को दर्शाया गया हो तो कार्य प्रवाह के उचित चरण में उसे फैक्टर किया जाना चाहिए।

vi) वी-सीआईपी का निष्पादन करने वाले आरई के अधिकृत अधिकारी पहचान के लिए मौजूद ग्राहक की तस्वीर खींचने के साथ-साथ निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके पहचान की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड करेंगे:

ए. ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण

बी. पहचान के लिए आधार का ऑफलाइन सत्यापन

सी. ग्राहक द्वारा प्रदत्त केवाईसी आइडेंटिफाइर का उपयोग करते हुए पैराग्राफ 56 के अनुसार सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किया गया केवाईसी रिकॉर्ड

---

[66] दिनांक 14 अगस्त 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.46/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।

[67] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

डी. डिजीलॉकर के माध्यम से जारी दस्तावेजों सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) का समतुल्य ई-दस्तावेज

आरई पैराग्राफ 16 के संदर्भ में आधार संख्या को संपादित या ब्लैकआउट(ढकना) सुनिश्चित करेगा।

[68] एक्सएमएल फ़ाइल या सुरक्षित आधार क्युआर कोड का उपयोग करके आधार के ऑफ़लाइन सत्यापन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक्सएमएल फ़ाइल या क्युआर कोड जनरेशन की तारीख वी-सीआईपी करने से 3 दिन से अधिक पुरानी नहीं है।

[69]साथ ही, आधार एक्सएमएल फ़ाइल/ आधार क्यूआर कोड के उपयोग के लिए तीन दिनों की निर्धारित अवधि के अनुरूप, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि वी-सीआईपी की वीडियो प्रक्रिया सीकेवाईसीआर/ आधार प्रमाणीकरण /समतुल्य-ई दस्तावेज के माध्यम से पहचान जानकारी डाउनलोड करने / प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर की जाती है, ऐसा उस स्थिति में होगा जहां दुर्लभ मामलों में, पूरी प्रक्रिया एक बार में या निर्बाध रूप से पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके कारण कोई वृद्धिशील जोखिम न उत्पन्न हो।

vii) यदि ग्राहक का पता ओवीडी में दर्शाए गए से अलग है, मौजूदा आवश्यकता के अनुसार वर्तमान पते के उपयुक्त दस्तावेज कैप्चर किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत की गई आर्थिक और वित्तीय प्रोफ़ाइल / सूचना की पुष्टि ग्राहक द्वारा वी-सीआईपी से उपयुक्त तरीके से की जाए।

viii) आरई प्रक्रिया के दौरान ग्राहक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले पैन कार्ड की स्पष्ट छवि को कैप्चर करेंगे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां ग्राहक द्वारा ई-पैन प्रदान किया जाता है। डिजीलॉकर सहित जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से पैन विवरण सत्यापित किया जाएगा।

ix) ई-पैन सहित समतुल्य ई-दस्तावेज की प्रिंटेड कॉपी, वी-सीआईपी के लिए मान्य नहीं है।

x) आरई के अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आधार / ओवीडी और पैन / ई-पैन में ग्राहक की तस्वीर वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक के साथ मेल खाती हो और आधार / ओवीडी और पैन / ई-पैन में पहचान के विवरण ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए विवरण से मेल खाती हो।

xi) सहयोगी वीसीआईपी की अनुमति वहीं होगी जब केवल ग्राहक के स्तर (छोर) पर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) की मदद लेता है। बैंक ग्राहक की सहायता

---

[68] दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[69] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

करने वाले बीसी के विवरण को व्यवस्थित बनाए रखेंगे, जहां भी बीसी की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। ग्राहक से सम्बंधित समुचित सावधानी के लिए अंतिम जिम्मेदारी बैंक की होगी।

xii) वी-सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी खातों को समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन होने के बाद ही परिचालन योग्य बनाया जाएगा, ताकि प्रक्रिया की अखंडता और परिणाम की स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सके।

xiii) सभी मामले जो पैरा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नहीं हैं, लेकिन अन्य संविधियों जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक हैं, आरई द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया जाएगा।

(सी) वी-सीआईपी दस्तावेज़ और डाटा प्रबंधन

i) वी-सीआईपी का संपूर्ण डेटा और रिकॉर्डिंग भारत में स्थित एक प्रणाली / प्रणालियों में संग्रहित की जाएगी। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित और संरक्षित तरीके से संग्रहीत है और उस तारीख और समय की मोहर लगी है जो आसानी से ऐतिहासिक डेटा खोज को हासिल करने में सक्षम है। रिकॉर्ड प्रबंधन पर मौजूदा अनुदेश, जैसा कि इस एमडी में निर्धारित है, वी-सीआईपी के लिए भी लागू होगा।

ii) वीसीआईपी प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के विवरण के साथ गतिविधि लॉग संरक्षित किया जाएगा।

19. [70]हटाया गया

20. [71]हटाया गया

21. [72]हटाया गया

[70] दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संशोधन द्वारा हटा दिया गया। हटाए गए भाग को इस प्रकार पढ़ें: यदि खाता खोलने का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति के पास 'पते के प्रमाण' के रूप में ओवीडी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा 77 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वो जिस रिश्तेदार के साथ रह रहा है, उस व्यक्ति के 'पते के प्रमाण' ओवीडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्टीकरण: रिश्तेदार से एक घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति रिश्तेदार है और उसके साथ रह रहा है।

[71] दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संशोधन द्वारा हटाया गया। हटाए गए भाग को इस प्रकार पढ़ें: "ऐसे मामलों में जहां ग्राहक को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वह किसी भी कारण से दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त करता है जिसे आरई वास्तविक मानते हैं, और जहां सामान्य आचरण को बाधित नहीं करना आवश्यक है व्यवसाय के, आरईएस द्वारा, अपने विकल्प पर, संबंध की स्थापना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ग्राहक की पहचान का सत्यापन पूर्ण किया जाएगा।

[72] दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संशोधन द्वारा हटाया गया। हटाए गए भाग को इस प्रकार पढ़ें: उन ग्राहकों के संबंध में जिन्हें 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अध्याय । की पैराग्राफ 3 (ए) (vi) में उल्लिखित कोई भी ओवीडी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं और जहां 'सरलीकृत प्रक्रिया' लागू होती है, आरई द्वारा, उप-नियम 2(1)(डी) के दो प्रावधानों के अंतर्गत सूचीबद्ध दस्तावेजों के दो अतिरिक्त सेटों में से प्रत्येक में से किसी एक दस्तावेज़ को स्वीकार किए जाएंगे। स्पष्टीकरण: आवधिक समीक्षा के दौरान, यदि 'कम जोखिम' श्रेणी का ग्राहक जिसके लिए सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई है, उसे 'मध्यम' या 'उच्च' जोखिम श्रेणी के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, तो आरई द्वारा पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए इन निर्देशों की पैराग्राफ 3(ए)(vi) में सूचीबद्ध छह ओवीडी में से एक तुरंत प्राप्त आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में जब कोई ग्राहक ऐसा ओवीडी जमा करने में विफल रहता है, तो आरईएस द्वारा इन निर्देशों की धारा 39 में परिकल्पित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

22. हटाया गया

23. [73]पैराग्राफ 16 में निहित होने के बावजूद और उसके विकल्प के रूप में, यदि कोई व्यक्ति खाता खोलना चाहता है, तो बैंक 'लघु खाता' खोल सकता है, जो निम्नलिखित सीमाओं को पूरा करता है:

i. एक वित्तीय वर्ष में सभी जमाओं का कुल एक लाख रुपये से अधिक नहीं है;

ii. एक महीने में सभी आहरण और अंतरणों का कुल मिलाकर रुपये दस हजार से अधिक नहीं होता है; तथा

iii. किसी भी समय शेष राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।

[74]बशर्ते, सरकारी अनुदान, कल्याणकारी लाभ और खरीद के लिए भुगतान के माध्यम से जमा करते समय शेष राशि की इस सीमा पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, लघु खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

ए. बैंक ग्राहक से स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ की एक प्रति प्राप्त करें।

बी. बैंक का पदनामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत यह प्रमाणित करेगा कि उसकी उपस्थिति में खाता खोलने वाले व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाया है।

[75]बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति जेल में बंदी है, वहां जेल के भार साधक अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया जाएगा और उक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा और खाता,जेल के भार साधकअधिकारी द्वारा जारी पते के सबूत के प्रमाणपत्र के वार्षिक प्रस्तुतिकरण पर प्रवर्तनशील हो जाएगा।

सी. ऐसे खाते केवल कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से जुड़ी शाखाओं अथवा ऐसी शाखाओं में खोले जा सकते हैं जहां मैनुवली निगरानी रखना संभव हो तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे खाते में विदेशी विप्रेषण जमा नहीं किया जाता है।

डी. बैंक यह सुनिश्चित करें कि लेनदेन संबंधी विनिर्दिष्ट सकल राशि और शेष राशि के लिए निर्धारित मासिक और वार्षिक सीमा का उल्लंघन लेनदेन होने पर न घटित हो।

ई. प्रारंभ में बारह महीनों की अवधि के लिए खाता परिचालन में रहेगा, जिसे आगे बारह महीनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि खाताधारक उक्त खाता खोलने के पहले बारह महीनों के दौरान किसी भी ओवीडी के लिए आवेदन करने के साक्ष्य प्रस्तुत किया हो।

एफ. संपूर्ण छूट प्रावधानों की समीक्षा चौबीस महीने बाद की जाएगी।

---

[73] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[74] पीएमएल तृतीय संशोधन नियम के संबंध में दिनांक 21 अगस्त 2017 को राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 1038(ई) के माध्यम से जोड़ा गया।

[75] दिनांक 28 मई, 2019 की राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 381(ई) के माध्यम से जोड़ा गया।

जी। [76]उक्त खंड (ई) और (एफ) में किसी बात के होते हुए भी, लघु खाता 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच और ऐसी अन्य अवधियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, प्रचलित रहेगा।

एच. [77]खाते की निगरानी की जाएगी और जब धन- शोधन या आतंकवाद गतिविधियों के वित्त पोषण या अन्य उच्च जोखिम परिदृश्यों का संदेह होता है, तो ग्राहक की पहचान पैराग्राफ 16 अथवा पैराग्राफ 18 के अनुसार स्थापित की जाएगी।

आई. [78]विदेशी धन-प्रेषण को खाते में जमा करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ग्राहक की पहचान पैराग्राफ 16 अथवा पैराग्राफ 18 के अनुसार नहीं कर ली जाती।

24. [79]**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा खाता खोलने के लिए सरलीकृत क्रियाविधि**: यदि कोई व्यक्ति पैराग्राफ 16 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में सक्षम न हो, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने विवेकानुसार निम्नलिखित शर्तों पर खाता खोल सकती हैं:

ए. एनबीएफसी ग्राहक से एक स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ प्राप्त करेगा।

बी. एनबीएफसी के नामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए है या अंगूठे का निशान लगाया है।

सी. [80]खाता प्रारम्भ में बारह महीनों की अवधि के लिए चालू रहेगा, जिसके अंतर्गत पैराग्राफ 16 अथवा पैराग्राफ 18 के अनुसार सीडीडी करना होगा।

डी. सभी खातों में कुल मिलाकर शेष राशि किसी भी समय पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

ई. सभी खातों में कुल जमाराशि एक वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

एफ. ग्राहक को अवगत कराया जाए कि यदि उनके द्वारा निदेश (डी) और (ई) का उल्लंघन किया जाएगा तो संपूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें आगे का लेनदेन नहीं किया जा सकेगा।

---

[76] दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.66/14.01.001/2019-20 के माध्यम से जोड़ा गया। .

[77] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.ए.सी.आर.ईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[78] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023 - द्वारा संशोधित किया गया।

[79] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित किया गया।

[80] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

जी. ग्राहक को यह सूचित किया जाए कि जब शेष राशि चालीस हजार रुपये तक पहुंच जाएगी अथवा जमा राशि एक वर्ष में अस्सी हजार रूपये तक पहुंच जाएगी तब केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा सभी खातों की कुल मिलाकर संपूर्ण शेष राशि उक्त निदेश (डी) और (ई) में निर्धारित सीमा को पार करते ही लेनदेन रोक दिए जाएंगे।

एच. [81]खाते की निगरानी की जाएगी और जब एमएल/टीएफ गतिविधियों या अन्य उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों का संदेह हो, तो पैराग्राफ 16 अथवा पैराग्राफ 18 के अनुसार ग्राहक की पहचान स्थापित की जाएगी।

25. [82]हटाया गया।

26. [83]किसी भी विनियमित संस्था की शाखा/ कार्यालय द्वारा एक बार किया गया केवाईसी सत्यापन उसी विनियमित संस्था की किसी अन्य शाखा/ कार्यालय में खाता अंतरित करने के लिए वैध होगा, बशर्ते कि संबंधित खाते के लिए संपूर्ण केवासी सत्यापन पहले ही किया गया हो और वह आवधिक अद्यतनीकरण के लिए नियत न हो।

भाग II - एकल स्वामित्व वाली फर्मों के लिएसीडीडी उपाय

27. [84]एकल स्वामित्व वाली फर्मों के नाम पर खाता खोलने केलिए व्यक्ति (मालिक) के संदर्भ में पहचान की सूचना प्राप्त कर ली जाए।

28. [85]उपर्युक्त के अलावा, स्वामित्व वाली फर्म के नाम कारोबार/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी दो दस्तावेज या उनके समतुल्य ई- दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए जाएं:

ए. [86]सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सहित पंजीकरण प्रमाण पत्र

बी. दुकान और संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस

सी. बिक्री और आयकर विवरणियां

डी. [87]सीएसटी/ वैट/ जीएसटी प्रमाणपत्र।

---

[81] दिनांक 17 अक्तूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

[82] दिनांक 20 अप्रैल 2018 के संशोधन द्वारा हटाया गया और पैराग्राफ 10 में स्थानांतरित कर दिया गया। हटाए गए/स्थानांतरित भाग को इस प्रकार पढ़ा जाए: "यदि आरई का कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन किया गया ग्राहक उसी आरई में एक और खाता खोलना चाहता है, तो नए सिरे से सीडीडी की आवश्यकता नहीं होगी।"

[83] पीएमएल द्वितीय संशोधन नियम दिनांक 01 जून 2017 के संबंध में राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 538 (ई) के माध्यम से संशोधित। पैराग्राफ26 का हटाया गया भाग इस प्रकार है: "और ऐसे मामलों में खाताधारक से उसके वर्तमान पते के बारे में एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाती है।

[84] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित किया गया।

[85] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित किया गया।

[86] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[87] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

ई. बिक्री कर/ सेवा कर/ व्यवसाय कर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र/ पंजीकरण।

एफ. डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान को जारी किया गया आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) या किसी क़ानून के अंतर्गत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र

जी. एकल स्वामी के नाम आयकर प्राधिकरण द्वारा विधिवत प्रमाणित/स्वीकृत संपूर्ण आयकर विवरणी (केवल प्राप्ति-सूचना नहीं), जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो।

एच. उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल आदि।

29. ऐसे मामलों में जहां विनियमित संस्था इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव न हो, कारोबार/ गतिविधि के प्रमाण के रूप में उन दस्तावेजों में से विनियमित संस्था अपने विवेकानुसार केवल एक स्वीकार कर सकती है।

बशर्ते कि, विनियमित संस्था संपर्की का सत्यापन करे और ऐसी अन्य जानकारी तथा स्पष्टीकरण जो ऐसी फर्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो, इकठ्ठी करे और स्वयं की इस बात के लिए पुष्टि करे और अपनी संतुष्टि कर ले कि स्वामित्व वाली संस्था के पते से कारोबार की गतिविधियों को सत्यापित किया गया है।

भाग III - विधिक संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

30. [88]किसी कंपनी का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति या उनके समतुल्य ई- दस्तावेज़ प्राप्त किए जाएंगे:

ए. निगमीकरण/ गठन का प्रमाणपत्र।

बी. संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम।

सी. [89]कंपनी का स्थायी खाता संख्या

डी. निदेशक मंडल का इस आशय का संकल्प और अपने प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा हो।

ई. [90]संस्था की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा प्राप्त हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के संबंध में पैराग्राफ 16 में उल्लिखित अनुसार दस्तावेज़।

---

88 दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

89 दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 के माध्यम से जोड़ा गया।

90 दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.ए.एमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

एफ. [91]वरिष्ठ प्रबंधन के पद धारण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम; और

जी. [92]पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार का प्रमुख स्थान, यदि वह अलग है।

31. [93]भागीदारी फर्म के लिए खाता खोलने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति या उनके समतुल्य ई- दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए जाए:

ए. पंजीकरण प्रमाणपत्र

बी. भागीदारी विलेख

सी. [94]भागीदारी फर्म का स्थायी खाता संख्या

डी. [95]उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारण करने वाले हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में पैराग्राफ 16 में उल्लिखित अनुसार दस्तावेज़

एफ. [96]सभी भागीदारों के नाम और

जी. [97]पंजीकृत कार्यालय और उसके कारोबार का प्रमुख स्थान, यदि वह अलग है।

32. [98]किसी न्यास का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज़ प्राप्त कर लिए जाए:

ए. पंजीकरण प्रमाणपत्र

बी. न्यास विलेख

सी. [99]न्यास का स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या

डी. [100]हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, जो ग्राहक की ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो, के संबंध में पैराग्राफ 16 में उल्लिखित अनुसार पहचान दस्तावेज़

ई. [101]न्यास के लाभार्थियों, न्यासियों, व्यवस्थापनकर्ता (सेटलर), संरक्षक, यदि कोई हो और निर्माताओं (authors) के नाम

---

[91] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[92] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।.

[93] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[94] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 के माध्यम से जोड़ा गया।

[95] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[96] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[97] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[98] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[99] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 के माध्यम से जोड़ा गया।

[100] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[101] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

एफ. [102]न्यास के पंजीकृत कार्यालय का पता; और

जी. [103]पैराग्राफ 16 में निर्दिष्ट, न्यासी के रूप में भूमिका का निर्वहन करने वालों के लिए और न्यास की ओर से लेन-देन करने के लिए अधिकृत न्यासियों और दस्तावेजों की सूची।

33ए. [104]अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का खाता खोलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रति या उनके समतुल्य ई- दस्तावेज़ प्राप्त किए जाए:

ए. ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंधन का संकल्प

बी. [105]अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र संख्या 60

सी. उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए प्रदत्त मुख्तारनामा

डी. [106]हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, जो ग्राहक की ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारण करता हो के संबंध में पैराग्राफ 16 में उल्लिखित दस्तावेज़; और

ई. ऐसी सूचना जो ऐसे अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए समग्र रूप से विनियमित संस्था (आरई) द्वारा अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण: अपंजीकृत न्यास/ भागीदारी फर्मों को ''अनिगमित संघ'' के दायरे में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: शब्द 'व्यक्तियों का निकाय' में सोसाइटी शामिल हैं।

33बी. [107]किसी ऐसे ग्राहक का खाता खोलने के लिए जो एक न्यायिक व्यक्ति है (विशेष रूप से पहले भाग में शामिल नहीं है) जैसे समाज, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, आदि, या जो ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्ति या ट्रस्ट की ओर से कार्य करने का दावा करता है, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त और सत्यापित किए जाएंगे:

ए. संस्था की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाले दस्तावेज;

---

[102] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[103] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

[104] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[105] दिनांक 29 मई, 2019 के परिपत्र डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा के माध्यम से जोड़ा गया।

[101] दिनांक 9 जनवरी, 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

[107] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के द्वारा संशोधित किया गया।

बी. उसकी ओर से लेन-देन करने के मुख्तारनामा धारक व्यक्ति के संबंध में पहचान और पते के प्रमाण के लिए पैराग्राफ 16 में निर्धारित दस्तावेज़ और

सी. ऐसे दस्तावेज जो ऐसी किसी संस्था/ न्यायिक व्यक्ति का विधिक अस्तित्व स्थापित करने के लिए विनियमित संस्था द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं।

[108]बशर्ते कि ट्रस्ट के मामले में, आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रस्टी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय अथवा इस एमडी के पैराग्राफ 13 के खंड (बी), (ई) और (एफ) में निर्दिष्ट लेनदेन करते समय अपनी स्थिति का खुलासा करे।

भाग IV - हिताधिकारी स्वामी की पहचान

34. विधिक व्यक्ति, जो कि प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, का खाताखोलने के लिए हिताधिकारीस्वामी की पहचान करनी चाहिए और उक्त नियम 9 के उप नियम(3) के अनुसार उसकी पहचान का सत्यापन करने के लिए, नीचे दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं:

ए. [109]जहां ग्राहक या नियंत्रक हिताधिकारी का स्वामी (i) भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक इकाई है, या (ii) यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकार में रहने वाली एक इकाई है और ऐसे अधिकार क्षेत्र में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है, या (iii) यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की अनुषंगी कंपनी है; ऐसी संस्थाओं के किसी भी शेयरधारक या लाभार्थी स्वामी की पहचान और पहचान को सत्यापित करना आवश्यक नहीं है।

बी. न्यास/ नामिती या प्रत्ययी खातों के मामलों में यह निर्धारित किया जाए कि क्या ग्राहक किसी अन्य की ओर से न्यासी/ नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में, मध्यवर्तियों अथवा जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य व्यवस्थाओं के ब्यौरे भी प्राप्त करने चाहिए।

भाग V - धारणीय समुचित सावधानी

35. [110]विनियमित संस्था (आरई) को ग्राहकों के संबंध में सतत समुचित सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके (ग्राहकों के) लेनदेन, ग्राहकों के कारोबार और जोखिम प्रोफाइल; निधियों/संपातियों के स्रोतों के संबंध में उसकी जानकारी के अनुरूप हैं।

36. सघन निगरानी के लिए आवश्यक तथ्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न प्रकार के लेनदेनों की अवश्य निगरानी की जानी चाहिए:

---

[108] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[109] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[110] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

ए. आरटीजीएस सहित बड़े और जटिल लेनदेन जो असामान्य रूप के हैं, संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं और जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा वैध (औचित्यपूर्ण) प्रयोजन न हो।

बी. किसी विशिष्ट श्रेणी के खातों के लिए निर्धारित (सचेतक) न्यूनतम सीमाओं से अधिक के लेनदेन।

सी. रखी गयी शेष राशि की मात्रा के अननुरूप बहुत बड़े लेनदेन।

डी. विद्यमान और नए खुले खातों में जमा हुए थर्ड पार्टी चेक, ड्राफ्ट आदि से बाद मे बड़ी राशियों की निकासी।

[111]धारणीय समुचित सावधानी बरतने हेतु, आरई प्रभावी निगरानी का समर्थन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई और एमएल) प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त नवाचारों को अपनाने पर विचार किया जाए।

37. निगरानी किस सीमा तक होगी यह ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण पर निर्भर होगा।

ए. खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा जो छह महीने में कम से कम एक बार की जाए और इस संबंध में संवर्धित समुचित सावधानीके और अधिक उपाय लागू करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।

बी. मार्केटिंग कंपनियों, विशेषकर बहु-स्तरीय मार्केटिंग कंपनियों (एमएलएम), के खातों पर सघन निगरानी करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: उच्च जोखिम वाले खातों की सघन निगरानी की जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में जहां कंपनी द्वारा बड़ी संख्या में चेक बुकों की मांग की गई हो, एक ही बैंक खाते में देश भर में बहुत सारी छोटी-छोटी जमाराशियां जमा की गयी हों (सामान्यतः नकद रूप में) और जहां बड़ी संख्या में एक समान राशियों/तिथियों के चेक जारी किए जाते हों तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक और अन्य उचित प्राधिकारियों जैसे कि एफ़आईयू-आईएनडी को तत्काल रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

38. [112]केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतन

आरई को केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीडीडी के अंतर्गत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अद्यतन

[111] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

[112] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

और प्रासंगिक रखा जाएगा, खासकर जहां उच्च जोखिम है। हालाँकि, खाता खोलने की तिथि/अंतिम केवाईसी अद्यतन से उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दो साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए दस साल में एक बार आवधिक अद्यतन किया जाएगा। इस संबंध में नीति को आरई की आंतरिक केवाईसी नीति के भाग के रूप में प्रलेखित किया जाएगा, जिसे आरई के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है।

[113]उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद**,** ऐसे व्यक्तिगत ग्राहक के संबंध में**,** जिसे कम जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है**,** विनियमित संस्था उसे सभी लेनदेन करने की अनुमति देगी तथा केवाईसी के लिए नियत तिथि से एक वर्ष के भीतर अथवा 30 जून 2026 तक**,** जो भी बाद में हो**,** केवाईसी का अद्यतन सुनिश्चित करेगी। विनियमित संस्था ऐसे ग्राहकों के खातों की नियमित निगरानी करेगी। यह कम जोखिम वाले वैयक्तिक ग्राहकों जिनका केवाईसी आवधिक अद्यतनीकरण पहले ही बकाया हो चुका है, पर भी लागू होगा।

ए) वैयक्तिक ग्राहक:

i. **केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक से इस संबंध में एक स्व-घोषणा, आरई के साथ ग्राहक के पंजीकृत ईमेल-आईडी, आरई के साथ पंजीकृत मोबाइल नम्बर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, आरई का मोबाइल एप्लीकेशन), पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

ii. **पते में परिवर्तन**: केवल ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन के मामले में, नए पते का एक स्व-घोषणा आरई के साथ पंजीकृत ग्राहक के ईमेल आईडी, आरई के साथ ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, आरई का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जिसमें पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि शामिल होंगे।

[114]साथ ही, आरई, अपने विकल्प पर, ओवीडी की एक प्रति या ओवीडी, जैसा कि पैराग्राफ 3(ए)(xiv) में परिभाषित किया गया है, या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि [115]अद्यतन/ आवधिक अद्यतन के समय पर ग्राहक द्वारा घोषित पते के प्रमाण के उद्देश्य से पैराग्राफ 3(ए)(x) में परिभाषित किया गया है। तथापि, ऐसी

---

[113] दिनांक 12 जून 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.30/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।

[114] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[115] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।

आवश्यकता को आरई द्वारा अपनी आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जिसे आरई के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित किया गया है (की गई हो)।

iiए. [116] **केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन के लिए बैंकों द्वारा कारोबार प्रतिनिधि (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) (बीसी) का उपयोग**

केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न होने अथवा केवल पते के विवरण में परिवर्तन होने पर ग्राहक से स्व-घोषणा बैंक के अधिकृत बीसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बैंक इन स्व-घोषणाओं और उनके सहायक दस्तावेजों को बैंक के सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करने के लिए अपने बीसी सिस्टम को समर्थ बनाएगा।

बैंक, सफल बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के बाद, ग्राहक से इलेक्ट्रॉनिक मोड में बीसी के माध्यम से सहायक दस्तावेजों सहित, यदि आवश्यक हो तो, स्व-घोषणा प्राप्त करेगे। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मोड में विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक ग्राहक द्वारा ऐसी घोषणा भौतिक रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। बीसी ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए गए स्व-घोषणा और सहायक दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा, तथा उसे तुरंत संबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित करेगा। बीसी ग्राहक को ऐसी घोषणा/दस्तावेजों की प्रस्तुति की प्राप्ति की पावती प्रदान करेगा।

बैंक ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा तथा सिस्टम में रिकॉर्ड अद्यतन हो जाने पर ग्राहक को सूचित करेगा, जैसा कि उक्त मास्टर निदेश के पैरा 38(सी) के अंतर्गत अपेक्षित है। तथापि, पुनः स्पष्ट किया जाता है कि केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित बैंक की ही होगी।

iii. **ग्राहकों के खाते**, **जो खाता खोलते समय अवयस्क थे**, **उनके वयस्क होने पर:** जिन ग्राहकों के खाते तब खोले गए थे जब वे अवयस्क थे, उनके वयस्क होने पर उनकी नई तस्वीरें प्राप्त की जाएं और उस समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार सीडीडी दस्तावेज आरई के पास उपलब्ध हैं। जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, आरई ऐसे ग्राहकों जिनके लिए खाता तब खोला गया था जब वे अवयस्क थे, उनके वयस्क होने पर, नए केवाईसी करवा सकते हैं।

[116] दिनांक 12 जून 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.30/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित

iv. [117]ओटीपी आधारित ई-केवाईसी नॉन-फेस टू फेस मोड में [118]अद्यतन/ आवधिक अद्यतन के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के लिए, पैराग्राफ 17 में निर्धारित शर्तें गैर-फेस टू फेस मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन के मामले में लागू नहीं होती हैं।

वर्तमान पते की घोषणा, यदि वर्तमान पता आधार में दिए गए पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही है जो ग्राहक के प्रोफाइल में उनके पास उपलब्ध है।

बी) व्यक्ति के अलावा अन्य ग्राहक:

i. **केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं:** एलई ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में एलई ग्राहक से आरई के साथ पंजीकृत ई-मेल आईडी, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, आरई के मोबाइल आवेदन) के माध्यम से एक स्व-घोषणापत्र, इस संबंध में एलई द्वारा अधिकृत एक अधिकारी का पत्र, बोर्ड संकल्प आदि, प्राप्त की जाए। साथ ही, आरई इस प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास उपलब्ध हितधारी (हिताधिकारी) स्वामी (बीओ) की जानकारी सटीक है और यदि आवश्यक हो, तो इसे सही रखने के लिए उसी को अद्यतन किया जाए।

ii. **केवाईसी जानकारी में परिवर्तन:** केवाईसी जानकारी में परिवर्तन के मामले में, आरई, नए एलई ग्राहक को ऑन-बोर्ड करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के समतुल्य प्रक्रिया करेंगे।

सी) **[119]अतिरिक्त उपाय:** उपर्युक्त के अलावा, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि –,

i. मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज़ उनके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू होता है जब ग्राहक की जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आरई के पास उपलब्ध दस्तावेज वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं हैं। साथ ही, अगर आरई के पास उपलब्ध सीडीडी दस्तावेजों की वैधता केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय समाप्त हो गई है, तो आरई, नए ग्राहक को ऑन-बोर्ड करने के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के समतुल्य प्रक्रिया करेंगे।

[117] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।
[118] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।
[119] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

ii. ग्राहक का पैन विवरण, यदि आरई के साथ उपलब्ध है, तो केवाईसी पर 1आवधिक अद्यतन के समय जारी करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापित किया जाए।

iii. आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि [120]अद्यतन/ आवधिक अद्यतन करने के लिए ग्राहक से स्व-घोषणापत्र सहित प्रासंगिक दस्तावेज (ओं) की प्राप्ति के दिनांक का उल्लेख करने वाली पावती, ग्राहक को प्रदान की जाए। आगे, यह सुनिश्चित किया जाए कि केवाईसी के [121]अद्यतन/ आवधिक अद्यतन के समय ग्राहकों से प्राप्त सूचना / दस्तावेज आरई के रिकॉर्ड / डाटाबेस में तुरंत अपडेट किए जाएं और ग्राहक को केवाईसी विवरण के अद्यतन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना दी जाए।

iv. ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, आरई, उनकी निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी समिति, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित (की गई) हो, द्वारा विधिवत अनुमोदित आंतरिक केवाईसी नीति के अंतर्गत किसी भी शाखा में केवाईसी के [122]अद्यतन/ आवधिक अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं।

v. केवाईसी के आवधिक अद्यतन के संबंध में आरई को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जो अन्यथा उपर्युक्त निदेशों के अंतर्गत अनिवार्य नहीं हैं, जो आरई द्वारा अपनाए गए हैं जैसे कि हाल की तस्वीर प्राप्त करने की आवश्यकता, ग्राहक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता, केवल आरई की शाखा में केवाईसी के आवधिक अद्यतन की आवश्यकता जहाँ खाता रखा गया गया है, न्यूनतम विनिर्दिष्ट आवधिकता आदि की तुलना में केवाईसी अद्यतन की अधिक लगातार आवधिकता, आरई के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति, जिसको शक्ति प्रत्यायोजित है, द्वारा अनुमोदित आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जानी चाहिए।

डी) [123]द्वारा ग्राहकों को यह सूचित किया जाएगा कि पीएमएल नियमों का पालन करने के लिए, व्यवसाय संबंध / खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के समय ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अद्यतन के मामले में और उसके बाद, आवश्यकतानुसार; ग्राहक आरई के समक्ष ऐसे दस्तावेजों का अपडेट प्रस्तुत करेगा। उक्त को आरई के रिकॉर्ड में अद्यतन करने के उद्देश्य से दस्तावेजों को अद्यतन करने के 30 दिनों के भीतर किया जाए।

---

[120] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।
[121] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।
[122] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।
[123] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

ई) [124]केवाईसी के आवधिक अद्यतन के लिए देय नोटिस

आरई को अपने ग्राहकों को उनके केवाईसी को अद्यतन करने के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा। केवाईसी के आवधिक अद्यतन की नियत तिथि से पहले, केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण की आवश्यकता के अनुपालन के लिए आरई को अपने ग्राहकों को उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देनी होंगी, जिनमें कम से कम एक सूचना पत्र द्वारा दी जाएगी। नियत तिथि के बाद, आरई उचित अंतराल पर ऐसे ग्राहक जिन्होंने अग्रिम सूचना के बावजूद अभी तक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है उन्हें कम से कम तीन अनुस्मारक दे, इनमें कम से कम एक अनुस्मारक पत्र द्वारा भी दिया जाए। सूचना/अनुस्मारक पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी अद्यतन करने के लिए आसानी से समझ आने वाले अनुदेश, यदि आवश्यक हो तो सहायता प्राप्त करने के लिए वर्धन तंत्र, तथा समय पर केवाईसी अद्यतन न करने पर होने वाले परिणाम, यदि कोई हों, को शामिल किया जाए। इस प्रकार की अग्रिम सूचना/अनुस्मारक जारी करने की प्रक्रिया को, प्रत्येक ग्राहक के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल हेतु आरई की प्रणाली में विधिवत रूप से दर्ज की जाए। आरई द्वारा इसे शीघ्रता से अपितु, दिनांक 01 जनवरी 2026 से पूर्व क्रियान्वित किया जाए।

39. [125]मौजूदा ग्राहकों के मामले में आरई केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि तक पैन या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज़ या फार्म नंबर 60 प्राप्त करेंगें, जिसमें असफल रहने पर आरई अस्थायी रूप से खाते में परिचालन बंद कर देंगे जब तक कि ग्राहक द्वारा स्थायी खाता संख्या या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज़ या फॉर्म 60 प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि किसी खाते के लिए अस्थायी रूप से परिचालन बंद करने से पहले, आरई ग्राहक को एक सुगम सूचना और सुनवाई का उचित अवसर देगा। इसके अलावा, आरईअपनी आंतरिक नीति में, उन ग्राहकों के लिए खातों के निरंतर संचालन के लिए उचित छूट (ओं) को शामिल करेगा जो वृद्धावस्था के कारण, चोट, बीमारी या अन्यथा इसी जैसे अन्य कारण से दुर्बलता के कारण स्थायी खाता संख्या या उनके समतुल्य ई- दस्तावेज़ प्रपत्र संख्या 60 प्रदान करने में असमर्थ हैं, हालांकि, ऐसे खाते संवर्धित निगरानी के अधीन होंगे।

बशर्ते कि यदि आरई के साथ एक मौजूदा खाता-आधारित संबंध रखने वाला ग्राहक आरई को लिखित रूप में देता है कि वह अपना स्थायी खाता संख्या या फॉर्म नंबर 60 जमा नहीं करना चाहता है, तो

[124] दिनांक 12 जून 2025 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.30/14.01.001/2025-26 द्वारा संशोधित।

[125] दिनांक 9 जनवरी 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

आरई खाते को बंद कर देगा और इस संबंध में ग्राहक के लिए लागू दस्तावेजों की पहचान करके ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद खाते से संबन्धित सभी दायित्वों का उपयुक्त निपटान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, किसी खाते के संबंध में "परिचालन के अस्थायी रूप से रोकने" का अर्थ होगा कि उस खाते के संबंध में आरई द्वारा उस समय तक सभी लेनदेन या गतिविधियों का अस्थायी निलंबन, जब तक कि ग्राहक इस पैराग्राफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। खाते में संचालन को रोकने के उद्देश्य से ऋण खातों जैसे आस्ति खातों के मामले में, केवल क्रेडिट की अनुमति होगी।

भाग VI - संवर्धित और सरलीकृत समुचित सावधानी प्रक्रिया

ए.संवर्धित समुचित सावधानी

40. [126]**अप्रत्यक्ष ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए संवर्धित समुचित सावधानी (ईडीडी) (पैराग्राफ 17 के संदर्भ में ऑनबोर्डिंग ग्राहक के अलावा):** अप्रत्यक्ष ऑनबोर्डिंग आरई को ग्राहक से भौतिक रूप से या वी-सीआईपी के माध्यम से मिले बिना ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए इस तरह के अप्रत्यक्ष मोड में सीकेवाईसीआर के रूप में, डिजिटल चैनलों का उपयोग शामिल है जैसे डिजिलॉकर, समतुल्य ई-दस्तावेज़, आदि, और गैर-डिजिटल मोड जैसे एनआरआई और पीआईओ के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करना। अप्रत्यक्ष ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए आरई द्वारा निम्नलिखित ईडीडी उपाय किए जाएंगे (पैराग्राफ 17 के संदर्भ में ग्राहक ऑनबोर्डिंग के अलावा):

ए. यदि आरई ने वी-सीआईपी की प्रक्रिया (लागू) की है, तो उसे रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए ग्राहक को पहले विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि वी-सीआईपी के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली प्रक्रियाओं को इस मास्टर निदेश के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष सीआईपी के समान माना जाएगा।

बी. धोखाधड़ी को रोकने के लिए, वैकल्पिक मोबाइल नंबरों को सीडीडी के बाद लेन-देन ओटीपी, लेन-देन अपडेट आदि के लिए ऐसे खातों से नहीं जोड़ा जाएगा। खाता खोलने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर से ही लेन-देन की अनुमति दी जाएगी। आरई के पास पंजीकृत मोबाइल

---

[126] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

नंबर बदलने के अनुरोधों से निपटने के लिए सम्यक तत्पर हेतु एक मजबूत प्रक्रिया को चित्रित करने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।

सी. वर्तमान पता प्रमाण प्राप्त करने के अलावा, आरई द्वारा खाते में परिचालन की अनुमति देने से पहले सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से वर्तमान पते का सत्यापन किया जाएगा। पते के सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि जैसे माध्यमों से सकारात्मक पुष्टि की जाए।

डी. आरई द्वारा ग्राहक से पैन प्राप्त किया जाएगा और पैन जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

ई. ऐसे खातों में पहला लेन-देन ग्राहक के मौजूदा केवाईसी-(अनुपालित) बैंक खाते से क्रेडिट होगा।

एफ ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और प्रत्यक्ष नहीं खोले गए खातों पर तब तक निगरानी बढ़ाई जाएगी जब तक कि ग्राहक की पहचान प्रत्यक्ष तरीके से अथवा वी-सीआईपी के माध्यम से सत्यापित नहीं हो जाती।

41. [127]राजनैतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों के खाते (पीईपी)

ए. विनियमित संस्था (आरई) को राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों के साथ (चाहे ग्राहक के रूप में या लाभकारी मालिक के रूप में) कारोबारी संबंध रखने का विकल्प होगा, बशर्ते कि सामान्य ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी प्रक्रिया करने के अलावा:

ए. आरईएस के पास यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ हैं कि ग्राहक या लाभकारी मालिक पीईपी है अथवा नहीं;

बी. धन/संपत्ति के स्रोत की स्थापना के लिए आरई द्वारा उचित उपाय किए जाते हैं;

सी. पीईपी के लिए खाता खोलने की मंजूरी वरिष्ठ प्रबंधन से प्राप्त की जाएगी;

डी.ऐसे सभी खातों की सतत आधार पर संवर्धित निगरानी की जानी चाहिए;

ई. किसी विद्यमान खाते का लाभार्थी स्वामी अथवा विद्यमान ग्राहक जो बाद में पीईपी हो जाता है तो उक्त ग्राहक के साथ व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंध तंत्र का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए;

बी. ये अनुदेश पीईपी के परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों पर भी लागू होंगे।

[127] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[128]स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "राजनीतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें **किसी विदेशी देश** द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हों या सौंपे गए हैं, जिनमें राष्ट्र/सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी शामिल हैं।

42. व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहकों के खाते:

व्यावसायिक मध्यवर्तियों के जरिए ग्राहकों के खाते खुलवाते समय विनियमित संस्था द्वारा निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जानी चाहिए, कि:

ए. व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए होने पर उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए।

बी. म्यूच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित 'सामूहिक' खाते को रखने का विकल्प विनियमित संस्था के पास होगा।

सी. विनियमित संस्था (आरई) को ऐसे व्यावसायिक मध्यवर्तियों के खाते नहीं खोलने चाहिए जो ग्राहक गोपनीयता की किसी व्यावसायिक बाध्यता के कारण ग्राहक के ब्योरे प्रकट नहीं कर सकते हैं।

डी. ऐसे सभी हिताधिकारी स्वामियों की पहचान की जाएगी जहां मध्यवर्तियों द्वारा धारित निधियां विनियामक संस्था के स्तर पर मिश्रित नहीं की जाती हैं और जहां 'उप खाते' हैं जिनमें से प्रत्येक किसी हिताधिकारी स्वामी का है अथवा जहां ऐसी निधियाँ विनियामक स्तर पर मिश्रित की जाती हैं, विनियामक संस्था ऐसे हिताधिकारी स्वामियों की पहचान करेगी।

ई. विनियमित संस्था (आरई) अपने स्वविवेक पर किसी मध्यवर्ती द्वाराकी गयी `ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' (सीडीडी) पर भरोसा कर सकते हैं बशर्ते वह मध्यवर्ती विनियमित तथा पर्यवेक्षित संस्था हो और उसके पास ग्राहकों के "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था/प्रणाली हो।

एफ. ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व विनियमित संस्था (आरई) का है।

बी. सरलीकृत समुचित सावधानी

43.[129]स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के लिए सरलीकृत मानदंड

[128] दिनांक 04 जनवरी 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.66/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।
[129] दिनांक 29 मई 2019 के परिपत्र बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.39/14.01.001/2018-19 द्वारा संशोधित किया गया।

ए. एसएचजी का बचत बैंक खाता खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का सीडीडी करना आवश्यक नहीं है।

बी. सभी पदधारियों का सीडीडी करना पर्याप्त होगा।

सी. [130]एसएचजी के क्रेडिट लिंकिंग के समय एसएचजी के सभी सदस्यों का ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) किया जा सकता है।

44. विदेशी विद्यार्थियों के खाते खोलते समय बैंकों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:

(ए) बैंक विदेशी विद्यार्थी का अनिवासी साधारण (एनआरओ) बैंक खाता उसके पासपोर्ट (वीजा और आप्रवासन पृष्ठांकन सहित) के आधार पर खोल सकते हैं जिसमें उसके गृह राष्ट्र में उसकी पहचान तथा पते का प्रमाण दर्ज हो तथा उसके साथ एक फोटो और भारत में शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रवेश दिए जाने संबंधी पत्र होना चाहिए।

i. बशर्ते खाता खोलने से 30 दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय पते के संबंध में घोषणा लेनी चाहिए और दिए गए पते की जांच करनी चाहिए।

ii. 30 दिनों की अवधि के दौरान खाता इस शर्त के अधीन परिचालित किया जाना चाहिए कि पते की जांच हो जाने तक खाते से 1,000 अमेरिकी डालर या उसकी समतुल्य राशि से अधिक के विदेशी विप्रेषण की अनुमति नहीं होगी तथा 50,000/- रुपए की अधिकतम सीमा होगी।

(बी) खाते को सामान्य एनआरओ खाते के रूप में माना जाएगा और उसका परिचालन अनिवासी साधारण रुपया (एनआरओ) खाता संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(सी) पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले विध्यार्थी का खाता खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।

45. विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए सरलीकृत केवाईसी मानदंड

संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत निवेश करने के प्रयोजन हेतु एफपीआई के वे खाते जो सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र/पंजीकृत हैं, के खाते अनुलग्नक–IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार केवाईसी दस्तावेज़ों को स्वीकार करके और आयकर नियमों (एफएटीसीए/सीआरएस) के अंतर्गत खोले जा सकते हैं।

---

[130] दिनांक 1 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.1/14.01.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

बशर्ते कि बैंक एफपीआई से या एफपीआई की ओर से कार्य कर रहे वैश्विक अभिरक्षक से इस आशय की घोषणा प्राप्त करें कि जब कभी आवश्यकता होगी तो अनुलग्नक–IV में दिए गए ब्यौरे के अनुसार छूट प्राप्त दस्तावेज वे प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय-VII

अभिलेख प्रबंधन

46. [131]पीएमएल अधिनियम और नियम के अनुसार विनियमित संस्था (आरई) को ग्राहक खाता संबंधी सूचना के रखरखाव, परिरक्षण और रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

(ए) ग्राहक और विनियमित संस्था (आरई) के बीच घरेलू औरअंतरराष्ट्रीय दोनों लेनदेनों के लिए सभी आवश्यक रिकार्ड संबंधित लेनदेन की तारीख से कम से कम पांच वर्षों तक रखे जाएंगे;

(बी) ग्राहक का खाता खोलने के समय तथा कारोबारी संबंध बने रहने के दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख कारोबारी संबंध के समाप्त हो जाने के बाद कम से कम पांच वर्ष तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएं;

(सी) [132]अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा तेजी से उपलब्ध कराए जाए;

(डी) धनशोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 3 के अनुसार लेनदेनों का रिकॉर्ड उचित प्रकार से रखने हेतु एक प्रणाली की शुरुआत करनी चाहिए;

(ई) धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियम 3 में निर्धारित लेनदेनों के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं रखें ताकि निम्नलिखित सहित किसी एकल लेनदेन की पुनर्रचना की जा सके:

(i) लेनदेनों का स्वरूप;

(ii) लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसे मूल्यवर्गीकृत किया गया;

(iii) वह तारीख जिस दिन वह लेनदेन किया गया; तथा

(iv) लेनदेन के पक्षकार।

(एफ) खाता संबंधी सूचना रखने और उसके परिरक्षण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर या सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आंकड़ों के लिए अनुरोध किए जाने पर आसानी से और तुरंत उन्हें प्राप्त किया जा सकें;

(जी) अपने ग्राहकों की पहचान और पते संबंधी अभिलेख और नियम 3 में उल्लिखित लेनदेनों से संबंधित अभिलेखों को हार्ड या सॉफ्ट फॉर्मेट में रखा जाए।

[133]स्पष्टीकरण – इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "पहचान से संबंधित रिकॉर्ड", "पहचान रिकॉर्ड", आदि में पहचान डेटा, खाता फाइलों, व्यापार पत्राचार और किए गए किसी भी विश्लेषण के परिणामों के अद्यतन रिकॉर्ड शामिल होंगे।

---

[131] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[132] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[133] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

46ए. आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे ग्राहकों के मामले में जो गैर-लाभकारी संगठन हैं, ऐसे ग्राहकों का विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत है। यदि यह पंजीकृत नहीं है, तो आरई दर्पण पोर्टल पर विवरण दर्ज किया जाएगा। ग्राहक और आरई के बीच व्यापार संबंध समाप्त होने अथवा खाता बंद हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो, आरई द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे पंजीकरण रिकॉर्ड बरकरार रखे जाएंगे।

अध्याय-VIII

वित्तीय आसूचना एकक – भारत को रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ

47. विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अनुसार नियम 3 में संदर्भित सूचना निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक –भारत (एफ़आईयूआईएनडी) को प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण: नियम 7 के उप-नियम 3 और 4 के संशोधन के संबंध में 22 सितंबर 2015 को अधिसूचित तीसरी संशोधन नियमावली के अनुसार निदेशक, वित्तीय आसूचना एकक – भारत को नियम 3 के उप नियम(1) के विभिन्न अनुच्छेदों में संदर्भित लेनदेनों का पता लगाने के लिए विनियमित संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी करने, सूचना के प्रकार के संबंध में उन्हें निदेश देने और सूचना की प्रस्तुति एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

48. वित्तीय आसूचना एकक द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट तथा विस्तृत फॉर्मेट गाइड निर्धारित/ जारी की गई है। वित्तीय आसूचना एकक ने रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को निर्धारित रिपोर्टें तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए रिपोर्ट जेनेरेशन यूटिलिटी तथा रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी विकसित की है जिसे ध्यान में रखा जाए। नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर)/संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल करने के लिए वित्तीयआसूचना एकक ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज डाली है जिसका उपयोग ऐसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर/एसटीआर बनाने के लिऐ उपयुक्त प्रौद्योगिकी टूल स्थापित नहीं कर पाए हैं। जिन विनियमित संस्थाओं की सभी शाखाएं अभी तक पूर्णत:कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, ऐसी संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों के पास ऐसी शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को लेकर उन्हें वित्तीय आसूचना एकक द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in/ पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से इलैक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में आंकड़े फीड करने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

49. [134]निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना देते समय, लेनदेन की रिपोर्टिंग में हुई प्रत्येक दिन की देरी अथवा नियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद गलत रूप से दर्शाये गए किसी लेनदेन को सुधारने में होने वाली प्रत्येक दिन की देरी को अलग से एक उल्लंघन माना जाएगा। विनियमित संस्थाएं उन खातों के परिचालनों पर कोई प्रतिबंध न लगाएं जिनके संबंध में संदिग्ध

---

[134] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) भेजी गई है। आरई केवल दायर एसटीआर के आधार पर खातों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

प्रत्येक आरई, उसके निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड के रखरखाव के तथ्य और निदेशक को जानकारी प्रस्तुत करना गोपनीय है। हालाँकि, ऐसी गोपनीयता की आवश्यकता लेनदेन और गतिविधियों के किसी भी विश्लेषण के लिए इस मास्टर डायरेक्शन की पैराग्राफ 4 (बी) के अंतर्गत जानकारी साझा करने में बाधा नहीं बनेगी, जो असामान्य प्रतीत होती है, यदि ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है।

50. संदिग्ध लेनदेनों की प्रभावी पहचान एवं रिपोर्टिंग के एक भाग के रूप में, जोखिम वर्गीकरण तथा ग्राहकों की अद्यतन प्रोफाइल के साथ लेनदेनों के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट जारी करने वाला एक सशक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय-IX

अंतरराष्ट्रीय करारों के अंतर्गत अपेक्षाएँ/ बाध्यताएँ – अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संचार

51. [135]विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत बाध्यताएं:

(ए) विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51(ए) और उसमें किए गए संशोधन के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा इकाइयो की सूची में शामिल हो। ऐसी दो सूची निम्नानुसार हैं:

i. सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों 1267/1989/2253 के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित **"आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची"**, जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और इकाइयो के नाम शामिल हैं, यह सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

ii. सुरक्षा परिषद के संकल्प 1988 (2011) के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित **"तालिबान प्रतिबंध सूची",** जिसमें तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:-

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

आरई द्वारा समय-समय पर संशोधित आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का संदर्भ लेना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उपर्युक्त सूचियाँ, अर्थात, यूएनएससी प्रतिबंध सूची और सूचियाँ जो आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध हैं, को दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और सूचियों में किसी भी संशोधन को जोड़ने, हटाने के संदर्भ में किया जाएगा अथवा अन्य परिवर्तनों को आरई द्वारा सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(बी) सूची में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं से मिलते-जुलते किसी भी खातों के ब्योरे [136]दिनांक 2 फरवरी 2021 (इस मास्टर निदेश के अनुलग्नक II) की यूएपीए अधिसूचना की अपेक्षानुसार गृह मंत्रालय के अतिरिक्त वित्तीय आसूचना एकक – भारत को रिपोर्ट किये जाने चाहिए।

---

[135] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।। इसके अलावा, पहले के पैराग्राफ 51, 52 और 53 को इस संशोधन के माध्यम से पैराग्राफ 51 में समेकित किया गया है।

[136] दिनांक 23 मार्च 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 द्वारा संशोधित किया गया।

(सी) यूएपीए, 1967 की धारा 51ए के अंतर्गत आस्तियों पर रोक लगाना (फ्रीज करना): यूएपीए आदेश [137]दिनांक 2 फरवरी, 2021 (इस मास्टर निदेश का अनुलग्नक II) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

52. [138]सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत दायित्व:

(ए) [139]आरई डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2023 के आदेश द्वारा (इस मास्टर निदेश का अनुलग्नक III) में निर्धारित "सामूहिक विनाश के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005" की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(बी) उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार, आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दिष्ट सूची में दिए गए विवरण के साथ व्यक्ति / संस्था के विवरण के मिलान के मामले में लेनदेन नहीं किया जाएगा।

(सी) इसके अलावा, आरई द्वारा दिए गए मापदंडों के आधार पर ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करते समय और समय-समय पर यह सत्यापित करने के लिए कि निर्दिष्ट सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास बैंक खाते आदि के रूप में कोई धन, वित्तीय आस्तियां आदि है या नहीं इस बात की जांच की जाएगी।

(डी) [140]उपर्युक्त मामलों में मिलान के मामले में, आरई द्वारा तुरंत केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों के पूरे विवरण के साथ लेन-देन के विवरण की सूचना दी जाएगी, जिसे डब्लूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नामित किया गया है। पत्राचार की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी, जहां खाता/लेन-देन किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी जाएगी।

यह ध्यान दिया जाए कि आदेश के पैराग्राफ 1 के अनुसार, निदेशक, एफआईयू-इंडिया को सीएनओ के रूप में नामित किया गया है।

---

[137] दिनांक 23 मार्च 2021 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.48/14.01.001/2020-21 द्वारा संशोधित किया गया।
[138] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।
[139] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[140] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

(ई) आरई एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर यथासंशोधित निर्दिष्ट सूची का संदर्भ ले सकते हैं।

(एफ) यदि संदेह से परे विश्वास करने के कारण हैं कि ग्राहक द्वारा धारित धन या आस्ति डबल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आती है, तो आरई सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा बिना किसी देरी के सूचित करते हुए ऐसे व्यक्ति/संस्था को वित्तीय लेनदेन करने से रोकें।

(जी) यदि आरई को सीएनओ से धारा 12ए के अंतर्गत आस्तियों को फ्रीज करने का आदेश प्राप्त होता है, तो आरई अविलंब आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(एच) आदेश के पैरा 7 के अनुसार निधियों आदि के अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तदनुसार, किसी व्यक्ति/संस्था से अनफ्रीजिंग के संबंध में प्राप्त आवेदन की प्रति को आरई द्वारा सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर जमा की गई आस्ति के पूर्ण विवरण के साथ भेजा जाएगा, जैसा कि आवेदक द्वारा दिया गया है।

53. जोड़ने, हटाने अथवा अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखने के लिए और 'डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017' पर सुरक्षा परिषद के संकल्प का कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित करने के लिए आरई द्वारा प्रति दिन, https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm, पर उपलब्ध 'निर्दिष्ट व्यक्तियों और इकाइयो की UNSCR 1718 प्रतिबंध सूची' का सत्यापन किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

53ए. [141]उपर्युक्त के अलावा, आरई द्वारा - (ए) अन्य यूएनएससीआर और (बी) पहली अनुसूची में सूची और यूएपीए, 1967 की चौथी अनुसूची और यूएपीए और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12ए की धारा 51ए के कार्यान्वयन पर सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए इसमें हुए किसी भी संशोधन को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा।

53बी. [142]जब किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतरसरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर आरई को जवाबी कार्रवाई करनी होगी।

---

[141] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

[142] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

54. क्षेत्राधिकार जो एफएटीएफ की अनुशंसाओं को लागू नहीं करते या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं

(ए) [143]समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित एफएटीएफ विवरण और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, उन देशों की पहचान करने के लिए, जो एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं, पर विचार किया जाएगा। आरई उन देशों, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा कहा गया है, के प्राकृतिक और विधिक व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के लिए ऐसे संवर्धित समुचित सावधानीसंबंधी उपायों को लागू करेंगे जो जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं।

(बी) एफएटीएफ की सिफारिशों और एफएटीएफ के बयानों में शामिल क्षेत्राधिकारों को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों में या वहां के व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यापार संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित प्रक्रियाएं आरई को एफएटीएफ बयान में उल्लिखित देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और व्यावसायिक लेनदेन करने से नहीं रोकती हैं।

(सी) एफएटीएफ बयानों में शामिल क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) और एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू करने वाले देशों के साथ लेन-देन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य की जांच की जाएगी और लिखित निष्कर्ष सभी दस्तावेजों के साथ बनाए रखा जाएगा और अनुरोध पर रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

54ए. **[144]**प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाम स्क्रीनिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नवीनतम तकनीकी नवाचारों और उपकरणों का लाभ उठाने के लिए आरई को प्रोत्साहित किया जाता है।

---

[143] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[144] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

अध्याय-X

अन्य अनुदेश

55.[145]गोपनीयता संबंधी दायित्व और सूचनाओं का आदान–प्रदान:

(ए) आरई और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न होने वाली ग्राहक जानकारी के संबंध में आरई गोपनीयता बनाए रखेंगे।

(बी) खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और ग्राहक की अनुमति के बिना क्रॉससेलिंग के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका विवरण नहीं दिया जाएगा।

(सी) सरकार तथा अन्य एजेंसियों से डेटा/ सूचना के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय, आरई को स्वयं इस बात से आश्वस्त होना होगा कि मंगायी गई सूचना की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिससे लेन-देनों में गोपनीयता से संबंधित क़ानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो।

(डी) इस नियम के अपवाद निम्नानुसार होंगे:

i. जहां प्रकटीकरण कानूनन मजबूरी हो,
ii. जहां जनता के लिए प्रकटीकरण करना एक कर्तव्य हो,
iii. जहां प्रकटीकरण, आरई के हित में अपेक्षित हो, और
iv. जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया गया हो।

55ए. [146]विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, बैंक गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सलाह के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अनुदेश / संचार का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

56.[147]सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी सूचनाओं को साझा करना

(ए) भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2015 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ.3183 (ई) के द्वारा भारतीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने और इसके परिचालन करने के लिए प्राधिकृत किया है।

---

145 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
146 दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।
147 दिनांक 18 दिसंबर 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.31/14.01.001/2020-21 द्वारा संशोधित किया गया।

(बी) पीएमएल नियमावली के नियम 9(1ए) के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक के साथ खाता आधारित संबंध आरंभ करने के 10 दिन के भीतर आरई ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड कैप्चर करेंगे और सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे।

(सी) केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश सरसाई (CERSAI) द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

(डी) आरई नियमावली में बताए गए तरीके से सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी सूचना कैप्चर करेंगे, जो 'व्यक्तिगत' और 'विधिक संस्था' (एलई), जो भी मामला हो, के लिए तैयार किए गए केवाईसी टेम्प्लेट के अनुसार होगा। टेम्प्लेट समय- समय पर आवश्यकता के अनुसार सरसाई द्वारा संशोधित और जारी किए जा सकते हैं।

(ई) सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' चरणबद्ध रूप में 15 जुलाई 2016 से नए 'व्यक्तिगत खातों' के साथ आरंभ किया गया। तदनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) 1 जनवरी 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी नए वैयक्तिक खातों से संबंधित केवाईसी डाटा अनिवार्य रूप से सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे। आरंभ में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जनवरी 2017 के दौरान खोले गए खातों के डेटा अपलोड करने के लिए 1 फरवरी 2017 तक का समय दिया गया था।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य आरई उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डाटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे।

(एफ) आरई उपर्युक्त नियमावली के अनुसार, 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद खोले गए विधिक संस्थाओं (एलई) के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे। ये केवाईसी रिकॉर्ड सरसाई द्वारा जारी एलई टेम्प्लेट में अपलोड किए जाएंगे।

(जी) एक बार सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचान उत्पन्न हो जाने के बाद, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे व्यक्ति/ विधिक संस्था, जो भी मामला हो, को सूचित किया जाए।

(एच) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मौजूदा केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर पर वृद्धिशील रूप से अपलोड किए जा रहे हैं, आरई उपर्युक्त क्रमशः खंड (ई) और (एफ) में बताई गई तारीख से पहले खोले गए व्यक्तिगत खातों और एलई खातों के मामले में, इस मास्टर निदेश की पैराग्राफ 38 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, आवधिक अद्यतनीकरण प्रक्रिया के दौरान केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर पर अपलोड/ अद्यतन करेंगे, या फिर कतिपय मामलों में इससे पहले भी, जब भी ग्राहक से केवाईसी सूचना ली जाती/ प्राप्त की जाती है। [148]इसके अलावा, जब भी

[148] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा जोड़ा गया।

आरई इस पैराग्राफ में नीचे दिए गए खंड (जे) या पीएमएल नियमों के नियम 9 (1 सी) के अनुसार किसी भी ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है, तो आरई सात दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर, सीकेवाईसीआर को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो सीकेवाईसीआर में मौजूदा ग्राहक के मौजूदा केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। इसके बाद सीकेवाईसीआर अपने सभी रिपोर्टिंग निकायों, जिन्होंने संबंधित ग्राहक के साथ व्यवहार किया है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड के अद्यतन के बारे में सूचित करेगा। एक बार जब सीकेवाईसीआर किसी मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड में अपडेट के बारे में आरई को सूचित करता है, तो आरई सीकेवाईसीआर से अपडेट किए गए केवाईसी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करेगा और आरई द्वारा बनाए गए केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा।

(आई) आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान, ग्राहक वर्तमान ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) मानकों पर माइग्रेट किए गए हैं।

(जे) [149]खाता आधारित संबंध स्थापित करने, अद्यतन/आवधिक अद्यतन अथवा ग्राहक की पहचान के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, आरई ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता मांगेगा अथवा केवाईसी पहचानकर्ता, यदि उपलब्ध हो, सीकेवाईसीआर से प्राप्त करेगा और ऐसे केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करेगा और ग्राहक से वही केवाईसी रिकॉर्ड अथवा जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज अथवा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि–

(i) सीकेवाईसीआर के रिकॉर्ड में मौजूद ग्राहक की सूचना में कोई परिवर्तन आया हो; अथवा
(ii) केवाईसी रिकॉर्ड या प्राप्त की गई जानकारी अधूरी हो अथवा वर्तमान लागू केवाईसी मानदंडों के अनुसार नहीं हो; अथवा
(iii) [150]डाउनलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो; अथवा
(iv) आरई ग्राहक की पहचान अथवा पते (वर्तमान पते सहित) का सत्यापन, अथवा संवर्धित समुचित सावधानी बरतना या ग्राहक की उचित जोखिम प्रोफ़ाइल बनाना आवश्यक समझता हो।

57.विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और समान रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ

[149] दिनांक 06 नवंबर 2024 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25 द्वारा संशोधित किया गया।
[150] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा जोड़ा गया।

एफ़एटीसीए और सीआरएस के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं को यह निर्धारित करना है कि क्या वे आयकर नियम 114एफ, 114जी और 114एच में परिभाषित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थाएं हैं और यदि वे हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

(ए) रिपोर्ट करने वाली वित्तीय संस्थाओं के रूप में आयकर विभाग के संबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ post login --> My acount --> Register as Reporting Financial Institution पर जाकर रजिस्टर करें,

(बी) पदनामित निदेशक' के डिजिटल हस्ताक्षर से फॉर्म 61बी अथवा 'शून्य' रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करें जिसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा तैयार किए गए खाका को ध्यान में रखा जाए।

स्पष्टीकरण: विनियमत संस्थाओं को नियम 114एच के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के उद्देश्य से समुचित सावधानी*प्रक्रिया अपनाने के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अपनी वेबसाइट http://www.fedai.org.in/RevaluationRates.aspx पर प्रकाशित स्पॉट संदर्भ दर को देखना चाहिए।*

(सी) आईटी नियम 114एच के अनुसार समुचित सावधानीप्रणाली अपनाने तथा उसकी रिपोर्टिंग एवं रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फ्रेमवर्क विकसित करना चाहिए।

(डी) आईटी फ्रेमवर्क के ऑडिट तथा आयकर नियमावली के नियम 114एफ, 114जी, तथा 114एच के अनुपालन के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(ई) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पदनामित निदेशक अथवा किसी अन्य समतुल्य कार्यकारी के अधीन एक "उच्च स्तरीय निगरानी समिति" गठित की जानी चाहिए।

(एफ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी और वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/defult.aspx पर उपलब्ध अद्यतन अनुदेशों/ नियमों/ मार्गदर्शन नोटों/ प्रेस प्रकाशनियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। विनियमित संस्थाएं निम्नलिखित का ध्यान रखें:

i. एफ़एटीसीए और सीआरएसपर पर अद्यतन मार्गदर्शन नोट

ii. नियम 114एच (8) के अंतर्गत 'वित्तीय लेखों का समापन' पर प्रेस प्रकाशनी।

58. भुगतान लिखत प्रस्तुत करने की अवधि

चेकों/ ड्राफ्टों/ भुगतान आदेशों/ बैंकर चेकों का भुगतान उनकी जारी की तारीख से तीन महीने के बाद प्रस्तुत किए जाने पर नहीं करना चाहिए।

59.. [151]बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन का माध्यम (मनीम्यूल) बने व्यक्ति

खाता खोलने और लेनदेनों की निगरानी संबंधी अनुदेशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए ताकि ''धनशोधन के माध्यमों'' (मनीम्यूल) के कार्यकलापों को कम किया जा सके। अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए `धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो धनशोधन का माध्यम बना दिये गए ऐसे तीसरे पक्षकारों को भर्ती कर जमा खातों तक अवैध रूप से पहुँच बना लेते हैं। बैंक उन खातों की पहचान करने के लिए परिश्रम उपाय और सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगे जो मनी म्यूल्स के रूप में संचालित होते हैं और एफआईयू-आईएनडी को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, यदि यह स्थापित हो जाता है कि खोला और संचालित खाता मनी म्यूल का है, लेकिन संबंधित बैंक द्वारा कोई एसटीआर दाखिल नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि बैंक ने इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

60. आदाता खाता चेक का संग्रहण

आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। बैंक अपने विवेकानुसार 50,000/- रुपए से कम राशि के ऐसे आदाता खाता चेक का संग्रहण अपने ग्राहकों के खातों में जमा करने के लिए कर सकते हैं जो सहकारी समितियां हों, बशर्ते ऐसे चेकों के आदाता उन सहकारी ऋण समितियों के ग्राहक हों।

61. (ए) [152]आरई को चाहिए कि वे व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ नए संबंध स्थापित करते समय उन्हें विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करें। वर्तमान ग्राहकों को भी यह कोड आबंटित किया जाना चाहिए।

(बी) [153]आरई, अपने विकल्प पर, सभी वॉक-इन/कभी-कभार आने वाले ग्राहकों को यूसीआईसी जारी नहीं करेंगे, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे वॉक-इन ग्राहकों की पहचान करने के लिए पर्याप्त तंत्र है, जो उनके साथ बार-बार लेनदेन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें यूसीआईसी आवंटित किया गया है।

---

[151] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[152] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

[153] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

62. [154]नई प्रौद्योगिकियों का परिचय

आरई द्वारा उन एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और आकलन किया जाएगा जो नए उत्पादों के विकास और नए व्यवसाय प्रथाओं के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें नए वितरण तंत्र शामिल हैं, और नए और पहले से मौजूद दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।

इसके अलावा, आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

(ए) ऐसे उत्पादों, प्रथाओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या उपयोग से पहले एमएल/टीएफ जोखिम आकलन किया जाए; और

(बी) उपयुक्त ईडीडी उपायों और लेन-देन की निगरानी आदि के माध्यम से जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

63. [155]संपर्की बैंकिंग

बैंकों के पास सीमा पार संपर्की बैंकिंग और अन्य समान संबंधों को मंजूरी देने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए अपने बोर्ड या अध्यक्ष/सीईओ/एमडी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। सामान्य सीडीडी उपाय करने के अलावा, ऐसे संबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

ए. प्रतिवादी बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए बैंकों को प्रतिवादी बैंक के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र करनी होगी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से प्रतिवादी बैंक की प्रतिष्ठा और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता का निर्धारण करना होगा, जिसमें यह भी शामिल है कि यह एमएल/टीएफ जांच या विनियामक कार्रवाई के अधीन है या नहीं। बैंक प्रतिवादी बैंक के एएमएल/सीएफटी नियंत्रण का आकलन करेंगे।

बी. प्रतिवादी बैंक के व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में एकत्र की गई जानकारी में अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ-साथ प्रबंधन की जानकारी, प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ, खाता खोलने का उद्देश्य, किसी भी तीसरे-पक्ष की संस्थाओं की पहचान जो संपर्की बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करेगी, प्रतिवादी बैंक के गृह देश में, विनियामक/पर्यवेक्षी ढांचे की जानकारी आदि शामिल होंगे।

सी. नई संपर्की बैंकिंग संबंध स्थापित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। हालाँकि, बोर्ड या इस प्रयोजन के लिए अधिकार प्राप्त समिति की कार्योत्तर मंजूरी भी ली जाएगी।

[154] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[155] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

डी. बैंकों को इसमें शामिल संस्थानों की संबंधित एएमएल/सीएफटी जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण करना होगा और समझना होगा।

ई. खातों के माध्यम से भुगतान के मामले में, संपर्की बैंक इस बात से संतुष्ट होगा कि प्रतिवादी बैंक ने उन ग्राहकों पर सीडीडी आयोजित की है जिनकी संपर्की बैंक के खातों तक सीधी पहुंच है और उन पर 'समुचित सावधानी' कर रहा है।

एफ. संपर्की बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिवादी बैंक अनुरोध पर तुरंत प्रासंगिक सीडीडी जानकारी प्रदान करने में सक्षम है।

जी. किसी शेल बैंक के साथ संपर्की संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा।

एच. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिवादी बैंक अपने खातों का उपयोग शेल बैंकों को करने की अनुमति न दें।

आइ. बैंकों को उन न्यायक्षेत्रों में स्थित संस्थानों के साथ संपर्की बैंकिंग संबंधों से सावधान रहना चाहिए जिनमें रणनीतिक कमियां हैं या जिन्होंने एफएटीएफ सिफारिशों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति नहीं की है।

जे. बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिवादी बैंकों के पास केवाईसी/एएमएल नीतियां और प्रक्रियाएं मौजूद हों तथा वे संपर्की खातों के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन के लिए उन्नत 'समुचित सावधानी'प्रक्रियाएं लागू करें।

64. [156]वायर ट्रांसफर

ए. इस मास्टर निदेश के प्रयोजन हेतु वायर ट्रांसफर के लिए सूचना आवश्यकताएँ:

i. सभी सीमा पार वायर ट्रांसफर निम्नलिखित के अनुसार प्रवर्तक और लाभार्थी की सटीक, परिपूर्ण और सार्थक जानकारी सहित होंगे:

ए. प्रवर्तक का नाम;

बी. प्रवर्तक खाता संख्या जहां इस तरह के खाते का उपयोग लेनदेन को संसाधित करने के लिए किया जाता है;

सी. प्रवर्तक का पता, या राष्ट्रीय पहचान संख्या, या ग्राहक पहचान संख्या, या जन्म तिथि और स्थान;

डी. लाभार्थी का नाम; और

ई. लाभार्थी का खाता संख्या जहां इस तरह के खाते का उपयोग लेनदेन को संसाधित करने के लिए किया जाता है।

[156] दिनांक 4 मई 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

खाते के अभाव में, एक विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या शामिल की जानी चाहिए जिससे लेनदेन का पता लगाया जा सके।

ii. बैच ट्रांसफर के मामले में, जहां एक ही प्रवर्तक से कई अलग-अलग सीमा-पार वायर ट्रांसफर को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक बैच फ़ाइल में समाहित किया जाता है, इनको (अर्थात्, व्यक्तिगत अंतरण) प्रवर्तक सूचना के संबंध में उपर्युक्त खंड (i) की आवश्यकताओं से छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनमें प्रवर्तक की खाता संख्या या अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या शामिल हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और बैच फ़ाइल में आवश्यक और सटीक प्रवर्तक जानकारी, और लाभार्थी की पूरी जानकारी शामिल है, जो कि लाभार्थी देश के भीतर पूरी तरह से पता लगाने योग्य है।

iii. घरेलू वायर ट्रांसफर, *जहां प्रवर्तक* ऑर्डर देने वाले आरई का *खाताधारक है*, वह प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी के साथ होगा, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में सीमा-पार वायर ट्रांसफर के लिए इंगित किया गया है।

iv. [157]पचास हजार रुपये और उससे अधिक के घरेलू वायर ट्रांसफर, जहां प्रवर्तक ऑर्डर देने वाले आरई का खाता धारक नहीं है, प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी के साथ होंगे, जैसा कि सीमा-पार वायर ट्रांसफर के लिए इंगित किया गया है।

पचास हजार रुपये से कम के घरेलू वायर ट्रांसफर के मामले में, जहां प्रवर्तक ऑर्डर देने वाली आरई का खाताधारक नहीं है और जहां वायर ट्रांसफर के साथ दी गई जानकारी लाभार्थी आरई और उपयुक्त प्राधिकारियों को अन्य माध्यमों से उपलब्ध कराई जा सकती है, ऑर्डर देने वाली आरई के लिए एक अद्वितीय लेनदेन संदर्भ संख्या शामिल करना पर्याप्त है, बशर्ते कि यह संख्या या पहचानकर्ता लेनदेन को प्रवर्तक या लाभार्थी तक पता लगाने की अनुमति देगा।

ऑर्डर देने वाली आरई को मध्यस्थ आरई, लाभार्थी आरई, या उपयुक्त सक्षम प्राधिकारियों से अनुरोध प्राप्त होने के तीन कार्यदिवसों के भीतर जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

v. [158]आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वायर ट्रांसफर पर सभी जानकारी उचित स्तर के प्रावधानों के साथ ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर उचित कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अभियोजन / सक्षम अधिकारियों के साथ-साथ एफआईयू-आईएनडी को तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी।

vi. वायर ट्रांसफर अनुदेशों का उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के भुगतानों को कवर करना नहीं है:

---

[157] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।
[158] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

ए. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) का उपयोग करके किए गए लेन-देन से होने वाला कोई भी अंतरण जिसमें टोकन या कार्ड/पीपीआई से जुड़ी कोई अन्य समान संदर्भ स्ट्रिंग के माध्यम शामिल है, जो कि सामान या सेवाओं की खरीद के लिए किया गया है, बशर्ते सभी लेन-देन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर या पीपीआई आईडी या संदर्भ संख्या के साथ होते है। तथापि, जब क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पीपीआई का उपयोग व्यक्ति-से-व्यक्ति वायर ट्रांसफर संपादित करने के लिए भुगतान प्रणाली के रूप में किया जाता है, तो वायर ट्रांसफर अनुदेश ऐसे लेनदेन पर लागू होंगे और संदेश में आवश्यक जानकारी शामिल की जानी चाहिए।

बी. किसी एक वित्तीय संस्था से दूसरी वित्तीय संस्था में अंतरण और निपटान, जहां प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों अपनी ओर से कार्य करने वाले वित्तीय संस्थान हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन अनुदेशों में से कुछ भी पीएमएल अधिनियम 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लागू रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, अथवा लागू किसी अन्य वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के लिए आरई के दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

बी. वायर ट्रांसफर को प्रभावित करने वाले आरई, मध्यस्थ आरई और लाभार्थी को ऑर्डर देने की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

i. **ऑर्डर देने वाली आरई:**

ए. ऑर्डर देने वाली आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सीमा-पार और अर्हताप्राप्त घरेलू वायर ट्रांसफर {अर्थात, ऊपर दिए गए पैराग्राफ 'ए' के खंड (iii) और (iv) के अनुसार लेनदेन} में जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रवर्तक की आवश्यक और सटीक जानकारी तथा लाभार्थी की आवश्यक जानकारी शामिल है।

बी. यदि कोई उपभोक्ता, ऑर्डर देने वाली आरई का खाता धारक नहीं है और जो रिपोर्टिंग या निगरानी से बचने के लिए जानबूझकर पचास हजार रुपये से कम घरेलू वायर ट्रांसफर कर रहा है तब उपभोक्ता की पहचान की जाएगी। उपभोक्ता से असहयोग के मामले में, पहचान स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा और यदि कोई लेनदेन संदिग्ध पाया जाता है, तो पीएमएल नियमों के अनुसार एसटीआर को एफआईयू-आईएनडी में रिपोर्ट किया जा सकता है।

सी. ऑर्डर देने वाली आरई वायर ट्रांसफर को निष्पादित नहीं करेगा यदि वह इस पैराग्राफ में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम नहीं है।

ii. **मध्यस्थ आरई:**

ए. वायर ट्रांसफर की एक श्रृंखला के मध्यस्थ तत्व को संसाधित करने वाली आरई को यह सुनिश्चित करना होगा कि वायर ट्रांसफर के साथ आने वाली सभी प्रवर्तक और लाभार्थी से संबन्धित जानकारी ट्रांसफर के साथ संधारित की जाती है।

बी. जहां तकनीकी सीमाओं के कारण सीमा-पार वायर ट्रांसफर के लिए आवश्यक प्रवर्तक या लाभार्थी जानकारी को संबंधित घरेलू वायर ट्रांसफर के साथ रखना असंभव हो जाता है, ऐसे मामलों में मध्यस्थ आरई द्वारा ऑर्डर देने वाली वित्तीय संस्था या अन्य मध्यस्थ आरई से प्राप्त सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड कम से कम पांच साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।

सी. मध्यस्थ आरई द्वारा ऐसे सभी सीमा-पार वायर ट्रांसफर की पहचान करने के लिए उचित उपाय किए जाने आवश्यक होंगे जिसमें आवश्यक प्रवर्तक जानकारी या आवश्यक लाभार्थी जानकारी का अभाव हो। इस तरह के उपाय सीधे-सीधे प्रसंस्करण के अनुरूप होने चाहिए।

डी. मध्यस्थ आरई के पास निम्नलिखित को निर्धारित करने के लिए प्रभावी जोखिम-आधारित नीतियां और प्रक्रियाएं होंगी: (ए) आवश्यक प्रवर्तक या आवश्यक लाभार्थी से संबन्धित जानकारी के अभाव वाले वायर ट्रांसफर को कब निष्पादित, अस्वीकार या निलंबित करना है; और (बी) उचित अनुवर्ती कार्रवाई जिसमें आगे की जानकारी मांगना और यदि लेनदेन संदिग्ध पाया जाता है, तो पीएमएल नियमों के अनुसार उनको एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करना शामिल है।

iii. **लाभार्थी आरई:**

ए. सीमा-पार वायर ट्रांसफर और योग्य घरेलू वायर ट्रांसफर की पहचान करने के लिए {अर्थात, उपर्युक्त पैराग्राफ 'ए' के खंड (iii) और (iv) के अनुसार लेनदेन}, जिन लेन-देनों में आवश्यक प्रवर्तक जानकारी अथवा आवश्यक लाभार्थी जानकारी का अभाव है ऐसे मामलों में लाभार्थी आरई द्वारा घटना के बाद की निगरानी अथवा जहां संभव हो, वास्तविक समय की निगरानी सहित सभी उचित उपाय किए जाने आवश्यक होंगे।

बी. लाभार्थी आरई के पास निम्नलिखित के निर्धारण के लिए प्रभावी जोखिम-आधारित नीतियां और प्रक्रियाएं होंगी: (ए) आवश्यक प्रवर्तक या आवश्यक लाभार्थी जानकारी के अभाव में वायर ट्रांसफर को कब निष्पादित, अस्वीकार या निलंबित करना है; और (बी) उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई जिसमें आगे की जानकारी मांगना शामिल है और यदि

लेनदेन संदिग्ध पाया जाता है, तो पीएमएल नियमों के अनुसार एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्ट करना।

iv. [159]**धन अंतरण सेवा योजना (मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम) (एमटीएसएस)** प्रदाताओं और अन्य आरई को इस पैराग्राफ की सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है, चाहे वे सीधे या अपने एजेंटों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हों। ऐसे आरई जो वायर ट्रांसफर के आदेश और लाभार्थी पक्ष दोनों को नियंत्रित करते हैं, वे:

ए. यह निर्धारित करने के लिए कि एसटीआर दाखिल किया जाना है या नहीं, ऑर्डर देने वाले और लाभार्थी दोनों पक्षों की सभी जानकारी को ध्यान में रखें; और

बी. यदि कोई लेन-देन संदिग्ध पाया जाता है, तो पीएमएल नियमों के अनुसार, एफआईयू में एसटीआर रिपोर्ट करें।

सी. अन्य दायित्व

i. वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में आरई के अनियमित संस्थाओं के साथ जुड़ाव या भागीदारी के संबंध में बाध्यताएं

आरई इन अनुदेशों के अंतर्गत अपने दायित्वों से अवगत होंगे और वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी भी अनियमित संस्थाओं की वचनबद्धता या भागीदारी के संबंध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अधिक विशेष रूप से, जब भी वायर ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी भी अनियमित संस्था की भागीदारी होती है, तो संबंधित आरई सूचना, रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और इसलिए अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि,

i) इसमें शामिल अनियमित संस्थाओं से और उनके माध्यम से, जैसा कि इन अनुदेशों के अंतर्गत अनिवार्य है, संपूर्ण वायर ट्रांसफर जानकारी का निर्बाध प्रवाह होता है;

ii) आरई द्वारा किन्ही ऐसी अनियमित संस्थाओं के साथ करार/व्यवस्था, यदि कोई हो, में वायर ट्रांसफर अनुदेशों के अंतर्गत दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है; और

iii) ऐसी संस्थाओं के साथ उनके करार/व्यवस्था, यदि कोई हो, में एक समापन खंड रखा गया हो ताकि अनियमित संस्थाएं वायर सूचना आवश्यकताओं का पालन न करने की स्थिति में, करार/व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। उपर्युक्त आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी संस्थाओं के साथ विद्यमान करार/व्यवस्था, यदि कोई हो, की तीन महीने के भीतर समीक्षा की जाए।

[159] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

ii. **नाम स्क्रीनिंग के संबंध में सीमा-पार वायर ट्रांसफर करते समय आरई का दायित्व (जैसे कि वे नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के सीमा पार लेनदेन की प्रक्रिया नहीं करते हैं)**

आरई नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ लेन-देन करने के लिए प्रतिबंधित हैं और तदनुसार, मास्टर निदेश के अध्याय IX के अनुपालन के अलावा, आरई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के क्रॉस-बार्डर (सीमा पार) लेनदेन को संसाधित नहीं करते हैं।

iii. **रिकॉर्ड प्रबंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरई का दायित्व**

मास्टर निदेश के पैराग्राफ 46 के अनुसार वायर ट्रांसफर में शामिल आरई द्वारा वायर ट्रांसफर से संबंधित संपूर्ण प्रवर्तक और लाभार्थी की जानकारी संरक्षित की जाएगी।

65. डिमांड ड्राफ्ट, आदि जारी करना एवं उनका भुगतान

डिमांड ड्राफ्ट, मेल/टेलिग्राफिक अंतरण/ एनईएफटी/ आईएमपीएस या अन्य किसी माध्यम और यात्री चेक के जरिए किए जाने वाले पचास हजार रुपए और उससे अधिक की राशि के प्रेषण नकद भुगतान के रूप में स्वीकार न करते हुए ग्राहक के खाते में नामे डालकर या चेक लेकर किए जाएं।

इसके अतिरिक्त, जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पेऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुखपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे।

66..[160]स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का उल्लेख करना

बैंकों के लिए लागू समय-समय पर संशोधित किए गए आयकर नियम 114बी के प्रावधानों के अनुसार ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय उनका स्थायी खाता संख्या (पैन) या उसके समतुल्य ई- दस्तावेज़ लिया जाना चाहिए और उसका सत्यापन भी किया जाना चाहिए। जिनके पास पैन या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज़ नहीं है उनसे फार्म 60 लेना चाहिए।

67. थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री

जो विनियमित संस्था एजेंट के रूप में कार्य कर रही हैं उन्हें चाहिए कि वे समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री करते समय इन निदेशों के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करें:

[160] दिनांक 9 जनवरी 2020 के परिपत्र विवि.एएमएल.बीसी.सं.27/14.01.001/2019-20 द्वारा संशोधित किया गया।

(ए) इस निदेश के पैराग्राफ 13(ई) में की गई अपेक्षानुसार नवागंतुक (वाक-इन) ग्राहक के पचास हजार रुपए से अधिक के लेनदेन के लिए उसकी पहचान और पता सत्यापित किया जाना चाहिए।

(बी) [161]अध्याय VII के पैराग्राफ 46 के निर्धारण के अनुसार थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री संबंधी लेनदेनों के ब्योरे और संबंधित रिकॉर्ड रखे जाने चाहिए।

(सी) थर्ड पार्टी उत्पादों के संबंध में नवागंतुक ग्राहकों सहित सभी ग्राहकों के साथ हुए लेनदेन के संबंध में सीटीआर/एसटीआर फाइल के लिए चेतावनियां कैप्चर करने, जनरेट करने और उनका विश्लेषण करने की योग्यता युक्त एएमएल सॉफ्टवेयर उपलब्ध होना चाहिए।

(डी) पचास हजार रुपए और उससे ऊपर के लेनदेन केवल निम्नलिखित माध्यमों से किए जाएं:

ग्राहक के खाते में राशि नामे डाल कर या चेक के बदले में; और

खाताधारकों और नवागंतुक ग्राहकों का पैन क्रमांक लेकर उनका सत्यापन करके।

(ई) उक्त (डी) में दिए गए अनुदेश विनियमित संस्था के अपने उत्पादों की बिक्री, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने/ प्री-पेड/ट्रेवल कार्ड की बिक्री और उसे री-लोड करने और अन्य उत्पादों की ब्रिक्री के लिए भी लागू होंगे जहां लेनदेन की राशि पचास हजार रुपए और उससे अधिक है।

68. सहकारी बैंकों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली सममूल्य (एट पार) चेक सुविधा

(ए) वाणिज्यिक बैंक सहकारी बैंकों को 'सममूल्य' चेक सुविधा देते हैं। इस सुविधा की मॉनीटरिंग की जानी चाहिए और इस व्यवस्था से होने वाले जोखिम जिसमें ऋण जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल है, का मूल्यांकन करने के लिए इस व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।

(बी) केवाईसी और एएमएल के संबंध में जारी वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन की दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत ग्राहक सहकारी बैंक/समितियों द्वारा रखे गए अभिलेखों को सत्यापित करने का अधिकार बैंक को अपने पास रखना चाहिए।

(सी) सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे:

i. यह सुनिश्चित करें कि 'सममूल्य' सुविधा का उपयोग केवल निम्नलिखित प्रयोजन के लिए हो:

ए. स्वयं के उपयोग के लिए,

बी. केवाईसी अनुपालित अपने खाताधारकों के लिए, बशर्ते पचास हजार रुपए और उच्चतर राशि के सभी लेनेदेन अनिवार्य रूप से ग्राहकों के खातों में नामे द्वारा ही किए जाते हों,

[161] दिनांक 17 अक्टूबर 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

सी. अकस्मात आने वाले ग्राहकों के लिए प्रति व्यक्ति पचास हजार रुपए से कम की नकद राशि के लिए।

ii. निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करे:

ए. जारी किए गए 'सममूल्य' चेकों का अभिलेख रखा जाए जिसमें आवेदक का नाम और खाता क्रमांक, लाभार्थी के ब्योरे, जारी किए गए 'सममूल्य' चेक की तारीख और अन्य जानकारी हो,

बी. जो वाणिज्यिक बैंक यह सुविधा उपलब्ध करा रहा है उसके साथ पर्याप्त शेष/ आहरण व्यवस्था बनाए रखी जाए ताकि ऐसे लिखतों का भुगतान हो सके।

iii. यह सुनिश्चित करें कि 'सममूल्य' चेक 'आदाता खाता' शब्दों के साथ रेखांकित हो, चाहे उसकी राशि कितनी भी हो।

69. प्री-पेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना:

पीपीआई जारीकर्ता को चाहिए कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग द्वारा मास्टर निदेश के माध्यम से जारी अनुदेशों का कड़ाई से पालन करे।

70. [162]कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

ए. अपने कार्मिकों की भर्ती/भर्ती प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने कर्मचारी/स्टाफ नीति को जानें सहित पर्याप्त स्क्रीनिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

बी. आरई यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों से निपटने/नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के पास: उच्च अखंडता और नैतिक मानक, मौजूदा केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मानकों की अच्छी समझ, प्रभावी संचार कौशल और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते केवाईसी/एएमएल/सीएफटी परिदृश्य के साथ स्थापित रखने की क्षमता है। आरई एक ऐसा वातावरण विकसित करने का भी प्रयास करेंगे जो कर्मचारियों के बीच खुले संचार और उच्च अखंडता को बढ़ावा दे।

सी. वर्तमान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सतत व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्टाफ सदस्य केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति के बारे समुचित रूप से प्रशिक्षित हो सकें। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों को सेवा देने वाले स्टाफ सदस्यों को उनके कार्य की अपेक्षानुसार प्रशिक्षण दिया जाए। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहक शिक्षा की कमी के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। लेखा-परीक्षा कार्य के लिए उचित स्टाफ

162 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा संशोधित किया गया।

दिया जाए जो प्रशिक्षित हो और विनियमित संस्था की केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति, विनियम और संबंधित मामलों से अच्छी तरह परिचित हो।

71. [163]हटाया गया

अध्याय-XI

निरसन प्रावधान

72. इन निदेशों के जारी होने के बाद परिशिष्ट में उल्लिखित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश निरस्त समझे जाएंगे।

73. उक्त परिपत्रों द्वारा दिए गए सभी अनुमोदनों/अभिस्वीकृतियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे इन निदेशों के अंतर्गत दिये गए हैं।

74. सभी निरस्त परिपत्रों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे इस निदेश के जारी होने तक लागू थे।

[163] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 द्वारा हटाया गया।

अनुलग्नक I

डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया

ए. आरई डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेंगे जिसे उनके ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए ग्राहक पहुँच स्थलों पर उपलब्ध करवाया जाएगा और केवल आरई के इस अधिप्रमाणित एप्लिकेशन के माध्यम से ही केवाईसी प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी।

बी. एप्लिकेशन तक पहुँच आरई द्वारा नियंत्रित की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग न हो। आरई के द्वारा इसके प्राधिकृत अधिकारियों को दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड या लाइव ओटीपी या समय- ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से ही केवल एप्लिकेशन का अभिगम होगा।

सी. ग्राहक, केवाईसी के प्रयोजन के लिए आरई के प्राधिकृत अधिकारियों के स्थानों पर जाएंगे या ये प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करेंगे। ग्राहक के पास मूल आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) रहेगा।

डी. आरई यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक की लाइव फोटो ली गई है और वह फोटो ग्राहक आवेदन फॉर्म (सीएएफ़) में सन्निहित हो। इसके अतिरिक्त आरई का एप्लिकेशन सिस्टम ग्राहक के खींचे गए लाइव फोटो पर सीएएफ़ संख्या, जीपीएस निर्देशांकों, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, विशिष्ट कर्मचारी कोड (आरई द्वारा दिया गया) और तारीख (डीडी:एमएम:वाईवाईवाईवाई) और समय स्टैम्प (घंटा:मिनट:सेकंड) से युक्त पठनीय रूप में वाटरमार्क अंकित करेगा।

ई. आरई के एप्लिकेशन में यह विशेषता होगी कि ग्राहक का केवल लाइव फोटो ही खींचा जाए और ग्राहक का मुद्रित या विडियोग्राफी किया हुआ फोटो नहीं खींचा जाए। लाइव फोटो खींचते समय ग्राहक के पीछे की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और ग्राहक की लाइव फोटो खींचते समय आकृति में कोई और व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

एफ. इसी प्रकार मूल ओवीडी या आधार संख्या होने का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं हो सकता है (क्षैतिज रूप से रखकर), की लाइव फोटो ऊपर से ऊर्ध्व रूप से खींची जाएगी और उपर्युक्त अनुसार पठनीय रूप में वाटर- मार्किंग किया जाएगा। मूल दस्तावेजों की लाइव फोटो लेते समय मोबाइल में कोई तिरछापन नहीं आना चाहिए।

जी. ग्राहक और उसके मूल दस्तावेजों की लाइव फोटो उचित प्रकाश में खींची जाएगी जिससे वे स्पष्ट रूप से पहचानने और पढ़ने योग्य हों।

एच. तत्पश्चात, सीएएफ़ में सभी प्रविष्टियाँ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के अनुसार भरी जाएंगी। उन दस्तावेजों में जहां क्विक रेस्पौंस (क्यूआर) कोड उपलब्ध है, वहाँ मैनुअल रूप से विवरण भरने के स्थान पर क्यूआर कोड स्कैन कर ऐसे विवरण ऑटो-पॉपुलेट किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यूआईडीएआई से डाउनलोड किए गए भौतिक आधार/ ई-आधार की स्थिति में, जहां क्यूआर कोड उपलब्ध है, वहाँ नाम, लिंग, जन्म की तारीख और पता जैसे विवरण आधार/ ई-आधार पर उपलब्ध क्यूआरकोड स्कैन कर ऑटो-पॉपुलेट किए जा सकते हैं।

आई. एक बार जब उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब 'कृपया ओटीपी साझा करने से पहले फॉर्म में भरे हुए विवरण सत्यापित करें' पाठ से युक्त वनटाइम पासवर्ड (ओटीपी) संदेश ग्राहक के स्वयं के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी के सफलतापूर्वक वैधीकरण पर यह सीएएफ़ पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। तथापि यदि ग्राहक के पास उसका अपना मोबाइल नंबर नहीं है तब उसके परिवार/रिशतेदारों या परिचित व्यक्तियों का मोबाइल नंबर इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इसे सीएएफ़ में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए। किसी भी दशा में, आरई के पास प्राधिकृत अधिकारी का रजिस्टर्ड नंबर ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आरई यह आवश्यक रूप से जांच करेगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में प्रयुक्त मोबाइल नंबर प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं होगा।

जे. प्राधिकृत अधिकारी, ग्राहक और मूल दस्तावेज़ का लाइव फोटो खींचने के बारे में एक घोषणा देगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), जो कि आरई के पास रजिस्टर्ड उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, से सत्यापित होगा। ओटीपी के सफलतापूर्वक वैधीकरण पर, इसे घोषणा पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी का लाइव फोटो भी इस प्राधिकृत अधिकारी घोषणा में खींचा जाएगा।

के. इन सब गतिविधियों के बाद एप्लिकेशन, प्रक्रिया के पूर्ण होने और आरई के एक्टिवेशन अधिकारी को एक्टिवेशन अनुरोध के प्रस्तुत होने के बारे में सूचना देगा और प्रक्रिया की ट्रैंज़ैक्शन आईडी/ रेफरेंस आईडी संख्या भी सृजित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी ग्राहक को भावी संदर्भ के लिए ट्रैंज़ैक्शन आईडी/ रेफरेंस आईडी संख्या के संबंध में ब्यौरे सूचित करेगा।

एल. आरई का प्राधिकृत अधिकारी यह जांच और सत्यापित करेगा कि:- (i) दस्तावेज़ के चित्र में उपलब्ध सूचना सीएएफ़ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्ट की गई सूचना के समरूप है (ii)

ग्राहक की लाइव फोटो दस्तावेज़ में उपलब्ध फोटो के समरूप है; और (iii) अनिवार्य स्थानों सहित सीएएफ़ में सभी आवश्यक ब्यौरे उचित रूप में भरे गए हैं।;

एम. सफलतापूर्वक सत्यापन पर आरई के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सीएएफ़ को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा जो सीएएफ़ का एक प्रिंट लेगा, समुचित स्थानों पर ग्राहक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लेगा, तब स्कैन करके उसे सिस्टम में अपलोड करेगा। मूल हार्ड प्रति ग्राहक को वापस की जा सकेगी।

बैंक इस प्रक्रिया के लिए कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

अनुलग्नक II

Annex II
File No. 14014/01/2019/CFT
Government of India
Ministry of Home Affairs
CTCR Division

North Block, New Delhi.
Dated: the 2nd February, 2021
(**Amended vide corrigendum dated March 15, 2023**)
(**Amended vide corrigendum dated August 29, 2023**)
(**Amended vide corrigendum dated April 22, 2024**)

ORDER

Subject: - Procedure for implementation of Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) reads as under:-

"51A. For the prevention of, and for coping with terrorist activities, the Central Government shall have power to —

a. freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources held by, on behalf of or at the direction of the individuals or entities listed in the Schedule to the Order, or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;
b. prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism;
c. prevent the entry into or the transit through India of individuals listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism".

The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 defines "Order" as under: -

"Order" means the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2007, as may be amended from time to time.

2. In order to ensure expeditious and effective implementation of the provisions of Section 51A, a revised procedure is outlined below in supersession of earlier orders and guidelines on the subject:

3. Appointment and communication details of the UAPA Nodal Officers:

3.1 The Joint Secretary (CTCR), Ministry of Home Affairs would be the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA **[Telephone Number: 011-23093124, 011-230923465 (Fax), email address: jsctcr-mha@gov.in].**

3.2 The Ministry of External Affairs, Department of Economic Affairs, Ministry of Corporate Affairs, Foreigners Division of MHA, FIU-IND, Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and Financial Regulators (RBI, SEBI and IRDA) shall appoint a UAPA Nodal Officer and communicate the name and contact details to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA.

3.4 All the States and UTs shall appoint a UAPA Nodal Officer preferably of the rank of the Principal Secretary/Secretary, Home Department and communicate the name and contact details to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA.

3.5 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall maintain the consolidated list of all UAPA Nodal Officers and forward the list to all other UAPA Nodal Officers, in July every year or as and when the list is updated and shall cause the amended list of UAPA Nodal Officers circulated to all the Nodal Officers.

3.6 The Financial Regulators shall forward the consolidated list of UAPA Nodal Officers to the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies.

3.7 The Regulators of the real estate agents, dealers in precious metals & stones (DPMS) and DNFBPs shall forward the consolidated list of UAPA Nodal Officers to the real estate agents, dealers in precious metals & stones (DPMS) and DNFBPs.

4. Communication of the list of designated individuals/entities:

4.1 The Ministry of External Affairs shall update the list of individuals and entities subject to the UN sanction measures whenever changes are made in the lists by the UNSC 1267 Committee pertaining to Al Qaida and Da'esh and the UNSC 1988 Committee pertaining to Taliban. On such revisions, the Ministry of External Affairs would electronically forward the changes without delay to the designated Nodal Officers in the Ministry of Corporate Affairs, CBIC, Financial Regulators, FIU–IND, CTCR Division and Foreigners Division in MHA.

4.2 The Financial Regulators shall forward the list of designated persons as mentioned in Para 4(i) above, without delay to the banks, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies.

4.3 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall forward the designated list as mentioned in Para 4(i) above, to all the UAPA Nodal Officers of States/UTs without delay.

4.4 The UAPA Nodal Officer in Foreigners Division of MHA shall forward the designated list as mentioned in Para 4(i) above, to the immigration authorities and security agencies without delay.

4.5 The Regulators of the real estate agents, dealers in precious metals & stones (DPMS) and DNFBPs shall forward the list of designated persons as mentioned in Para 4(i) above, to the real estate agents, dealers in precious metals & stones (DPMS) and DNFBPs without delay.

5. Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or Insurance policies etc.

5.1 The Financial Regulators will issue necessary guidelines to banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by the SEBI and insurance companies requiring them -

(i) To maintain updated designated lists in electronic form and run a check on the given parameters on a daily basis to verify whether individuals or entities listed in the Schedule to the Order, hereinafter, referred to as designated individuals/entities are holding any funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks, Insurance policies etc., with them.

(ii) In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated individuals/entities, the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies shall immediately inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or Insurance policies etc., held by such customer on their books to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA, at Fax No.011-23092551 and also convey over telephone No. 011-23092548. The particulars apart from being sent by post shall necessarily be conveyed on email id: **jsctcr-mha@gov.in**.

(iii) The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall also send a copy of the communication mentioned in 5.1 (ii) above to the UAPA Nodal Officer of the State/UT where the account is held and to Regulators and FIU-IND, as the case may be, without delay.

(iv) In case, the match of any of the customers with the particulars of designated individuals/entities is beyond doubt, the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies shall prevent such designated persons from conducting financial transactions, under intimation to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA at Fax No.011-23092551 and

also convey over telephone No.011-23092548. The particulars apart from being sent by post should necessarily be conveyed on e-mail id: **jsctcr-mha@gov.in**, without delay.

(v) The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, and insurance companies shall file a Suspicious Transaction Report (STR) with FIU-IND covering all transactions in the accounts, covered under Paragraph 5.1(ii) above, carried through or attempted as per the prescribed format.

5.2 On receipt of the particulars, as referred to in Paragraph 5 (i) above, the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/ entities identified by the banks, stock exchanges/depositories, intermediaries and insurance companies are the ones listed as designated individuals/ entities and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI and insurance companies are held by the designated individuals/entities. This verification would be completed expeditiously from the date of receipt of such particulars.

5.3 In case, the results of the verification indicate that the properties are owned by or are held for the benefit of the designated individuals/entities, an orders to freeze these assets under Section 51A of the UAPA would be issued by the Central [designated] nodal officer for the UAPA without delay and conveyed electronically to the concerned bank branch, depository and insurance company under intimation to respective Regulators and FIU-IND. The Central [designated] nodal officer for the UAPA shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretaries/Secretaries, Home Department of the States/UTs and all UAPA nodal officers in the country, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals/ entities or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall also forward a copy of the order to all Directors General of Police/ Commissioners of Police of all States/UTs for initiating action under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

The order shall be issued without prior notice to the designated individual/entity.

6. Regarding financial assets or economic resources of the nature of immovable properties:

6.1 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall electronically forward the designated list to the UAPA Nodal Officers of all States and UTs with request to have the names of the designated individuals/entities, on the given parameters, verified from the records of the office of the Registrar performing the work of registration of immovable properties in their respective jurisdiction, without delay.

6.2 In case, the designated individuals/entities are holding financial assets or economic resources of the nature of immovable property and if any match with the designated individuals/entities is found, the UAPA Nodal Officer of the State/UT would cause communication of the complete particulars of such individual/entity along with complete details of the financial assets or economic resources of the nature of immovable property to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA without delay at Fax No. 011-23092551 and also convey over telephone No. 011-23092548. The particulars apart from being sent by post would necessarily be conveyed on email id: **jsctcr-mha@gov.in**.

6.3 The UAPA Nodal Officer of the State/UT may cause such inquiry to be conducted by the State Police so as to ensure that the particulars sent by the Registrar performing the work of registering immovable properties are indeed of these designated individuals/entities. This verification shall be completed without delay and shall be conveyed within 24 hours of the verification, if it matches with the particulars of the designated individual/entity to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA at the given Fax, telephone numbers and also on the email id.

6.4 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA may also have the verification conducted by the Central Agencies. This verification would be completed expeditiously.

6.5 In case, the results of the verification indicates that the particulars match with those of designated individuals/entities, an order under Section 51A of the UAPA shall be issued by the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA without delay and conveyed to the concerned Registrar performing the work

of registering immovable properties and to FIU-IND under intimation to the concerned UAPA Nodal Officer of the State/UT.

The order shall be issued without prior notice to the designated individual/entity.

6.6 Further, the UAPA Nodal Officer of the State/UT shall cause to monitor the transactions/ accounts of the designated individual/entity so as to prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities listed in the Schedule to the Order or any other person engaged in or suspected to be engaged in terrorism. The UAPA Nodal Officer of the State/UT shall, upon becoming aware of any transactions and attempts by third party immediately bring to the notice of the DGP/Commissioner of Police of the State/UT for initiating action under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

7. Regarding the real-estate agents, dealers of precious metals/stones (DPMS) and other Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) and any other person:

(i) The Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), inter alia, include casinos, real estate agents, dealers in precious metals/stones (DPMS), lawyers/notaries, accountants, company service providers and societies/ firms and non-profit organizations. The list of designated entities/individuals should be circulated to all DNFBPs by the concerned Regulators without delay.

(a) The DNFBPs are required to ensure that if any designated individual/entity approaches them for a transaction or relationship or attempts to undertake such transactions, the dealer should not carry out such transactions and, without delay, inform the UAPA Nodal officer of the State/UT with details of the funds/assets held and the details of the transaction, who in turn would follow the same procedure as in para 6.2 to 6.6 above. Further, if the dealers hold any assets or funds of the designated individual/entity, either directly or indirectly, they shall freeze the same without delay and inform the UAPA Nodal officer of the State/UT.

(ii) The CBIC shall advise the dealers of precious metals/stones (DPMS) that if any designated individual/entity approaches them for sale/purchase of precious metals/stones or attempts to undertake such transactions the dealer should not carry out such transaction and without delay inform the CBIC, who in turn follow the similar procedure as laid down in the paragraphs 6.2 to 6.5 above.

(iii) The UAPA Nodal Officer of the State/UT shall advise the Registrar of Societies/ Firms/ non-profit organizations that if any designated individual/ entity is a shareholder/ member/ partner/ director/ settler/ trustee/ beneficiary/ beneficial owner of any society/ partnership firm/ trust/ non-profit organization, then the Registrar should inform the UAPA Nodal Officer of the State/UT without delay, who will, in turn, follow the procedure as laid down in the paragraphs 6.2 to 6.5 above. The Registrar should also be advised that no societies/ firms/ non-profit organizations should be allowed to be registered, if any of the designated individual/ entity is a director/ partner/ office bearer/ trustee/ settler/ beneficiary or beneficial owner of such juridical person and in case such request is received, then the Registrar shall inform the UAPA Nodal Officer of the concerned State/UT without delay, who will, in turn, follow the procedure laid down in the paragraphs 6.2 to 6.5 above.

(iv) The UAPA Nodal Officer of the State/UT shall also advise appropriate department of the State/UT, administering the operations relating to Casinos, to ensure that the designated individuals/ entities should not be allowed to own or have beneficial ownership in any Casino operation. Further, if any designated individual/ entity visits or participates in any game in the Casino and/ or if any assets of such designated individual/ entity is with the Casino operator, and of the particulars of any client matches with the particulars of designated individuals/ entities, the Casino owner shall inform the UAPA Nodal Officer of the State/UT without delay, who shall in turn follow the procedure laid down in paragraph 6.2 to 6.5 above.

(v) The Ministry of Corporate Affairs shall issue an appropriate order to the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Works Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India (ICSI) requesting them to sensitize their respective members to the provisions of Section 51A of UAPA, so that if any designated individual/entity approaches them, for entering/ investing in the financial sector and/or immovable property, or they are holding or managing any assets/ resources of Designated individual/ entities, then the member shall convey the complete details of such

designated individual/ entity to UAPA Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs who shall in turn follow the similar procedure as laid down in paragraph 6.2 to 6.5 above.

(vi) The members of these institutes should also be sensitized that if they have arranged for or have been approached for incorporation/ formation/ registration of any company, limited liability firm, partnership firm, society, trust, association where any of designated individual/ entity is a director/ shareholder/ member of a company/ society/ association or partner in a firm or settler/ trustee or beneficiary of a trust or a beneficial owner of a juridical person, then the member of the institute should not incorporate/ form/ register such juridical person and should convey the complete details of such designated individual/ entity to UAPA Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs who shall in turn follow the similar procedure as laid down in paragraph 6.2 to 6.5 above.

(vii) In addition, the member of the ICSI be sensitized that if he/she is Company Secretary or is holding any managerial position where any of designated individual/ entity is a Director and/or Shareholder or having beneficial ownership of any such juridical person then the member should convey the complete details of such designated individual/ entity to UAPA Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs who shall in turn follow the similar procedure as laid down in paragraph 6.2 to 6.5 above.

(viii) The Registrar of Companies (ROC) may be advised that in case any designated individual/ entity is a shareholder/ director/ whole time director in any company registered with ROC or beneficial owner of such company, then the ROC should convey the complete details of such designated individual/ entity, as per the procedure mentioned in paragraph 8 to 10 above. This procedure shall also be followed in case of any designated individual/ entity being a partner of Limited Liabilities Partnership Firms registered with ROC or beneficial owner of such firms. Further the ROC may be advised that no company or limited liability Partnership firm shall be allowed to be registered if any of the designated individual/ entity is the Director/ Promoter/ Partner or beneficial owner of such company or firm and in case such a request received the ROC should inform the UAPA Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs who in turn shall follow the similar procedure as laid down in paragraph 6.2 to 6.5 above.

(ix) Any person, either directly or indirectly, holding any funds or other assets of designated individuals or entities, shall, without delay and without prior notice, cause to freeze any transaction in relation to such funds or assets, by immediately informing the nearest Police Station, which shall, in turn, inform the concerned UAPA Nodal Officer of the State/UT along with the details of the funds/assets held. The concerned UAPA Nodal Officer of the State/UT, would follow the same procedure as in para 6.2 to 6.6 above.

8. Regarding implementation of requests received from foreign countries under U.N. Security Council Resolution 1373 of 2001:

8.1 The U.N. Security Council Resolution No.1373 of 2001 obligates countries to freeze without delay the funds or other assets of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds or other assets derived or generated from property owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and associated persons and entities. Each individual country has the authority to designate the persons and entities that should have their funds or other assets frozen. Additionally, to ensure that effective cooperation is developed among countries, countries should examine and give effect to, if appropriate, the actions initiated under the freezing mechanisms of other countries.

8.2 To give effect to the requests of foreign countries under the U.N. Security Council Resolution 1373, the Ministry of External Affairs shall examine the requests made by the foreign countries and forward it electronically, with their comments, to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA for freezing of funds or other assets.

8.3 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall cause the request to be examined without delay, so as to satisfy itself that on the basis of applicable legal principles, the requested designation is supported by reasonable grounds, or a reasonable basis, to suspect or believe that the proposed designee is a terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization, and upon his satisfaction, request would be electronically forwarded to the Nodal Officers in Regulators, FIU-IND and to the Nodal

Officers of the States/UTs. The proposed designee, as mentioned above would be treated as designated individuals/entities.

9. Upon receipt of the requests by these Nodal Officers from the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA, the similar procedure as enumerated at paragraphs 5 and 6 above shall be followed.

The freezing orders shall be issued without prior notice to the designated persons involved.

10. Regarding exemption, to be granted to the above orders in accordance with UNSCR 1452.

10.1 The above provisions shall not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the Central [designated] nodal officer of the UAPA to be:-

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources, after notification by the MEA of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, assets or resources and in the absence of a negative decision within 48 hours of such notification;

(b) necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the MEA;

10.2. The addition may be allowed to accounts of the designated individuals/ entities subject to the provisions of paragraph 10 of:

(a) interest or other earnings due on those accounts, or

(b) payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), or 1390 (2002),

Provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to those provisions;

10.3 (a): The designated individual or organization may submit a request to the Central [Designated] Nodal Officer for UAPA under the provisions of Para 10.1 above. The Central [Designated] Nodal Officer for UAPA may be approached by post at “Joint Secretary (CTCR), North Block, New Delhi – 110001” or through email to **jsctcr-mha@gov.in**”

(b): The Central [Designated] Nodal Officer for UAPA shall examine such requests, in consultation with the Law Enforcement Agencies and other Security Agencies and Intelligence Agencies and, if accepted, communicate the same, if applicable, to the Ministry of External Affairs, Government of India for notifying the committee established pursuant to UNSC Resolution 1267 (1999) of the intention to authorize, access to such funds, assets or resources in terms of Para 10.1 above.

11. Regarding procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the person or entity is not a designated person:

11.1 Any individual or entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by them has been inadvertently frozen, they shall move an application giving the requisite evidence, in writing, to the concerned bank, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties, ROC, Regulators of DNFBPs and the UAPA Nodal Officers of State/UT.

11.2 The banks, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties, ROC, Regulators of DNFBPs and the State/ UT Nodal Officers shall inform and forward a copy of the application together with full details of the asset frozen given by any individual or entity informing of the funds, financial assets or economic resources or related

services have been frozen inadvertently, to the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA as per the contact details given in Paragraph 3.1 above, within two working days.

11.3 The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall cause such verification, as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity, and, if satisfied, he/she shall pass an order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant, under intimation to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance company, Registrar of Immovable Properties, ROC, Regulators of DNFBPs and the UAPA Nodal Officer of State/UT. However, if it is not possible for any reason to pass an Order unfreezing the assets within 5 working days, the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA shall inform the applicant expeditiously.

11A. Regarding procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/organisations in the event of delisting by the UNSCR 1267 (1999), 1988 (2011) and 1989 (2011) Committee

Upon making an application in writing by the concerned individual/organisation, to the concerned bank, stock exchanges/depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties, RoC, Regulators of DNFBPs, Department of Posts and the UAPA Nodal Officers of all States/UTs., who in turn shall forward the application along with the full details of the assets frozen to the Central [Designated] Nodal Officer for UAPA within two working days. The Central [Designated] Nodal Officer for UAPA shall examine the request in consultation with the Law Enforcement Agencies and other Security Agencies and Intelligence Agencies and cause such verification as may be required and if satisfied, shall pass an order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services owned or held by the applicant under intimation to concerned bank, stock exchanges/ depositories, intermediaries regulated by SEBI, insurance companies, Registrar of Immovable Properties, RoC, Regulators of DNFBPs, Department of Posts and the UAPA Nodal Officers of all States/UTs.

12. Regarding prevention of entry into or transit through India:

12.1 As regards prevention of entry into or transit through India of the designated individuals, the UAPA Nodal Officer in the Foreigners Division of MHA, shall forward the designated lists to the immigration authorities and security agencies with a request to prevent the entry into or the transit through India. The order shall take place without prior notice to the designated individuals/entities.

12.2 The immigration authorities shall ensure strict compliance of the order and also communicate the details of entry or transit through India of the designated individuals as prevented by them to the UAPA Nodal Officer in Foreigners Division of MHA.

13. Procedure for communication of compliance of action taken under Section 51A: The Central [designated] Nodal Officer for the UAPA and the Nodal Officer in the Foreigners Division, MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs for onward communication to the United Nations.

14. Communication of the Order issued under Section 51A of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967: The order issued under Section 51A of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Central [designated] Nodal Officer for the UAPA relating to funds, financial assets or economic resources or related services, shall be communicated to all the UAPA nodal officers in the country, the Regulators of Financial Services, FIU-IND and DNFBPs, banks, depositories/stock exchanges, intermediaries regulated by SEBI, Registrars performing the work of registering immovable properties through the UAPA Nodal Officer of the State/UT.

15. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.

(Ashutosh Agnihotri)
Joint Secretary to the Government of India

To,

1) Governor, Reserve Bank of India, Mumbai

2) Chairman, Securities & Exchange Board of India, Mumbai

3) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad.

4) Foreign Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi.

5) Finance Secretary, Ministry of Finance, New Delhi.

6) Revenue Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

7) Secretary, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

8) Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi.

9) Director, Intelligence Bureau, New Delhi.

10) Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi.

11) Chief Secretaries of all States/Union Territories

12) Principal Secretary (Home)/Secretary (Home) of all States/ Union Territories

13) Directors General of Police of all States & Union Territories

14) Director General of Police, National Investigation Agency, New Delhi.

15) Commissioner of Police, Delhi.

16) Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, New Delhi.

17) Joint Secretary (Capital Markets), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

18) Joint Secretary (Revenue), Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

19) Director (FIU-IND), New Delhi.

Copy for information to: -

1. Sr. PPS to HS

2. PS to SS (IS)

[164]अनुलग्नक III

F.No.P - 12011/14/2022-ES Cell-DOR
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
***

New Delhi, dated the 1st September, 2023.

ORDER

Subject: - Procedure for implementation of Section 12A of "The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005".

Section 12A of The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 [hereinafter referred to as 'the Act'] reads as under: -

"12A. (1) No person shall finance any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

(2) For prevention of financing by any person of any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems, the Central Government shall have power to—

a) freeze, seize or attach funds or other financial assets or economic resources—

i. owned or controlled, wholly or jointly, directly or indirectly, by such person; or
ii. held by or on behalf of, or at the direction of, such person; or
iii. derived or generated from the funds or other assets owned or controlled, directly or indirectly, by such person;

prohibit any person from making funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of persons related to any activity which is prohibited under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems.

(3) The Central Government may exercise its powers under this section through any authority who has been assigned the power under sub-section (1) of section 7."

II In order to ensure expeditious and effective implementation of the provisions of Section 12A of the Act, the procedure is outlined below.

1. Appointment and communication details of Section 12A Nodal Officers:

1.1 In exercise of the powers conferred under Section 7(1) of the Act, the Central Government assigns Director, FIU-India, Department of Revenue, Ministry of Finance, as the authority to exercise powers under Section 12A of the Act. The Director, FIU-India shall be hereby referred to as the Central Nodal Officer (CNO) for the purpose of this order. **[Telephone Number: 011-23314458, 011-23314435, 011-23314459 (FAX), email address: dir@fiuindia.gov.in]**.

1.2 **Regulator** under this order shall have the same meaning as defined in Rule 2(fa) of Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005. **Reporting Entity (RE)** shall have the same meaning as defined in Section 2 (1) (wa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002. DNFPBs is as defined in section 2(1) (sa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002.

[164] दिनांक 28 अप्रैल 2023 के परिपत्र विवि.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24 के माध्यम से जोड़ा गया।

1.3 The Regulators, Ministry of Corporate Affairs and Foreigners Division of MHA shall notify a Nodal Officer for implementation of provisions of Section 12A of the Act. The Regulator may notify the Nodal Officer appointed for implementation of provisions of Section 51A of UAPA, also, as the Nodal Officer for implementation of Section 12A of the Act. All the States and UTs shall notify a State Nodal officer for implementation of Section 12A of the Act. A State/UT may notify the State Nodal Officer appointed for implementation of provisions of Section 51A of UAPA, also, as the Nodal Officer for implementation of Section 12A of the Act.

1.4 The CNO shall maintain an updated list of all Nodal Officers, and share the updated list with all Nodal Officers periodically. The CNO shall forward the updated list of all Nodal Officers to all REs.

2. Communication of the lists of designated individuals/entities:

2.1 The Ministry of External Affairs will electronically communicate, without delay, the changes made in the list of designated individuals and entities (hereinafter referred to as 'designated list') in line with section 12A (1) to the CNO and Nodal officers.

2.1.1 Further, the CNO shall maintain the Designated list on the portal of FIU-India. The list would be updated by the CNO, as and when it is updated, as per para 2.1 above, without delay. It shall make available for all Nodal officers, the State Nodal Officers, and to the Registrars performing the work of registration of immovable properties, either directly or through State Nodal Officers, without delay.

2.1.2 The Ministry of External Affairs may also share other information relating to prohibition / prevention of financing of prohibited activity under Section 12A (after its initial assessment of the relevant factors in the case) with the CNO and other organizations concerned, for initiating verification and suitable action.

2.1.3 The Regulators shall make available the updated designated list, without delay, to their REs. The REs will maintain the designated list and update it, without delay, whenever changes are made as per para 2.1 above.

2.2 The Nodal Officer for Section 12A in Foreigners Division of MHA shall forward the updated designated list to the immigration authorities and security agencies, without delay.

3. Regarding funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies, etc.

3.1 All Financial Institutions shall –

i. Verify if the particulars of the entities/individual, party to the financial transactions, match with the particulars of designated list and in case of match, REs shall not carry out such transaction and shall immediately inform the transaction details with full particulars of the funds, financial assets or economic resources involved to the CNO by email, FAX and by post, without delay.
ii. Run a check, on the given parameters, at the time of establishing a relation with a customer and on a periodic basis to verify whether individuals and entities in the designated list are holding any funds, financial assets or economic resources or related services, in the form of bank accounts, stocks, Insurance policies etc. In case, the particulars of any of their customers match with the particulars of designated list, REs shall immediately inform full particulars of the funds, financial assets or economic resources or related services held in the form of bank accounts, stocks or insurance policies etc., held on their books to the CNO by email, FAX and by post, without delay.
iii. The REs shall also send a copy of the communication, mentioned in 3.1 (i) and (ii) above, to State Nodal Officer, where the account/transaction is held, and to their Regulator, as the case may be, without delay.
iv. In case there are reasons to believe beyond doubt that funds or assets held by a customer would fall under the purview of clause (a) or (b) of sub-section (2) of Section 12A, REs shall prevent such individual/entity from conducting financial transactions, under intimation to the CNO by email, FAX and by post , without delay.

3.2 On receipt of the particulars, as referred to in Paragraph 3.1 above, the CNO would cause a verification to be conducted by the State Police and/or the Central Agencies so as to ensure that the individuals/entities identified by the REs are the ones in designated list and the funds, financial assets or economic resources or related services, reported by REs are in respect of the designated individuals/entities. This verification would be completed expeditiously from the date of receipt of such particulars.

3.3 In case, the results of the verification indicate that the assets are owned by, or are held for the benefit of, the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under Section 12A would be issued by the CNO without delay and be conveyed electronically to the concerned RE under intimation to respective Regulators. The CNO shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretaries/Secretaries, Home Department of the States/UTs and All Nodal officers in the country, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals / entities. The CNO shall also forward a copy of the order to all Directors General of Police/ Commissioners of Police of all States/UTs for initiating suitable action.

3.4 The order shall be issued without prior notice to the designated individual/entity.

4. Regarding financial assets or economic resources of the nature of immovable properties:

4.1 The Registrars performing work of registration of immovable properties shall --

i. Verify if the particulars of the entities/individual, party to the transactions, match with the particulars of the designated list, and, in case of match, shall not carry out such transaction and immediately inform the details with full particulars of the assets or economic resources involved to the State Nodal Officer, without delay.
ii. Verify from the records in their respective jurisdiction, without delay, on given parameters, if the details match with the details of the individuals and entities in the designated list. In case, the designated individuals/entities are holding financial assets or economic resources of the nature of immovable property, and if any match with the designated individuals/entities is found, the Registrar shall immediately inform the details with full particulars of the assets or economic resources involved to the State Nodal Officer, without delay.
iii. In case there are reasons to believe beyond doubt that assets that are held by an individual/entity would fall under the purview of clause (a) or (b) of sub-section (2) of Section 12A, Registrar shall prevent such individual/entity from conducting transactions, under intimation to the State Nodal Officer by email, FAX and by post , without delay.

4.2 the State Nodal Officer would cause communication of the complete particulars of such individual/entity along with complete details of the financial assets or economic resources to the CNO without delay by email, FAX and by post.

4.3 The State Nodal Officer may cause such inquiry to be conducted by the State Police so as to ensure that the particulars sent are indeed of these designated individuals/entities. This verification shall be completed without delay and shall be conveyed, within 24 hours of the verification, if it matches, with the particulars of the designated individual/entity, to the CNO without delay by email, FAX and by post.

4.4 The CNO may also have the verification conducted by the Central Agencies. This verification would be completed expeditiously.

4.5 In case, the results of the verification indicate that the assets are owned by, or are held for the benefit of, the designated individuals/entities, an order to freeze these assets under Section 12A would be issued by the CNO without delay and be conveyed electronically to the concerned Registrar performing the work of registering immovable properties, and to FIU under intimation to the concerned State Nodal Officer. The CNO shall also forward a copy thereof to all the Principal Secretaries/Secretaries, Home Department of the States/UTs and All Nodal officers in the country, so that any individual or entity may be prohibited from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the designated individuals / entities. The CNO shall also forward a copy of the order to all Directors General of Police/ Commissioners of Police of all States/UTs for initiating suitable action.

4.6 The order shall be issued without prior notice to the designated individual/entity.

5. Regarding the real-estate agents, dealers of precious metals/stones (DPMS), Registrar of Societies/ Firms/ non-profit organizations, The Ministry of Corporate Affairs and Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs):

(i) The dealers of precious metals/stones (DPMS) as notified under PML (Maintenance of Records) Rules, 2005 and Real Estate Agents, as notified under clause (vi) of Section 2(1) (sa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002, are required to ensure that if any designated individual/entity approaches them for sale/purchase of precious metals/stones/Real Estate Assets or attempts to undertake such transactions, the dealer should not carry out such transaction and, without delay, inform the Section 12A Nodal officer in the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). Also, If the dealers hold any assets or funds of the designated individual/entity, they shall freeze the same without delay and inform the Section 12A Nodal officer in the CBIC, who will, in turn, follow procedure similar to as laid down for State Nodal Officer in the paragraphs 4.2 to 4.6.

(ii) Registrar of Societies/ Firms/ non-profit organizations are required to ensure that if any designated individual/ entity is a shareholder/ member/ partner/ director/ settler/ trustee/ beneficiary/ beneficial owner of any society/ partnership firm/ trust/ non-profit organization, then the Registrar shall freeze any transaction for such designated individual/ entity and shall inform the State Nodal Officer, without delay, and, if such society/ partnership firm/ trust/ non-profit organization holds funds or assets of designated individual/ entity, follow the procedure as laid down for State Nodal Officer in the paragraphs 4.2 to 4.6 above. The Registrar should also ensure that no societies/ firms/ non-profit organizations should be allowed to be registered if any of the designated individual/ entity is a director/ partner/ office bearer/ trustee/ settler/ beneficiary or beneficial owner of such juridical person and, in case, such request is received, then the Registrar shall inform the State Nodal Officer, without delay.

(iii) The State Nodal Officer shall also advise appropriate department of the State/UT, administering the operations relating to Casinos, to ensure that the designated individuals/ entities should not be allowed to own or have beneficial ownership in any Casino operation. Further, if any designated individual/ entity visits or participates in any game in the Casino or if any assets of such designated individual/ entity are with the Casino operator, or if the particulars of any client match with the particulars of designated individuals/ entities, the Casino owner shall inform the State Nodal Officer, without delay, and shall freeze any such transaction.

(iv) The Ministry of Corporate Affairs shall issue an appropriate order to the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Works Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India (ICSI), requesting them to sensitize their respective members to the provisions of Section 12A, so that, if any designated individual/entity approaches them, for entering/ investing in the financial sector and/or immovable property, or they are holding or managing any assets/ resources of designated individual/ entities, then the member shall convey the complete details of such designated individual/ entity to Section 12A Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs, who shall in turn follow the similar procedure as laid down for State Nodal Officer in paragraph 4.2 to 4.6 above.

(v) The members of these institutes should also be sensitized by the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost and Work Accountants of India and Institute of Company Secretaries of India (ICSI) that if they have arranged for or have been approached for incorporation/ formation/ registration of any company, limited liability firm, partnership firm, society, trust, association where any designated individual/ entity is a director/ shareholder/ member of a company/ society/ association or partner in a firm or settler/ trustee or beneficiary of a trust or a beneficial owner of a juridical person, then the member of the institute should not incorporate/ form/ register such juridical person and should convey the complete details of such designated individual/ entity to Section 12A Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs.

(vi) In addition, a member of the ICSI shall, if he/she is Company Secretary or is holding any managerial position where any of designated individual/ entity is a Director and/or Shareholder or having beneficial ownership of any such juridical person, convey the complete details of such designated individual/ entity to Section 12A Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs, who shall follow the similar procedure as laid down in paragraph 4.2 to 4.6 above for State Nodal Officer, if such company, limited liability firm, partnership firm, society, trust, or association holds funds or assets of the designated individual/entity.

(vii) In case any designated individual/ entity is a shareholder/ director/ whole time director in any company registered with the Registrar of Companies (ROC) or beneficial owner of such company or partner in a Limited Liabilities Partnership Firm registered with ROC or beneficial owner of such firm, the ROC should convey the complete details of such designated individual/ entity to section 12A Nodal officer of Ministry of Corporate Affairs. If such company or LLP holds funds or assets of the designated individual/ entity, he shall follow the similar procedure as laid down in paragraph 4.2 to 4.6 above for State Nodal Officer. Further the ROCs are required to ensure that no company or limited liability Partnership firm shall be allowed to be registered if any of the designated individual/ entity is the Director/ Promoter/ Partner or beneficial owner of such company or firm, and in case such a request is received, the ROC should inform the Section 12A Nodal Officer in the Ministry of Corporate Affairs.

(viii) All communications to Nodal officer as enunciated in subclauses (i) to (vii) above should, inter alia, include the details of funds and assets held and the details of transaction.

(ix) The Other DNBPs are required to ensure that if any designated individual/entity approaches them for a transaction or relationship or attempts to undertake such transactions, the dealer should not carry out such transaction and, without delay, inform the Section 12A Central Nodal officer. The communication to the Central Nodal Officer would include the details of funds and assets held and the details of the transaction. Also, If the dealers hold any assets or funds of the designated individual/entity, they shall freeze the same without delay and inform the Section 12A Central Nodal officer.

(DNFBPs shall have the same meaning as the definition in Section 2(1) (sa) of Prevention of Money-Laundering Act, 2002.)

5.1. All Natural and legal persons holding any funds or other assets of designated persons and entities, shall, without delay and without prior notice, freeze any transaction in relation to such funds or assets and shall immediately inform the State Nodal officer along with details of the funds/assets held, who in turn would follow the same procedure as in para 4.2 to 4.6 above for State Nodal Officer. This obligation should extend to all funds or other assets that are owned or controlled by the designated person or entity, and not just those that can be tied to a particular act, plot or threat of proliferation; those funds or other assets that are wholly or jointly owned or controlled, directly or indirectly, by designated persons or entities; and the funds or other assets derived or generated from funds or other assets owned or controlled directly or indirectly by designated persons or entities, as well as funds or other assets of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of designated persons or entities.

5.2 No person shall finance any activity related to the 'designated list' referred to in Para 2.1, except in cases where exemption has been granted as per Para 6 of this Order.

5.3. Further, the State Nodal Officer shall cause to monitor the transactions / accounts of the designated individual/entity so as to prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or related services available for the benefit of the individuals or entities in the designated list. The State Nodal Officer shall, upon becoming aware of any transactions and attempts by third party, without delay, bring the incidence to the notice of the CNO and the DGP/Commissioner of Police of the State/UT for initiating suitable action.

5.4 Where the CNO has reasons to believe that any funds or assets are violative of Section 12A (1) or Section 12A (2)(b) of the Act, he shall, by order, freeze such funds or Assets, without any delay, and make such order available to authorities, Financial Institutions, DNFBPs and other entities concerned.

5.5 The CNO shall also have the power to issue advisories and guidance to all persons, including FIs and DNFBPs obligated to carry out sanctions screening. The concerned Regulators shall take suitable action under their relevant laws, rules or regulations for each violation of sanction screening obligations under section 12A of the WMD Act.

6. Regarding exemption, to be granted to the above orders

6.1. The above provisions shall not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the CNO to be: -

(a) necessary for basic expenses, including payments for foodstuff, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums and public utility charges, or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services or fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or other financial assets or economic resources, consequent to notification by the MEA authorizing access to such funds, assets or resources.

This shall be consequent to notification by the MEA to the UNSC or its Committee, of the intention to authorize access to such funds, assets or resources, and in the absence of a negative decision by the UNSC or its Committee within 5 working days of such notification.

(b) necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the MEA to the UNSC or its Committee, and has been approved by the UNSC or its Committee;

6.2. The accounts of the designated individuals/ entities may be allowed to be credited with:

(a) interest or other earnings due on those accounts, or

(b) payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of section 12A of the Act.

Provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to those provisions under para 3.3;

6.3 Any freezing action taken related to the designated list under this Order should not prevent a designated individual or entity from making any payment due under a contract entered into prior to the listing of such individual or entity, provided that:

(i) the CNO has determined that the contract is not related to any of the prohibited goods, services, technologies, or activities, under this Act, or under the United Nations (Security Council) Act, 1947 or any other relevant Act for the time being in force, or by an order issued under any such Act, in relation to weapons of mass destruction and their delivery systems;

(ii) the CNO has determined that the payment is not directly or indirectly received by an individual or entity in the designated list under this Order; and

(iii) the MEA has submitted prior notification to the UNSC or its Committee, of the intention to make or receive such payments or to authorise, where appropriate, he unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to such authorization

7. Regarding procedure for unfreezing of funds, financial assets or economic resources or related services of individuals/entities inadvertently affected by the freezing mechanism upon verification that the individual or entity is not a designated person or no longer meet the criteria for designation:

7.1 Any individual/entity, if it has evidence to prove that the freezing of funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held has been inadvertently frozen, an application may be moved giving the requisite evidence, in writing, to the relevant RE/Registrar of Immovable Properties/ ROC/Regulators and the State.

7.2 The RE/Registrar of Immovable Properties/ROC/Regulator and the State Nodal Officer shall inform, and forward a copy of the application, together with full details of the asset frozen, as given by applicant to the CNO by email, FAX and by Post, within two working days. Also, listed persons and entities may petition a request for delisting at the Focal Point Mechanism established under UNSC Resolution.

7.3 The CNO shall cause such verification, as may be required on the basis of the evidence furnished by the individual/entity, and, if satisfied, it shall pass an order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant, under intimation to all RE/Registrar of Immovable Properties/ROC/Regulators and the State Nodal Officer.

However, if it is not possible, for any reason, to pass an Order unfreezing the assets within 5 working days, the CNO shall inform the applicant expeditiously.

7.4 The CNO shall, based on de-listing of individual and entity under UN Security Council Resolutions, shall pass an order, if not required to be designated in any other order, without delay, unfreezing the funds, financial assets or economic resources or related services, owned/held by such applicant, under intimation to all RE/Registrar of Immovable Properties/ROC/Regulators and the State Nodal Officer.

8. Procedure for communication of compliance of action taken under Section 12A: The CNO and the Nodal Officer in the Foreigners Division, MHA shall furnish the details of funds, financial assets or economic resources or related services of designated individuals/entities, frozen by an order, and details of the individuals whose entry into India or transit through India was prevented, respectively, to the Ministry of External Affairs, for onward communication to the United Nations.

9. Communication of the Order issued under Section 12A: The Order issued under Section 12A of the Act by the CNO relating to funds, financial assets or economic resources or related services, shall be communicated to all nodal officers in the country.

10. This order is issued in suppression of F.No.P-12011/14/2022-ES Cell-DOR, dated 30th January 2023.

11. All concerned are requested to ensure strict compliance of this order.

(Manoj Kumar Singh)
Director (HQ)

To,

1) Governor, Reserve Bank of India, Mumbai

2) Chairman, Securities & Exchange Board of India, Mumbai

3) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority, Hyderabad.

4) Foreign Secretary, Ministry of External Affairs, New Delhi.

5) Finance Secretary, Ministry of Finance, New Delhi.

6) Revenue Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

7) Secretary, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi

8) Chairman, Central Board of Indirect Taxes & Customs, New Delhi.

9) Director, Intelligence Bureau, New Delhi.

10) Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi.

11) Chief Secretaries of all States/Union Territories

12) Principal Secretary (Home)/Secretary (Home) of all States/ Union Territories

13) Directors General of Police of all States & Union Territories

14) Director General of Police, National Investigation Agency, New Delhi.

15) Commissioner of Police, Delhi.

16) Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, New Delhi.

17) Joint Secretary (Capital Markets), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi.

18) Joint Secretary (Revenue), Department of Revenue, Ministry of Finance, New Delhi.

19) Director (FIU-IND), New Delhi.

Copy for information to: -
1. Sr. PPS to HS
2. PS to SS (IS)

अनुलग्नक IV
पीआईएस के अंतर्गत पात्र एफपीआई के लिए केवाईसी दस्तावेज़

		एफपीआई प्रकार		
दस्तावेज़ का प्रकार		**श्रेणी I**	**श्रेणी II**	**श्रेणी III**
निकाय स्तर	संवैधानिक दस्तावेज़ (संस्था के ज्ञापन (मेमोरेंडम) और लेख, निगमन का प्रमाण पत्र आदि)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	अनिवार्य (पते का उल्लेख करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य (पते का उल्लेख करने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी {पीओए} पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है)	अनिवार्य - पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा
	पैन (PAN)[165]	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	वित्तीय डेटा	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	बोर्ड का संकल्प @@	छूट प्राप्त *	अनिवार्य	अनिवार्य
वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालिक निदेशक/ भागीदार/न्यासी/आदि)	सूची	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	संस्था लेटर हेड पर पूरा नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि घोषित करती है या फोटो पहचान प्रमाण जमा करती है *
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *

[165] Amended vide amendment dated April 20, 2018. Deleted Portion of read as: ‘Card’

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	सूची एवं हस्ताक्षर	अनिवार्य – पीओए के मामले में वैश्विक अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची वैश्विक अभिरक्षक (ग्लोबल कस्टोडियन)को दी जा सकती है	अनिवार्य - पीओए के मामले में वैश्विक अभिरक्षक हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची वैश्विक अभिरक्षक (ग्लोबल कस्टोडियन)को दी जा सकती है	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *
परम लाभकारी स्वामी (परम लाभकारी स्वामी (यूबीओ))(यूबीओ)	सूची	छूट प्राप्त *	अनिवार्य	अनिवार्य
	पहचान का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	अनिवार्य
	पते का प्रमाण	छूट प्राप्त *	छूट प्राप्त *	लेटर हेड पर घोषणा *
	फोटो	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त	छूट प्राप्त *

* बैंक खाता खोलते समय इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, संबंधित एफपीआई एक वचनपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित दस्तावेज बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

@@ कुछ न्यायक्षेत्रों के एफपीआई जहां बैंक खाते आदि खोलने के उद्देश्य से बोर्ड संकल्प पारित करने की प्रथा प्रचलन में नहीं है, वे 'बोर्ड संकल्प के बदले वैश्विक संरक्षक/स्थानीय संरक्षक को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी' प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्रेणी	**पात्र विदेशी निवेशक**
I.	सरकार और सरकार से संबंधित विदेशी निवेशक जैसे विदेशी केंद्रीय बैंक, सरकारी एजेंसियां, सॉवरेन वेल्थ फंड, अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय संगठन/एजेंसियां।
II.	ए) उचित रूप से विनियमित व्यापक आधारित फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड, निवेश ट्रस्ट, बीमा/पुनर्बीमा कंपनियां, अन्य व्यापक आधारित फंड आदि। बी) उचित रूप से विनियमित संस्थाएं जैसे बैंक, आस्ति प्रबंधन कंपनियां, निवेश प्रबंधक/परामर्शदाता, पोर्टफोलियो प्रबंधक आदि। सी) व्यापक आधार वाले फंड जिनका निवेश प्रबंधक उचित रूप से विनियमित है। डी) विश्वविद्यालय निधि और पेंशन निधि। ई) विश्वविद्यालय से संबंधित एन्डाउमेंट्स (Endowments) पहले से ही सेबी के

	साथ एफआईआई/उप खाते के रूप में पंजीकृत हैं।
III.	पीआईएस मार्ग (PIS Route) के अंतर्गत भारत में निवेश करने वाले अन्य सभी पात्र विदेशी निवेशक श्रेणी I और II के अंतर्गत पात्र नहीं हैं जैसे बंदोबस्ती, धर्मार्थ सोसायटी / ट्रस्ट, फाउंडेशन, कॉर्पोरेट निकाय, ट्रस्ट, व्यक्ति, पारिवारिक कार्यालय, आदि।

Appendix

List of Circulars or part thereof repealed with the issuance of Master Direction

क्र.	परिपत्र संख्या	तिथि
1.	बैंपविवि.बी.पी.92/सी.469-76	अगस्त 12, 1976
2.	बैंपविवि.जीसी.बीसी.62/सी.408(A)/87	नवंबर 11, 1987
3.	बैंपविवि.बी.पी.114/सी.469 (81)-91	अप्रैल 19, 1991
4.	बैंपविवि.एफ़एमसी.सं.153/27.01.003/93-94	सितंबर 1, 1993
5.	बैंपविवि.जीसी.बीसी.193/17.04.001/93	नवंबर 18, 1993
6.	बैंपविवि.जीसी.बीसी.202/17.04.001/93	दिसंबर 6, 1993
7.	बैंपविवि.सं.जीसी.बीसी.46/17.04.001	अप्रैल 22, 1994
8.	बैंपविवि.बी.पी.106/21.01.001/94	सितंबर 23,1994
9.	बैंपविवि.बी.पी.102/21.01.001/95	सितंबर 20, 1995
10.	बैंपविवि.बी.पी.42/21.01.001/96	अप्रैल 6, 1996
11.	बैंपविवि.सं.बी.पी.12/21.01.023/98	फरवरी 11, 1998
12.	बैंपविवि.बीपी.52/21.01.001/2001-02	दिसंबर 5, 2001
13.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.89/14.01.001/2001-02	अप्रैल 15, 2002
14.	बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.102/14.01.001/2001-02	मई 10, 2002
15.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.18/14.01.001/2002-03	अगस्त 16, 2002
16.	बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.58/14.01.001/2004-05	नवंबर 29, 2004
17.	बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.28 /14.01.001/2005-06	अगस्त 23, 2005
18.	बैंपविवि.सं.एएमएल.बीसी.63/14.01.001/2005-06	फरवरी 15, 2006
19.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.77/14.01.001/2006-07	अप्रैल 13, 2007
20.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.63/14.01.001/2007-08	फरवरी 18, 2008
21.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 85/14.01.001/2007-08	मई 22, 2008
22.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.12/14.01.001/2008-09	जुलाई 1, 2008

23.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.2/14.01.001/2009-10	जुलाई 1, 2009
24.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.43/14.01.001/2009-10	सितंबर 11, 2009
25.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10	सितंबर 17, 2009
26.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.68/14.01.001/2009-10	जनवरी 12, 2010
27.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.80/14.01.001/2009-10	मार्च 26, 2010
28.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.95/14.01.001/2009-10	अप्रैल 23, 2010
29.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.108/14.01.001/2009-10	जून 9, 2010
30.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.109/14.01.001/2009-10	जून 10, 2010
31.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.111/14.01.001/2009-10	जून 15, 2010
32.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.113/14.01.001/2009-10	जून 29, 2010
33.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.38/14.01.001/2010-11	अगस्त 31, 2010
34.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.50/14.01.001/2010-11	अक्तूबर 26, 2010
35.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.65/14.01.001/2010-11	दिसंबर 7, 2010
36.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.70/14.01.001/2010-11	दिसंबर 30, 2010
37.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.77/14.01.001/2010-11	जनवरी 27, 2011
38.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.36/14.01.001/2011-12	सितंबर 28, 2011.
39.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी .सं.47/14.01.001/2011-12	नवंबर 04, 2011
40.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं.65/14.01.001/2011-12	दिसंबर 19, 2011
41.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी सं. 70/14.01.001/2011-12	दिसंबर 30, 2011
42.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं 93/14.01.001/2011-12	अप्रैल 17, 2012
43.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं 109/14.01.001/2011-12	जून 08, 2012
44.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं 110/14.01.001/2011-12	जून 08, 2012
45.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 39/14.01.001/2012-13	सितंबर 7, 2012
46.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 49/14.01.001/2012-13	सितंबर 7, 2012
47.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 65/14.01.001/2012-13	दिसंबर 10, 2012

48.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.71/14.01.001/2012-13	जनवरी 18, 2013
49.	बैंविवि.एएमएल.बीसी. सं. 78/14.01.001/2012-13	जनवरी 29, 2013
50.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.87/14.01.001/2012-13	मार्च 28, 2013
51.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं.101/14.01.001/2011-12	मई 31, 2013
52.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.29/14.01.001/2013-14	जुलाई 12, 2013
53.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 34/14.01.001/2013-14	जुलाई 23, 2013
54.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2013-14	सितंबर 2, 2013
55.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.45/14.01.001/2013-14	सितंबर 2, 2013
56.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं. 50/14.01.001/2013-14	सितंबर 3, 2013
57.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.63/14.01.001/2013-14	अक्तूबर 29, 2013
58.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं.80/14.01.001/2013-14	दिसंबर 31, 2013
59.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 100/14.01.001/2013-14	मार्च 4, 2014
60.	बैंपविवि. एएमएल. सं. 16415/14.01.001/2013-14	मार्च 28, 2014
61.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.103/14.01.001/2013-14	अप्रैल 3, 2014
62.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 119/14.01.001/2013-14	जून 9, 2014
63.	बैंपविवि. एएमएल.बीसी. सं.124/14.01.001/2013-14	जून 26, 2014
64.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.26/14.01.001/2014-15	जुलाई 17, 2014
65.	बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 39/14.01.001/2014-15	सितंबर 4, 2014
66.	बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2014-15	अक्तूबर 21, 2014
67.	बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.77/14.01.001/2014-15	मार्च 13, 2015
68.	बैंविवि.एएमएल. बीसी. सं.104/14.01.001/2014-15	जून 11, 2015
69.	बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.36/14.01.001/2015-16	अगस्त 28, 2015
70.	बैंविवि. एएमएल.बीसी. सं. 46/14.01.001/2015-16	अक्तूबर 29, 2015
71.	बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं.60/14.01.001/2015-16	नवंबर 26, 2015
72.	बैंपविवि.सं.बीसी.23/21.01.001/92	सितंबर 9, 1992

73.	बैंपविवि.बी.पीसं. 56/21.01.001/2005-06	जनवरी 23, 2006
74.	बैंपविवि.बी.पी.सं. 50/21.01.001/2011-12	नवंबर 4, 2011
75.	बैंपविवि.बी.पी.सं.87/21.01.001//2013-14	जनवरी 22, 2014
76.	बैंपविवि.सं.बी.पी.110/21.02.051/98	नवंबर 18, 1998
77.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.69/14.01.062/2013-14	जून 10, 2014
78.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.9/14.01.062/2013-14	मई 26, 2014
79.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.54/14.01.062/2013-14	अप्रैल 7,.2014
80.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.50/14.01.062/2013-14	मार्च 6.2014
81.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.48/14.01.062/2013-14	फरवरी 18, 2014
82.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.32/14.01.062/2013-14	अक्तूबर 22, 2013
83.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.15/14.01.062/2013-14	सितंबर 17,.2013
84.	शबैंवि.बीपीडी (एडी).परि.सं.4/14.01.062/2013-14	सितंबर 10,.2013
85.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.11/14.01.062/2013-14	सितंबर 05,.2013
86.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.2/14.01.062/2013-14	जुलाई 31,.2013
87.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.54/14.01.062/2012-13	जून 6, 2013
88.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.46/14.01.062/2012-13	अप्रैल 03,.2013
89.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.39/14.01.062/2012-13	मार्च 07,.2013
90.	शबैंवि.केंका.पीसीबी.परि.सं.37/14.01.062/2012-13	फरवरी 25, 2013
91.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.34/14.01.062/2012-13	जनवरी 28, 2013
92.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.28/14.01.062/2012-13	दिसंबर 19, 2012
93.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.14/14.01.062/2012-13	अक्तूबर 9, 2012
94.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.8/14.01.062/2012-13	सितंबर 13, 2012
95.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी) .सं.34/12.05.001/2011-12	मई 11, 2012
96.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं.24/12.05.001/2011-12	मार्च 5,.2012
97.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.20/14.01.062/2011-12	मार्च 01,.2012

98.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं. 10/12.05.001/2011-12	नवंबर 09, 2011
99.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.सं. 8/12.05.001/2011-12	नवंबर 9,.2011
100.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9/14.01.062/2010-11	मई 2, 2011
101.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.8/14.01.062/2010-11	मई 2, 2011
102.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.7/14.01.062/2010-11	मार्च 17, 2011
103.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.6/14.01.062/2010-11	मार्च 17, 2011
104.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)सं.38/12.05.001/2010-11	मार्च 15, 2011
105.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.37/12.05.001/2010-11	फरवरी 18,.2011
106.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.सं.35/12.05.001/2010-11	जनवरी 10, 2011
107.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.32/12.05.001/2010-11	दिसंबर 28, 2010
108.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.17/14.01.062/2010-11	अक्तूबर 25,.2010
109.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.12/ 12.05.001/2010-11	सितंबर 15, 2010
110.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)सं.11/12.05.001/2010-11	अगस्त 25, 2010
111.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.10/12.05.001/2010-11	अगस्त 23, 2010
112.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).सं.9/12.05.001/2010-11	अगस्त 23, 2010
113.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.7/ 14.01.062/2010-11	अगस्त 12, 2010
114.	शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.71/ 12.05.001/2009-10	जून 15, 2010
115.	शबैंवि.बीपीडी.केंका.53/14.01.062/ 2009-2010	अप्रैल 1, 2010
116.	शबैंवि. बीपीडी. (पीसीबी).परि. सं. 41/12.05.001/ 2009-10	फरवरी 3, 2010
117.	शबैंवि.बीपीडी.केंका.एनएसबी1/38/1203.000/2009-10	दिसंबर 23, 2009
118.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका.बीपीडी.परि.सं.36/14.01.062/2009-10	दिसंबर 18, 2009
119.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका.बीपीडी.परि.सं.35/14.01.062/2009-10	दिसंबर 17, 2009
120.	शबैंवि.(पीसीबी).केंका.बीपीडी.परि.सं.33/14.01.062/2009-10	दिसंबर 17, 2009
121.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.23/ 12.05.001/2009-10	नवंबर 16, 2009
122.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.21/ 12.05.001/2009-10	नवंबर 16, 2009

123.	शबैंवि.बीपीडी.केंका./एनएसबी1/11/12.03.000/ 2009-10	सितंबर 29, 2009
124.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.9/ 12.05.001/ 2009-10	सितंबर 16, 2009
125.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी) .सं.1/ 12.05.001/2008-09	जुलाई 2, 2008
126.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).सं.32/ 09.39.000/2007-08	फरवरी 25, 2008
127.	शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी).सं.45/ 12.05.001/2006-07	मई 25, 2007
128.	शबैंवि.बीपीडी.परि.सं.38./09.16.100/ 2005-06	मार्च 21, 2006
129.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.11/09.161.00/ 2005-06	अगस्त 23, 2005
130.	शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.6/09.161.00/ 2005-06	अगस्त 03, 2005
131.	शबैंवि.पीसीबी.परि. 30/09.161.00/2004-05	दिसंबर 15, 2004
132.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.02/09.161.00/ 2004-05	जुलाई 09, 2004
133.	शबैंवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.48/09.161.00/ 2003-04	मई 29, 2004
134.	शबैंवि.सं.बीपीडी.पीसीबी.परि.41/ 09.161.00/2003-04	मार्च 26, 2004
135.	शबैंवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.17/13.01.00/2002-03	सितंबर 18, 2002
136.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.112/07.51.018/2013-14	जून 16, 2014
137.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14	जून 12, 2014
138.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.97/07.51.018/2013-14	अप्रैल 25, 2014
139.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.92/07.51.018/2013-14	मार्च 13, 2014
140.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.75/07.51.018/2013-14	जनवरी 09, 2014
141.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.48/07.51.010/2013-14	अक्तूबर 29, 2013
142.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.37/07.51.018/2013-14	सितंबर 18, 2013
143.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.31/07.51.018/2013-14	सितंबर 16, 2013
144.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.32/07.51.018/2013-14	सितंबर 10, 2013
145.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.84/07.51.018/2013-14	जुलाई 25, 2013
146.	ग्राआऋवि.आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.76/07.51.018/2012-13	जून 4, 2013
147.	ग्राआऋवि.आरसीबी.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.71/07.51.018/2012-13	अप्रैल 1, 2013

148.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.63/07.51.018/2012-13	30.01.2013
149.	ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.बीसी.सं.59/07.51.018/2012-13	जनवरी 22, 2013
150.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.6097/7.51.018/2012-13	दिसंबर 13, 2012
151.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.36/03.05.33(इ)/2012-13	अक्तूबर 15, 2012
152.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.29/03.05.33(इ)/2012-13	सितंबर 18, 2012
153.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.82/03.05.33(इ)/2011-12	जून 11, 2012
154.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.81/07.40.00/2011-12	जून 11, 2012
155.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.70/07.40.00/2011-12	अप्रैल 18, 2012
156.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.52/07.40.00/2011-12	जनवरी 04, 2012
157.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12	जनवरी 02, 2012
158.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2011-12	दिसंबर 30, 2011
159.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.46/03.05.33(इ)/2011-12	दिसंबर 21, 2011
160.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.31/03.05.33(इ)/2011-12	नवंबर 16, 2011
161.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.23/07.40.00/2011-12	अक्तूबर 17,2011
162.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.21/03.05.33(इ)/2011-12	अक्तूबर 13, 2011
163.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.15/03.05.33(इ)/2011-12	अगस्त 8, 2011
164.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.63/07.40.00/2010-11	अप्रैल 26, 2011
165.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.50/07.40.00/2010-11	फरवरी 2, 2011
166.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.46/03.05.33(इ)/2010-11	जनवरी 12, 2011
167.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.39/07.40.00/2010-11	दिसंबर 27, 2010
168.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.40/03.05.33(इ)/2010-11	दिसंबर 24, 2010
169.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.37/07.40.00/2010-11	दिसंबर 10, 2010
170.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.31/03.05.33(इ)/2010-11	दिसंबर 6, 2010

171.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.20/07.40.00/2010-11	सितंबर 13, 2010
172.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.19/03.05.33(इ)/2010-11	सितंबर 9, 2010
173.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.12/4007.40.00/2010-11	जुलाई 20, 2010
174.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.13/03.05.33(इ)/2010-11	जुलाई 22, 2010
175.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.11/07.40.00/2010-11	जुलाई 20, 2010
176.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.89/07.40.00/2009-10	जून 25, 2010
177.	ग्राआऋवि.केंकाआरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.87/03.05.33(इ)/2009-10	जून 23, 2010
178.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.88/07.40.00/2009-10	जून 25, 2010
179.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.86/03.05.33(इ)/2009-10	जून 21, 2010
180.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10	मई 14, 2010
181.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10	मई 12, 2010
182.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.67/03.05.33(इ)/2009-10	अप्रैल9, 2010
183.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.83/07.40.00/2009-10	मार्च 3, 2010
184.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(इ)/2009-10	नवंबर 5, 2009
185.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.34/07.40.00/2009-10	अक्तूबर 29, 2009
186.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.28/07.40.00/2009-10	सितंबर 30,2009
187.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.27/03.05.33(इ)/2009-10	सितंबर 29, 2009
188.	ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.बीसी.सं.81/07.40.00/2007-08	जून 25, 2008
189.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.77/03.05.33(इ)/2007-08	जून 18, 2008
190.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.51/07.40.00/2007-08	फरवरी 28, 2008
191.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.बीसी.50/03.05.33(इ)/2007-08	फरवरी 27, 2008
192.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.98/03.05.28-A/2006-07	मई 21, 2007
193.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.96/07.40.00/2006-07	मई 18, 2007
194.	ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.68/03.05.33(इ)/2005-06	मार्च 9, 2006
195.	ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.65/07.40.00/2005-06	मार्च 3, 2006

196.	ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी.33/03.05.33(इ)/2005-06	अगस्त 23, 2005
197.	ग्राआऋवि.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.30/07.40.00/2005-06	अगस्त 23, 2005
198.	ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/2004-05	फरवरी 18, 2005
199.	ग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी.81/03.05.33 (इ)/2004-05	फरवरी 18, 2005
200.	गैबैंपवि (पीडी) सीसी.सं.46/02.02(आरएन बीसी)/2004-05	दिसंबर 30, 2004
201.	गैबैंपवि(पीडी). सीसी 48/10.42/2004-05	फरवरी 21, 2005
202.	गैबैंपवि(पीडी).सीसीसं. 58/10.42/2005-06	अक्तूबर 11, 2005
203.	गैबैंपवि.पीडी. सीसीसं. 64/03.10.042/2005-06	मार्च 7., 2006
204.	गैबैंपवि (पीडी). सीसी 113/03.10.042/2007- 08	अप्रैल 23, 2008
205.	गैबैंपवि (पीडी). सीसी 163/03.10.042/2009- 10	नवंबर 13, 2009
205A	गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./164/03.10.042/2009-10	नवंबर 13, 2009
206.	गैबैंपवि (पीडी).सीसी. सं 166/03.10.42/2009-10	दिसंबर 2, 2009
206A	DNBS.(PD).CC.No.171/03.10.42/2009-10	April 23, 2010
207.	गैबैंपवि. (पीडी) सीसीसं 192/03.10.42/2010-11	अगस्त 9, 2010
208.	गैबैंपवि. (पीडी) सीसीसं 193/03.10.42/2010-11	अगस्त 9, 2011
209.	गैबैंपवि (पीडी).सीसी. सं 201/03.10.42 /2010-11	सितंबर22.9.2010
210.	गैबैंपवि (पीडी).सीसी. सं 202/03.10.42/2010-11	अक्तूबर 4, 2010
211.	गैबैंपवि(पीडी).सीसी.सं209/03.10.42/2010- 11	जनवरी 28, 2011
212.	गैबैंपवि(पीडी).सीसी.सं210/03.10.42/2010-11	फरवरी 14, 2011
213.	गैबैंपवि.(पीडी)सीसीसं212/03.10.42/2010-11	मार्च 8.3. 2011
214.	गैबैंपवि(पीडी).सीसी. सं.216/03.10.42/2010-11	मई 2, 2011
215.	गैबैंपवि(पीडी).सीसी.सं218/03.10.42/2010-11	मई 4, 2011
216.	गैबैंपवि.(पीडी)सीसीसं215/03.10.42/2010-11	अप्रैल 5, 2011
217.	गैबैंपवि (पीडी).सीसी. सं 242/03.10.42/2011-12	सितंबर15, 2011
218.	गैबैंपवि (पीडी).सीसी. सं 244/03.10.42/2011-12	सितंबर22, 2011

219.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 251/03.10.42/2011-12	दिसंबर 26, 2011
220.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 257/03.10.42/2011-12	मार्च 14, 2012
221.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 264/03.10.42/2011-12	मार्च 21, 2012
222.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी. सं.270/03.10.42/2011-12	अप्रैल 4, 2012
223.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 275/03.10.42/2011-12	मई 29, 2012
224.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 294/03.10.42/2012-13	जुलाई 5, 2012
225.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 295/03.10.42/2012-13	जुलाई 11, 2012
226.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 296/03.10.42/2012-13	जुलाई 11, 2012
227.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 298/03.10.42/2012-13	जुलाई 26, 2012
228.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 302/03.10.42/2012-13	सितंबर 7, 2012
229.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 304/03.10.42/2012-13	सितंबर 17, 2012
230.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 305/03.10.42/2012-13	अक्तूबर 3, 2012
231.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 306/03.10.42/2012-13	अक्तूबर 3, 2012
232.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 310/03.10.42/2012-13	नवंबर 22,2012
233.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 313/03.10.42/2012-13	दिसंबर 10, 2012
234.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 318/03.10.42/2012-13	दिसंबर 28, 2012
235.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 319/03.10.42/2012-13	दिसंबर 28, 2012
236.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 321/03.10.42/2012-13	फरवरी 27,2013
237.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 323/03.10.42/2012-13	अप्रैल 18, 2013
238.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 324/03.10.42/2012-13	मई 2, 2013
239.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 325/03.10.42/2012-13	मई 3, 2013
240.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी.सं.351/03.10.42/2013-14	जुलाई 4, 2013
241.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 352/03.10.42/2013-14	जुलाई 23, 2013
242.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी.सं 357/03.10.42/2013-14	अक्तूबर 3, 2013
243.	गैबेंपवि(पीडी).सीसीसं 358/03.10.42/2013-14	अक्तूबर 3, 2013

244.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी.सं.364/03.10.42/2013-14	जनवरी 1, 2014
245.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी.सं.366/03.10.42/2013-14	जनवरी 10, 2014
246.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 370/03.10.42/2013-14	मार्च 19, 2014
247.	गैबेंपवि(पीडी).सीसी.सं.375/03.10.42/2013-14	अप्रैल 22 , 2014
248.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 401/03.10.42/2014-15	जुलाई 25 , 2014
249.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 402/03.10.42/2014-15	अगस्त 1, 2014
250.	गैबेंपवि (पीडी).सीसी. सं 404/03.10.42/2014-15	अगस्त 1, 2014
251.	गैबेंविवि.सीसी.पीडी.सं.010/03.10.01/2014-15	जनवरी 09, 2015
252.	गैबेंविवि(पीडी).सीसी.सं.034/03.10.42/2014-15	अप्रैल 30, 2015
253.	बैंपविवि.सं.आईबीएस.1816/23.67.001/98-99	फरवरी 4, 1999

List of Circulars Repealed Partially, with the issuance of Master Direction

क्र.	परिपत्र सं.	तिथि
1.	बैंविवि.बी.पी.बीसी.57/21.01.001/95 – पैरा 2(b)	मई 4, 1995
2.	डीबीएस.एफजीवी.बीसी.56.23.04.001/98-99 पैरा “(b)" अपने ग्राहक को जानिए" की संकल्पना (पैरा. 9.2)”	जून 21, 1999

List of Circulars, or part thereof, repealed after the issuance of Master Direction

क्र.	परिपत्र सं.	तिथि
1.	DBR.AML.BC.No.16/14.08.001/2015-16	जुलाई 1, 2015